SL.NO. PURCHASER EX-OFFICIO S.R. OF S.R. OFFICE R.R. DIST.
62007 117063 JAN 23 2008
INDIA Rs.0000350 PB1080
C.1–C.No.2660318
STAMP DUTY ANDHRA PRADESH
Joint Sub-Registrar
Ex-Officio Stamp Vendor

फार्म सी. 1
FORM C. 1

(समग्र ऋण सीमा हेतु ऋण का करार)
(AGREEMENT OF LOAN FOR OVERALL LIMIT)

इसे किसी करार, सामान्य मुख्तारनामा एवं न्यास की घोषणा की भांति स्टाम्पित किया जाए।
[To be stamped as an Agreement, as a General Power of Attorney and also as Declaration of Trust]

*ऋणी का नाम भरें

**कारोबार की जगह का पूरा पता भरें

***फर्म का नाम भरें

दिनांक माह सन् एक हजार नौ सौ को श्री/श्रीमती/कुमारी*
पुत्र/पुत्री/पत्नी

जो इस समय** में
अवस्थित***

नामधारी फर्म के/की/एकल स्वामी/स्वामिनी की हैसियत से कारोबार चला रहे/रही हैं। जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उल्लिखित "ऋणी" के रूप में कहा गया है जिसका प्रभाव जब तक उसके संदर्भ एवं अर्थ के प्रतिकूल न हो उसको और उसके वारिसों, निष्पादकों, प्रशासकों, विधिक प्रतिनिधियों उत्तराधिकारियों और अनुमत समनुदेशितियों को सम्मिलित माना जाएगा। एक पक्ष,

* Please insert the name of the Borrower

** Please insert the full address of the place of business

*** Please insert the name of the firm

MEMORANDUM OF AGREEMENT made the fourth day of ~~January~~ february two thousand and Eight between Shri/Smt./Kum*
son of/wife of/daughter of

at present carrying on the business at **
as sole proprietor/proprietress under the firm name and style of Messrs.***

(hereinafter referred to as the "the Borrower" which expression shall unless repugnant to the context or meaning thereof be deemed to include him/her and his/her heirs, executors, administrators, legal representatives, successors and permitted assigns) of the One Part

अथवा

श्री/श्रीमती/कुमारी *

पुत्र/पत्नी/पुत्री

श्री/श्रीमती/कुमारी *

पुत्र/पत्नी/पुत्री

श्री/श्रीमती/कुमारी *

पुत्र/पत्नी/पुत्री

और श्री/श्रीमती/कुमारी *

पुत्र/पत्नी/पुत्री

For DILPREET TUBES PVT. LTD.
MANAGING DIRECTOR

For DILPREET TUBES PVT. LTD.
Executive Director

जो इस समय**
में अवस्थित***

(नामधारी फर्म की भागीदारी में कारोबार चला रहे हैं/रही हैं जिसका प्रभाव जब तक उसके संदर्भ एवं अर्थ के प्रतिकूल न हो तो उनको और उनके उत्तरजीवियों या उत्तरजीवी या उसके तत्समय भागीदारों या भागीदार और उसके/उनके अपने-अपने वारिसों, निष्पादकों, प्रशासकों, विधिक प्रतिनिधियों, उत्तराधिकारियों एवं अनुमत समनुदेशितियों को सम्मिलित माना जाएगा।) एक पक्ष,

OR

Shri/Smt./Kum*

son of/wife of/daughter of

Shri/Smt./Kum*

son of/wife of/daughter of

Shri/Smt./Kum*

son of/wife of/daughter of

and Shri/Smt./Kum*

son of/wife of/daughter of

at present carrying on the business at**
in partnership under the firm name and style of Messrs.***

(hereinafter referred to as "the Borrower" which expression shall unless repugnant to the context or meaning thereof be deemed to include them and survivors or survivor of them or the partners or partner for the time being thereof and his/her/their respective heirs, executors, administrators, legal representatives successors and permitted assigns) of the One Part

अथवा

श्री*

पुत्र जो स्वयं की ओर से एवं अपने
संयुक्त परिवार के कर्ता की हैसियत से** में अवस्थित***

(नामधारी फर्म के अतर्गत संयुक्त परिवार के व्यवसाय के रूप में कारोबार चला रहे हैं जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उल्लिखित "ऋणी" के रूप में कहा गया है जिसका प्रभाव जब तक उसके संदर्भ एवं अर्थ के प्रतिकूल न हो उसको और "ऋणी" के संयुक्त परिवार के समस्त सहदायिकों या सहदायिक और उनके उत्तरजीवियों या उत्तरजीवी और उसके/उनके अपने-अपने वारिसों, निष्पादकों, प्रशासकों, विधिक प्रतिनिधियों उत्तराधिकारियों एवं अनुमत समनुदेशितियों को सम्मिलित माना जाएगा।) एक पक्ष

OR

Shri*
son of for self and as the Karta of his joint
family carrying on the business at**

For DILPREET TUBES PVT. LTD.

MANAGING DIRECTOR

For DILPREET TUBES PVT. LTD.

Executive Director

as joint family business under the firm name and style of**

(hereinafter referred to as "the Borrower" which expression shall unless repugnant to the context or meaning thereof be deemed to include him and all the co-parceners or co-parcener of the joint family of the Borrower and the survivors or survivor of them and his/their respective heirs, executors, administrators, legal representatives successors and permitted assigns) of the One Part

अथवा

सोसायटी/संस्था जो सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम/सहकारी सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत एक सोसायटी/संस्था है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय**

में अवस्थित है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उल्लिखित "ऋणी" के रूप में कहा गया है, जिसका प्रभाव जब तक उसके संदर्भ एवं अर्थ के प्रतिकूल न हो उसके उत्तराधिकारियों एवं अनुमत समनुदेशितियों को सम्मिलित माना जाएगा ।) एक पक्ष,

OR

* a society/association registered under the Societies Registration Act/Co-operative Societies Act, and having its registered office at**

(hereinafter referred to as "the Borrower" which expression shall unless repugnant to the context or meaning thereof be deemed to include its successors and permitted assigns) of the One Part

अथवा

लिमिटेड, जो कंपनी अधिनियम 1956 की व्याख्या के अनुरूप एक कंपनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय**

प्रधान कार्यालय का पूरा पता भरें.

में अवस्थित है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उल्लिखित "ऋणी" के रुप में कहा गया है जिसका प्रभाव जब तक उसके संदर्भ और अर्थ के प्रतिकूल न हो उसके उत्तराधिकारियों एवं अनुमत समनुदेशितियों को सम्मिलित माना जाएगा ।) एक पक्ष,

OR

M/S DILPREET TUBES PVT Limited, a company within the meaning of the Companies Act, 1956, and having its registered office at** Plot NO. 8, Nacharam Industrial Estate, Hyderabad

Please insert the full address of the Head office

(hereinafter referred to as "the Borrower" which expression shall unless repugnant to the context or meaning thereof be deemed to include its successors and permitted assigns) of the One Part.

एवं भारतीय स्टेट बैंक, जो भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 के अंतर्गत एक निगमित निकाय है तथा जिसका एक स्थानीय प्रधान कार्यालय तो*

में अवस्थित है तथा अन्य स्थानों में से एक शाखा**

शाखा का पूरा पता भरें.

में अवस्थित है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उल्लिखित "बैंक" के रूप में कहा गया है जिसका प्रभाव जब तक उसके संदर्भ और अर्थ के प्रतिकूल न हो उसके उत्तराधिकारियों

Please insert full address of the Branch

India Act, 1955, and having one of its Local Head Offices at* Hyderabad

and amongst other places a branch at** Balanagar

(hereinafter referred to as "the Bank" which expression shall unless repugnant to the context or meaning thereof be deemed to include its successors and assigns of the Other Part.)

सुविधाएं द्वारा अधि होंगी.

यतः ऋणी ने एक आवेदन दिनांकित के द्वारा बैंक से ऋणी के व्यवसाय के वित्तपोषण हेतु और ऋणों की समस्त या कुछ या किसी एक सुविधा के लिए जो कि बैंक और ऋणी के मध्य समय-समय पर तय की जा सकती है ऋणी को प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है इस प्रकार प्रदान किए जाने वाले ऋण की कुल राशि रू (रूपये मात्र) से अधिक नहीं होगी
(जिसे इसमें इसके पश्चात् उल्लिखित ' उपर्युक्त ऋण सुविधाएं ' कहा गया है)

Facilities governed arrangem

ब्यौरे में सूचित कि

WHEREAS by an Application dated the 25th day of December 2007 the Borrower has requested the Bank to finance the business of the Borrower and to grant to the Borrower all or some or any of the credit facilities that may be agreed upon, from time to time, between the Bank and the Borrower for sums not exceeding in the aggregate the sum of Rs.12.50Cr (Rupees Twelve Crores Fifty Lakhs only) (hereinafter referred to as the "aforesaid credit facilities")

Change to be not

प्रतिभूति के निष्पा में ऋणी प्रसंविदा

और यतः बैंक ने ऋणी के ऐसे अनुरोध पर उपर्युक्त ऋण की समस्त या कुछ या कोई भी सुविधा प्रदान करने की सहमति दी है जो कि अन्य बातों के साथ-साथ इस करार में समाहित नियम एवं शर्तों और दृष्टिबधंक करार गिरवी करार, व्यवस्था पत्र, बंधक विलेख और/या अन्य किसी प्रलेखों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् ' प्रतिभूति प्रलेख' कहा गया है) में समाहित नियम एवं शर्तों पर जो कि इसके पश्चात् उपर्युक्त ऋण सुविधाओं या उनमें से किसी एक सुविधा के लिए निष्पादित किए जा सकते हैं और वे ऐसे अन्य नियमों एवं शर्तों के अध्यधीन होंगे जिन्हें आवश्यक समझा जाएगा तथा समय-समय पर बैंक द्वारा ऋणी को सूचित किया जाएगा.

Covena declara Borrow execut docum

AND WHEREAS the Bank has at such request of the Borrower agreed to grant all or some or any of the aforesaid credit facilities subject *inter alia* to the terms and conditions contained in this Agreement and also in the Hypothecation Agreement, Pledge Agreement, Arrangement Letter, Mortgage Deed and/or any other documents (hereinafter referred to as "the security documents") that may be executed hereafter in respect of the aforesaid credit facilities or any of them and on such other terms and conditions as may be deemed necessary and notified from time to time by the Bank to the Borrower.

अब एतद् द्वारा पक्षकारों के द्वारा और उनके बीच निम्न प्रकार का अनुबंध किया जाता है

NOW IT IS HEREBY AGREED BY AND BETWEEN THE PARTIES as follows :

प्रस्ताव में दिए गए विवरण एवं ब्यौरो सही है.

1. ऋणी का आवेदन पत्र दिनांकित
और उसके बाद बैंक के साथ हुए पत्राचार (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् सामूहिक रूप से 'ऋणी का प्रस्ताव' कहा गया है) को इस करार और बैंक द्वारा इसमें इसके पश्चात् प्रदान की जाने वाली ऋण सुविधाओं के संस्थापित करने का आधार माना जाएगा और ऋणी एतद् द्वारा प्रस्ताव में समाहित प्रत्येक विवरण और ब्यौरों की शुद्धता का आश्वासन देता है तथा उसमें घोषित प्रस्ताव को पूर्ण करने का वचन देता है.

Statements and

1. The Borrower's application dated

and of the credit facilities to be granted by the Bank hereinafter and the Borrower hereby warrants the correctness of each and every statement and particulars therein contained and undertakes to carry out the proposal therein set forth.

सुविधाएं व्यवस्थापत्र द्वारा अधिचालित होंगी.

2. ऋणी घोषणा और पुष्टि करता है कि ऋणी को प्रदान की जाने वाली सहमत उपर्युक्त ऋण सुविधाएं संस्वीकृति/द्वयवस्थापत्र संख्या दिनांक में दिए गए और इसमें यहां दिए गए और साथ ही संबंधित प्रतिभूति प्रलेखों में सन्निहित नियमों एवं शर्तों द्वारा अधिचालित होंगी.

Facilities to be governed by arrangement letter.

2. The Borrower declares and confirms that the aforesaid credit facilities agreed to be granted to the Borrower shall be governed by the terms and conditions as set out in the sanction/arrangement letter No. Rmme dated 21-01-08 as also herein contained, as well as those embodied in the relative security documents.

ब्यौरे में परिवर्तन सूचित किए जाने हैं

3. ऋणी के प्रस्ताव में बताए गए किसी भी ब्यौरे की शुद्धता को प्रभावित करने वाली किसी भी परिस्थिति को उसके होने या घटने पर ऋणी बैंक को तत्काल लिखित रूप में सूचित करने का वचन देता है.

Change in particulars to be notified

3. The Borrower undertakes to notify in writing to the Bank of any circumstances affecting the correctness of any of the particulars set forth in the Borrower's proposal immediately on the happening or occurrence of any such circumstance.

प्रतिभूति प्रलेखों आदि के निष्पादन के संबंध में ऋणी द्वारा प्रसंविदाएं और घोषणा

4. ऋणी घोषणा करता है, प्रतिज्ञा करता है, पुष्टि करता है और प्रसंविदा करता है कि :-

4. The Borrower declares affirms confirms and covenants that :—

क. ऋणी की ओर से इस करार का निष्पादन विधि मान्यत: अधिकृत किया गया है और ऋणी की ओर से प्रतिभूति प्रलेखों का निष्पादन विधिमान्यत: अधिकृत किया जाएगा तथा इस करार में ऋणी के द्वारा मान गए और प्रतिभूति प्रलेखों के अन्तर्गत ऋणी के द्वारा अभिव्यक्त दायित्व उनमें उल्लिखित शर्तों के अनुसार ऋणी के विरुद्ध प्रवर्तनीय ऋणी के विधिमान्य एवं बाध्यकारी दायित्व बनते हैं और बनेंगे

Covenants and declaration by Borrower regarding executors of security documents etc.

(a) the execution on behalf of the Borrower of this Agreement has been and the execution on behalf of the Borrower of the security* documents will be validly authorised and the obligations expressed as being assumed by the Borrower hereinunder and under the security documents by the Borrower constitute and will constitute valid legal and binding obligations of the Borrower enforceable against the Borrower in accordance with their terms;

ख. न तो ऋणी के द्वारा इस करार एवं प्रतिभूति प्रलेखों के निष्पादन और सुपुर्दगी और न ही ऋणी के उसमें या उसमें निहित किसी भी दायित्व का निष्पादन या अनुपालन :

(b) neither the execution and delivery hereof and of the security documents by the Borrower nor the performance or observance of any of obligations of the Borrower hereunder or thereunder shall :

(i) विधि परिनियम, नियम, आदेश, दायित्व, अनुबन्ध या अन्य लिखत व्यवस्था, दायित्व या कर्तव्य जिसके लिए ऋणी प्रतिबंधित है का विरोध करेगा या उनको किसी प्रकार भंग करेगा.

(i) conflict with or result in any breach of law, statute, rule, order, trust, agreement or other instrument, agreement, obligation or duty by which the Borrower is bound; or

(ii) ऋणी को जो भी अधिकार प्राप्त हैं चाहें वह जिस तरह भी प्राप्त हुए हैं उन्हें सीमित करने का कारण बनेगा या जहां ऋणी एक कंपनी है ऋणी के निदेशकों के अधिकारों या सामर्थ्य को बढ़ाए जाने के अधिकारों को लागू करने में उन्हें सीमित करने का कारण बनेगा.

For DILPREET TUBES PVT. LTD

For DILPREET

Executive Director

(ii) cause any limitation on any of the powers whatsoever of the Borrower however imposed, or on the right or ability of the directors of the Borrower where the Borrower is a company to exercise such powers to be exceeded;

ग. ऋणी ने किसी भी विधि, नियम, संकल्प आदेश, बंधक, न्यास, लिखत, करार या अन्य लिखत, व्यवस्था दायित्व या कर्तव्य, के अन्तर्गत जिसके लिए ऋणी प्रतिबन्धित हैं. चूक नहीं की हैं.

(c) the Borrower is not in default under any law, rule, regulation, order, mortgage, trust, instrument, agreement or other instrument, arrangement, obligation or duty by which the Borrower is bound;

गैर कार्पोरेट ऋणी के मामले में विलोपित किया जाना है.

घ. ऋणी के सचिव द्वारा प्रमाणित निगमन प्रमाणपत्र एवं संस्था के बहिर्नियम एवं अंतर्नियम की प्रमाणित प्रतियां सही एवं प्रभावी है और ऋणी इस करार की वैधता अवधि के दौरान बैंक को पूर्व सूचना दिए एवं बैंक की लिखित अनुमति के बिना, उनमें से किसी में भी कोई परिवर्तन नहीं करेगा.

To be deleted in case of non-corporate borrower.

(d) the copies, certified by the Borrower's Secretary, of the Certificate of Incorporation and the Memorandum and Articles of Association of the Borrower are true and effective and the Borrower shall not during the currency of this Agreement cause any alteration to be made in any of them without prior notification to and written consent of the Bank;

गैर कारपोरेट ऋणी के मामले में विलोपित किया जाना है.

ड. ऋणी की प्रदत्त पूँजी एवं उसकी मुक्त प्रारक्षितियों के कुल योग से अधिक राशि का ऋण कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 293 (iडी) के अन्तर्गत निदेशक मंडल को प्राप्त करने से सम्बन्धित सहमति लेने के लिए ऋणी द्वारा दिनांक की साधारण सभा में पारित संकल्प, कार्यविवरण की प्रमाणित प्रतिलिपि जिसे ऋणी द्वारा बैंक को सुपुर्द किया गया है, उपर्युक्त ऋण सुविधाओं को बैंक द्वारा प्रदान करने एवं ऋणी द्वारा प्राप्त करने के लिए पर्याप्त एवं प्रभावी है तथा इस करार की वैधता अवधि के दौरान पर्याप्त एवं प्रभावी रहेगी.

To be deleted in case of non-corporate borrower.

*(e) the resolution passed by the Borrower in general meeting on 20 consenting under Section 293(i d) of the Companies Act, 1956 to the Board of Directors borrowing moneys in excess of the aggregate of the paid up capital of the Borrower and its free re certified copy of the minutes of which has been delivered by the Borrower to the Bank is and, during the currency of this Agreement, shall remain adequate and effective to enable the Bank to grant and the Borrower to receive the credit facilities aforesaid;

च. दिनांक को समाप्त वर्ष 19 के लिए ऋणी के लेखापरीक्षित लाभ और हानि के लेखे और उस तारीख के ऋणी के लेखापरीक्षित तुलनपत्र उस अवधि के लिए ऋणी के कार्यकलापों के परिणामों का और ऋणी की वित्तीय स्थिति का सही और अच्छा चित्र प्रस्तुत करते हैं तथा उस तिथि से ऋणी के कारोबार, आस्तियों एवं परिस्थितियों या परिचालनों पर कोई महत्त्वपूर्ण प्रतिकूल परिवर्तन नही हुआ है.

(f) the audited profit and loss account of the Borrower for the year ended 19 and the audited balance sheet of the Borrower as of that date give a true and fair view of the results of the operations of the Borrower for that period and the financial position of the Borrower as of that date and that there has been no material change adverse to the business, assets, conditions or operations of the Borrower since that date;

For DILPREET TUBES PVT. LTD.
MANAGING DIRECTOR

For DILPREET TUBES PVT. LTD.
Executive Director

छ. ऋणी के विरूद्ध या उसकी किसी आस्ति के विरूद्ध किसी भी न्यायालय, सरकारी प्राधिकरण या अधिनिर्णायक का या उसके समक्ष कोई मुकदमा या प्रशासनिक अथवा मध्यस्थता सम्बन्धी कार्यवाही न इस समय चल रही या लम्बित या सम्भावित है.

(g) no litigation or administrative or arbitration proceedings of or before any court governmental authority or arbitrator is presently taking place pending or threatened against the Borrower or against any of the assets of the Borrower;

ज. इस करार के निष्पादन, सुपुर्दगी, कार्यनिष्पादन, वैधता और प्रवर्तनीयता और/या ऋणी की संस्थापना और व्यवसायिक क्रियाकलापों को जारी रखने तथा उससे संबंधित लेन-देन के संबंध में भारत सरकार और उसके किसी राजनीतिक उपप्रभाग तथा किसी सरकारी मंत्रालय, प्राधिकरण ब्यूरों या ऐजेन्सी और किसी अन्य व्यक्ति या अस्तित्व से अपेक्षित सभी आवश्यक संकल्प, सहमतियां लाईसेंस, अनुमोदन और प्राधिकार विधिवत कर लिया है और वे पूरी तरह लागू और प्रभावी हैं और ऋणी द्वारा बैंक को विदेशी मुद्रा में किए जाने वाले इसके अधीन सभी भुगतानों के संबंध में ये भारतीय से कर तथा किसी सरकार या उसके कराधान प्राधिकारी द्वारा निर्धारित या लगाये गए किन्हीं अन्य करों को रोकने के लिए मुक्त हैं और वियुक्त हैं.

(h) all necessary resolutions, consents, licenses, approvals and authorisations of the Government of India and any political subdivision thereof and of any governmental ministry, authority, bureau or agency and of any other person or entity required in connection with execution, delivery, performance, validity and enforceability of this Agreement and/or the establishment and continuance of the business activity of the Borrower and the transactions relating thereto have been duly obtained and are in full force and effect and in respect of all payments to be made by the Borrower to the Bank hereunder in foreign currencies are exempt and exonerated from Indian withholding tax and any other taxes assessed or imposed by any Government or taxing authority thereof;

झ. बैंक द्वारा विदेशी मुद्राओं में दी गई/दी जाने वाली ऋण सुविधाओं के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक का अनुमोदन विधिवत प्राप्त कर लिया गया है और उसकी एक प्रमाणित प्रतिलिपि बैंक को सुपुर्द की गयी है.

(i) the approval of the Reserve Bank of India in respect of credit facilities granted/to be granted by the Bank in foreign currencies has been duly obtained and a certified copy thereof has been delivered to the Bank;

ञ. विदेशी मुद्रओं में ऋण सुविधाओं और उनकी अदायगी के संबंध में जो भी आवश्यक या उपयुक्त कार्रवाई हो सकती है या होती है वे सभी कार्रवाई करेगा या करवाएगा ताकि इसके अधीन ऋणी की सभी अदायगियों और दायित्वों के उन्मोचन के लिए इन विदेशी मुद्राओं की तत्काल उपलब्धता सुनिश्चित हो सके.

(j) to take or cause to be taken in respect of credit facilities and repayments thereof in foreign currencies all action which may be or become necessary or appropriate in order to ensure the immediate availability of such foreign currencies for all repayments and discharge of the obligations of the Borrower hereunder;

ट. ऋणी द्वारा चूक करने पर बैंक निम्नलिखित कार्रवाई कर सकता है :-

For DILPREET TUBES PVT. LTD.
MANAGING DIRECTOR

For DILPREET TUBES PVT. LTD.
Director

(k) in the event of default by the Borrower the Bank may;

(i) भारत या विदेश स्थित किसी भी शाखा में और किसी भी मुद्रा में ऋणी के किसी भी खाते में जमा शेष को ऋणी से बैंक को देय प्रथम बार या इसके अधीन किसी भी राशि (चाहें मूलधन, ब्याज या अन्यथा हो) को पूरा करने हेतु उपयोजन और/या विनियोजन और/या मुजरा कर सकता है और.

(i) apply and/or appropriate and/or set off any credit balance standing upon any account of the Borrower with any branch of the Bank in India or abroad and in whatever currency first in or towards satisfaction of any sum (whether of principal, interest or otherwise) due to the Bank from the Borrower hereunder and;

(ii) ऋणी के मुख्तार के रूप में ऋणी के नाम से बैंक ऐसे सभी कार्य कर सकता है और ऐसे सभी दस्तावेज निष्पादित कर सकता है जिन्हें बैंक इस प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन समझे.

(ii) in the name of the Borrower as the attorney of the Borrower to do all such acts and execute all such documents as the Bank may consider necessary or expedient in this regard:

यदि पहले से कोई बंधक या प्रभार न हो तो इसे विलोपित किया जाना है

To be deleted if there are no prior mortgages or charges

ठ. निम्नलिखित को छोड़ कर ऋणी की अनाहूत पूँजी सहित सम्पूर्ण उपक्रम या उसके किसी भाग या वर्तमान या भावी आस्तियों पर किसी प्रकार का बंधक, प्रभार, दृष्टि बंधक, रहन, पुनर्ग्रहणाधिकार, विल्लंगम या अन्य प्रतिभूति हित विद्यमान नहीं है.

(l) there exists no mortgage, charge, hypothecation, pledge, lien, encumbrance or other security interest whatsoever over the whole or any part of the undertaking or assets, present or future, including uncalled capital of the Borrower *except the following :

। अपवादों की सूची ।

(LIST OF EXCEPTIONS)

सुविधाएं बैंक के एकमात्र विवेकाधिकार के अन्तर्गत प्रदान की जानी है

5. बैंक अपने एकमात्र और पूर्ण विवेकाधिकार के अंतर्गत ऋणी को सभी या कुछ या कोई भी पूर्वोक्त ऋण सुविधा दे सकता है जो भारतीय या विदेशी मुद्राओं में ओवर मांग ऋण, ऋण, कैश-क्रेडिट (लाक एण्ड की प्रकार से, फैक्ट्री प्रकार से या मंडी प्रकार से बंधक करके या दृष्टिबंधक के रूप में या कार्यशील पूँजी, मीयादी ऋण सहित किसी अन्य रूप में) मीयादी ऋण (ब्याज के या निधीकरण पुनर्वास पैकेज के भाग के रूप में किसी अन्य प्रकार से प्रदान किए गए सहित) पोतलदान पूर्व और पोतलदानोत्तर ऋण साख पत्र जारी करना आस्थगित भुगतान गारंटियों और क्षतिपूर्ति गारंटियों सहित गारंटियां जारी करना मांग और/या मीयादी बिलों और देशीय या विदेशी चैकों का पराक्रमण तथा भुनाना और अन्य ऐसी सुविधा हो सकती हैं जिनके बारे में समय-समय पर ऋणी और बैंक के बीच सहमति हो और जिसकी कुल राशि किसी एक समय रूपये (रूपये मात्र) से अधिक नहीं होगी और यह* पर या भारत और/या विदेश में स्थित बैंक की किसी एक या अधिक शाखाओं या बैंक के किसी एक या अधिक सहयोगी बैंको की किसी एक या अधिक शाखाओं से उपलब्ध हो सकेगी.

Facilities to be granted at the sole discretion of Bank

5. The Bank may at its sole and absolute discretion grant to the Borrower all or some or any of the aforesaid credit facilities either in Indian or foreign currencies by way of overdrafts, demand loans, loans, cash credits (by way of pledge lock and key type, factory type or mundy type or by way of hypothecation or in any other form

For DILPREET TUBES PVT. LTD.

MANAGING DIRECTOR

For DILPREET TUBE... LTD.

Executive Director

including working capital term loan), terms loans (including funding of interest or in any other form granted as part of rehabilitation packages), pre-shipment and post-shipment credits, opening of letters of credit, issuing of guarantees including deferred payment guarantees and indemnities, negotiation and discounting of demand and/or usance bills and cheques Inland as well as foreign and such other facilities as may be agreed upon, from time to time, for sums not exceeding at any one time in the aggregate the sum of Rs. 12.50 Crores (Rupees Twelve Crores fifty Lakhs only) to be made available at* Balanagar Hyderabad or at any one or more branches of the Bank or at any one or more branches of any one or more Associate Banks of the Bank in India and/or abroad.

सुविधाओं का विस्तार या जारी रखना बैंक एकमात्र विवेकाधिकार के अन्तर्गत किया जाना है

6. बैंक के एकमात्र और पूर्ण विवेकाधिकार के बिना ऋणी को दी गई या दी जाने वाली उपरोक्त किसी भी ऋण सुविधा का विस्तार या उन्हें जारी रखना बैंक से अपेक्षित नहीं होगा और किसी भी परिस्थिति में किसी एक समय में ऋण की सीमा उस पर ब्याज और अन्य लागत, यदि कोई हो, की समग्र राशि के उस सीमा से अधिक नहीं होगा जिसे बैंक समय समय पर प्रत्येक ऋण सुविधा या समग्र सुविधा के लिए निर्धारित करे.

Facilities to be extended or continued at the sole discretion of Bank

6. The Bank shall not be required to extend or continue any of the aforesaid credit facilities granted or to be granted to the Borrower otherwise than at the Bank's sole and absolute discretion and in no circumstances to an amount at any one time exceeding in the aggregate with the interest thereon and other costs, if any, such limit as the Bank may, from time to time, decide in respect of each facility or in the aggregate.

ऋणी की सम्पत्तियां प्रभारित की जानी है.

7. बैंक को ऋणी से रू. की कथित राशि और उस पर ब्याज और लागत प्रभार खर्चे तथा उपरोक्त ऋण सुविधाओं के अन्तर्गत या उनके संबंध में ऋणी द्वारा बैंक को देय तथा संदेय अन्य राशियों के भुगतान और उन्मोचन क लिऐ ऋणी तथा आवश्यकतानुसार निम्नांकित को जमानत के रूप में बैंक के पक्ष में प्रभारित करेगा:

Borrower's properties to be secured

7. As security for payment and discharge by the Borrower to the Bank of the said sum of Rs. 12.50 Cr and interest and costs, charges, expenses and other monies due and payable by the Borrower to the Bank under or in respect of the aforesaid credit facilities or any of them the Borrower shall, as may be required, create in favour of the Bank :

क. ऋणी की सभी वर्तमान और भावी दोनों अचल सम्पत्तियों पर बैंक को स्वीकार्य रूप में बंधक, और

(a) a mortgage in a form satisfactory to the Bank of all the Borrower's immovable properties both present and future; and

ख. ऋणी का सम्पूर्ण माल, चल सपंत्तियां और वर्तमान एवं भावी आस्तियां जिसमें माल पर हक दस्तावेज एवं अन्य आस्तियां सम्मिलित है जैसे बही ऋण बकाया राशियां, प्राप्य राशिया जिसमें नकद प्रोत्साहन योजना या अन्य किसी योजना के अंतर्गत नकद सहायता और/या नकद प्रोत्साहन द्वारा प्राप्य राशियां सम्मिलित है, दावे जिनमें शुल्क वापसी जमा योजना या अन्य किसी योजना के अंतर्गत सीमा शुल्क/उत्पादन शुल्कों की वापसी द्वारा दावे सम्मिलित हैं, हुण्डियां, बीजक, प्रलेख, संविदा, बीमा पालसियां, गारंटियां, वचन बंधक, प्रतिभूतियां, निवेश तथा अनाहूत पूँजी का अधिकार, और उस रूप में जिसमें बैंक को संतोषजनक जान पड़े सभी वर्तमान तथा भावी मशीनरी को दृष्टिबंधक और/या रहने के द्वारा प्रथम प्रभार.

(b) a first charge by way of hypothecation and/or pledge of the Borrower's

For DILPREET TUBES PVT. LTD.
MANAGING DIRECTOR

For DILPREET TUBES PVT. LTD.
Executive Director

entire goods, movables and other assets present and future including documents of title to the goods and other assets, such as book-debts outstanding moneys, receivables including receivables by way of cash assistance and/or cash incentives under the Cash Incentive Scheme or any other Scheme, claims, including claims by way of refund of customs/excise duties under the Duty Drawback Credit Scheme or any other Scheme, bills, invoices, documents, contracts, insurance policies, guarantees, engagements, securities, investments and rights uncalled capital and all machinery present and future of such form satisfactory to the Bank.

ऋणी को व्यक्तिगत गारंटियां उपाप्त करनी

8. यदि आवश्यकता पड़े तो ऋणी उपरोक्त ऋण सुविधाओं के अंतर्गत या उनके सम्बन्ध में ऋणी द्वारा बैंक को देय रूपये की राशि और ब्याज, सारी लागतों, प्रभारों, खर्चों और अन्य देय राशियों और ऋणी द्वारा भुगतान की जाने वाली राशियों के भुगतान और उन्मोचन के लिए बैंक द्वारा निर्धारित फार्म में अपने निदेशकों और/या अन्य व्यक्तियों से प्रतिसंहरणीय और शर्त रहित गारंटिया प्राप्त करेगा.

Borrower to procure personal guarantees

8. The Borrower shall if required, procure irrevocable and unconditional guarantees from its Directors and/or others for the payment and discharge by the Borrower to the Bank of the sum of Rs. 12.50 cr and interest all costs charges and expenses and other monies due and payable by the Borrower to the Bank under or in respect of the aforesaid credit facilities in the form prescribed by the Bank.

प्रतिभूति को स्वीकारने या अस्वीकार करने का बैंक अधिकार

9. बैंक को यह निर्णय करने का पूर्ण अधिकार होगा कि उपरोक्त ऋण सुविधाओं में से किसी/कुछ/सभी के लिए ऋणी द्वारा बैंक को समय-समय पर प्रतिभूति के रूप में दिए जाने वाले किसी भी माल, बही ऋणों, चल सम्पत्तियों या अन्य आस्तियों को स्वीकार करे या न करे, बैंक अपने एक मात्र विवेकाधिकार से इस बात के लिए कभी भी स्वतंत्र होगा कि वह बिना पूर्व सूचना के और बिना पूर्व सूचना के और बिना कोई कारण बताए जो भी हो ऋणी से प्रतिभूति स्वीकार करना बंद कर दे और/या उसके प्रति अग्रिम देना बंद कर दे.

Right of Bank to accept or reject security

9. The Bank shall have the absolute right to decide whether or not it will accept as security for the purpose of any/some/all of the aforesaid credit facilities any goods, book-debts, movables and other assets offered from time to time to the Bank by the Borrower. The Bank shall be at liberty at its sole discretion at any time without previous notice and without previous notice and without assigning any reason whatsoever to cease to accept the security from the Borrower and/or to cease making advance thereagainst.

सम्पतियों के मूल्यांकन का आधार

10. दृष्टिबधंक और/या गिरवी रखा गया सारे माल, बही ऋणों, चल सम्पत्तियों और अन्य आस्तियों का मूल्यांकन उपयुक्त दरों पर किया जाएगा चाहें उनका निर्धारण बैंक ने किया हो या न किया हो और ऋणी उनका अतिमूल्यांकन नहीं करेगा, देशीय कच्चा माल/पैकिंग सामग्री/उपभोज्य सामान/अतिरिक्त कल पुर्जो का मूल्यांकन प्रचलित बाजार दर या बीजक की दर या सरकार द्वारा नियंत्रित दर इनमें से जो भी सबसे कम हो, उस पर किया जाएगा, आयातित कच्चे माल का मूल्यांकन सीमा पर उतराई लागत (अर्थात बीजक मूल्य और सीमा शुल्क सहित परंतु उसमें बिक्री कर और विलंब शुल्क शामिल नहीं होगा) या बाजार मूल्य इनमें जो भी कम हो पर किया जाएगा. अर्ध निर्मित माल का मूल्यांकन लागत या बाजार मूल्य या सरकार द्वारा नियंत्रित दरों या बिक्री मूल्य इनमें जो भी सबसे कम हो पर किया जाएगा. बैंक को इस बात की छूट होगी कि वह उपयुक्त दृष्टिबधंक और/या गिरवी किसी भी माल, बही ऋणों, चल सम्पत्तियों और अन्य आस्तियों का मूल्यांकन, बैंक द्वारा नियुक्त मूल्याकंक से करवा ले और ऋणी ऐसे मूल्याकंन के लिए ऐसे मूल्यांकन को सारी आवश्यक सहायता/सहयोग देने के लिए सहमत हैं और इस की पुष्टि करता है और इस प्रकार का मूल्यांकन ऋणी पर बाध्यकारी

Basis of val properties

प्रतिभूति के सौंपी गई पूर्व प्रभारों निर्बाध संप चाहिए.

बिक्री बंध करने का

Propertie security t absolute from pri

Underta sell mor

बैंक की से बिक्री

For DILPREET TUBES PVT. LTD.
MANAGING DIRECTOR

For DILPREET TUBES PVT. LTD.
Executive Director

होगा और इस मूल्यांकन की फीस और खर्चे ऋणी द्वारा वहन किए जाएगे और यह राशि ऋणी के किसी भी खाते/खातों में नामे की जा सकती है.

Basis of valuation of properties

10. All the goods book-debts movables and other assets hypothecated and/or pledged shall be valued at the proper rates whether fixed by the Bank or not and the Borrower shall not overvalue the same. Indigenous raw materials/packing material/consumable stores/spares shall be valued at current market rates or invoice rates or Government controlled rates whichever are the lowest. Imported raw materials shall be valued at landed cost (i.e. invoice plus customs duty but exclusive of sales-tax and demurrage) or market price whichever is lower. Semi-finished goods shall be valued at cost or market price or Government controlled rates or selling price whichever are the lowest. The Bank shall be at liberty to have any goods book-debts movables and other assets hypothecated and/or pledged as aforesaid valued by an appraiser appointed by the Bank and the Borrower agrees and confirms to give all the required assistance/co-operation to such appraiser for such valuation and the said valuation shall be binding on the Borrower and the fees and expenses of such appraisal shall be borne by the Borrower and may be debited to any account(s) of the Borrower.

प्रतिभूति के रूप में सौंपी गई सपंत्तियां पूर्व प्रभारों से मुक्त निर्बाध संपत्तिया होनी चाहिए.

11. ऋणी इस बात की घोषणा करता है और आश्वासन देता है कि वे सभी अचल संपत्तियाँ जिनका बंधक और सभी माल, बही ऋण, चल संपत्तियां और अन्य आस्तियां जिनका दृष्टिबंधक और/या गिरवी बैंक को किया जाना है वह पूर्णतः ऋणी की संपत्तियां है और ऋणी उनका एकमात्र अधिकारी है और जो किसी भी पूर्व प्रभार ग्रहणाधिकार या विल्लंगम से मुक्त हैं सिवाय ऐसे प्रभार ग्रहणाधिकार या विल्लंगम के जिसे बैंक को सूचित किया गया है और इसके प्रभार पर प्राथमिक अधिकार मानकर इस बैंक ने स्वीकार किया है और यह भी कि सभी भावी अचल संपत्तियाँ और माल बही ऋण, चल संपत्तियाँ और अन्य आस्तियाँ जो जमानत के रूप में बैंक को दी जानी है इसी प्रकार ऋणी की विलंगम रहित पूर्ण अधिकार में एवं विक्रय योग्य सम्पत्ति होगी और ऋणी बैंक से लिखित पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना अपनी किसी भी सपंत्ति को पट्टे पर न देगा या न बेचेगा या न उसको बदलेगा या बैंक को छोड़कर ऋणी इन पर या अपने उद्यम और आस्तियों (अनाहूत शेयर पूँजी या उसके किसी भाग को मिलाकर) पर कोई बधंक, प्रभार धारणाधिकार या अन्य किसी प्रकार के विल्लंगम का सृजन नहीं करेगा और उक्त को या उक्त के किसी भाग को प्रभावित करने वाले ऐसे किसी बंधक प्रभार, धारणाधिकार या विल्लंगम को न तो होने देगा और जब तक ऋणी बैंक के प्रति किसी भी प्रकार ऋणग्रस्त रहता है या उसे कोई राशि चुकानी है तब तक न ही वह कोई ऐसा काम करेगा या करने देगा जिससे उस जमानत पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े.

बिक्री बंधक इत्यादि न करने का वचन

Properties offered as security to be absolute property free from prior charges..

11. The Borrower declares and assures that all immovable properties to be mortgaged and all goods book-debts, movables and other assets to be hypothecated and/or pledged to the Bank are the absolute properties of the Borrower at the sole disposal of the Borrower and free from any prior charge, lien or encumbrance except suchcharge, lien or encumbrance as have been notified to the Bank and accepted by it as having priority over its charge and that all the future immovable properties and goods, book-debts, movables and other assets to be given as security to the Bank shall be likewise the unencumbered absolute and disposable property of the Borrower and the Borrower shall not without the Bank's prior written permission lease or sell or exchange or create any mortgage, charge, lien or encumbrance of any kind upon or over the same or on its undertaking and assets (including uncalled share capital or any part thereof) except to the Bank nor suffer any such mortgage, charge, lien or encumbrance to affect the same or any part thereof nor do or allow anything that may prejudice the security while the Borrower remains indebted or liable to the Bank in any manner.

Undertaking not to sell mortgage etc.

बैंक की पूर्व अनुमति से बिक्री करना

12. इस करार के अंतर्गत किन्ही जमानती प्रलेखों के अन्तर्गत या अन्यथा बैंक के अधिकारों, शक्तियों और विवेकाधिकार के सदैव अध्यधीन ऋणी बैंक के लिखित पूर्व

For DILPREET T... PVT. LTD.
MANAGING DIRECTOR

For DILPREET TUBES PVT. LTD.
Executive Director

अनुमोदन के साथ और अपने कारोबार के दौरान समय-समय पर माल, चल संपत्तियां और अन्य आस्तियाँ बेच सकता हैं और बही ऋण प्राप्त कर सकता हैं जिनको बैंक के पास दृष्टिबंधक, बंधक या प्रभारित किया जा सकता है/किया गया हैं बशर्ते बैंक द्वारा अपेक्षित प्रतिभूति का मार्जिन सदैव पूरी तरह बनाए रखा जाए और भुगतान की शर्तों पर हो और उसके आगम बैंक को प्रदान किए जाए और स्पष्ट वचन बद्धता पर कि इन प्रलेखों के अंतर्गत प्रभारित प्रतिभूतियों और उनकी सभी प्राप्तियां, वसूलियां, और बीमे के आगम और उनके संबंध में सभी अधिकार और हित और उनके लिए सभी दस्तावेज अलग से रखे जाएगे और उन्हें बैंक की अन्य संपत्ति के रूप में विशेष रूप से उसके अधीन की गई प्रतिभूति को बैंक के निदेशानुसार ही काम में लाने के लिए रखा जाएगा, यह भी सहमति हुई है कि ऋणी बैंक के पक्ष में दृष्टिबंधक, बंधक या अन्य किसी रूप में प्रभारित की गई मशीनों को अच्छी दशा में रखेगा और ऐसे सारे कार्य करेगा या करवाएगा जो उक्त मशीनों को अच्छी दशा में रखने के लिए आवश्यक हो, परन्तु बैंक अपने पूर्ण विवेकाधिकार के अनुसार, यद्यपि वह ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं है, ऐसी राशि खर्च कर सकता है जो इन मशीनों को अच्छी दशा में और बैंक के अधिकार में रखने के लिए और प्रतिभूति के संरक्षण के लिए खर्च करनी आवश्यक हो और इस प्रकार खर्च की गई राशि मागें जाने पर ऋणी द्वारा बैंक को अदा की जाएगी और यदि इस राशि का भुगतान नहीं किया जाता तो इसे ऋणी के उस खाते में नामे डाला जाएगा जो बैंक में उपरोक्त ऋण सुविधाओं के सिलसिले में खोला हो और और इस पर नियमानुसार ब्याज लगेगा. तथापि यह बात स्पष्ट है कि ऋणी बैंक की लिखित पूर्व सहमति पहले से प्राप्त किए और लिए बिना यदि परिसर में लगी हुई बैंक के नाम बंधक संयंत्र और मशीनें हटाता है तो वह वहीं उसी प्रकार की और उसी मूल्य की मशीने, संयंत्र फिक्सचर और वस्तुएं लगाएगा. बशर्ते यदि बैंक ने लिखित रूप से यह बात स्वीकार कर ली हो कि इस प्रकार हटाई गई उपरोक्त कोई मशीन, संयंत्र या वस्तु अनावश्यक पुरानी और बेकार हो गई थी और उसके स्थान पर दूसरी मशीन संयंत्र लगाने की जरूरत नहीं है तो उसे बेचा जा सकता है और बिक्री से प्राप्त राशि बैंक को देय भुगतान राशि/राशियों को पूरा करने के लिए उपयोजन की जा सकती है.

प्रतिभूति का आवश्यक मार्जिन बनाए रखना

प्रभारित मशीन को अच्छी दशा में रखना

संयंत्र और मशीनें न हटाया जाना

Not to remove plant and machinery

प्रभारित संपत्ति रजिस्टर रखना

बैंक द्वारा ऐसे रजिस्टरों के की स्वतंत्रता.

To keep regi properties ch

Such regist for inspecti Bank

बैंक द्वारा पर ब्याज अधिकार

Right to c interest a as may b by the Ba

To sell with prior approval of Bank

To maintain required margin of security

To keep charged machinery in good condition

12. Subject always to the Bank's rights, powers and discretion under this Agreement, any security documents or otherwise the Borrower may with the prior written approval of the Bank and in due course of business sell from time to time the goods movables and other assets and receive the book-debts which may be/have been hypothecated, pledged mortgaged or charged to the Bank provided the margin(s) of security required by the Bank are always fully maintained and on the terms of payment and delivery to the Bank of the proceeds thereof and on the express understanding that the security created thereunder and all realisations, recoveries and insurance proceeds thereof and all rights and interest in respect thereof and all documents therefore shall always be kept distinguishable and held as the Bank's exclusive property specifically appropriated to the security created thereunder to be dealt with only in accordance with the directions of the Bank. It is further agreed that the Borrower shall-keep the machinery charged to the Bank by way of hypothecation, pledge or otherwise in good condition and shall do or cause to be done all acts and things necessary to keep the said machinery in good condition, provided that the Bank in its absolute discretion, without being bound to do so, spend such money as may be necessary to maintain its undisturbed possession of the said machinery and to preserve the security and the moneys so spent shall on demand be paid by the Borrower to the Bank and until payment shall be debited to the accounts opened by the Bank in respect of the aforesaid credit facilities and carry interest accordingly. It is, however, understood that the Borrower shall not without the written consent of the Bank first had and obtained remove the plant and machinery attached to the premises, if any, mortgaged to the Bank and in case of such removal shall replace the same by machinery, plant and fixtures and things of equivalent nature and value, provided that in the event of the Bank agreeing in writing that any machinery plant or things as aforesaid so removed was redundant or became worn

For DILPREET TUBES PVT. LTD.

MANAGING DIRECTOR

For DILPREET TUBES PVT. LTD.

Executive Director

Not to remove place and machinery

out or absolute and need not be replaced the same may be sold and the sale proceeds applied towards the satisfaction or payment of the amount(s) due to the Bank.

प्रभारित संपत्तियों, के रजिस्टर रखना

13. उर्प्युक्त प्रत्येक ऋण सुविधाओं के सम्बन्ध मे बैंक को दृष्टिबधंक/गिरवी/बंधक या अन्य रूप से प्रभारित अचल संपत्तियों और माल बही ऋणों, चल संपत्तियों और अन्य आस्तियों के रजिस्टर ऋणी द्वारा रखे जाएगें और इन रजिस्टरों में ऐसी अचल संपत्तियों और माल, बही ऋणों, चल संपत्तियों और अन्य आस्तियों का ब्योरा भी होगा जिन्हें बैंक चल संपत्तियों और अन्य आस्तियों का ब्यौरा होगा जो दृष्टिबंधक, गिरवी बंधक या अन्य किसी प्रकार से प्रभारित हैं और/या ऐसी अचल संपत्तियों और माल, बही ऋणों, चल संपत्तियों और अन्य आस्तियों का ब्योरा भी होगा जिन्हें बैंक ने मुक्त कर दिया है और ऋणी द्वारा वापस ले लिया गया है. बैंक को किसी भी समय इन रजिस्टरों का निरीक्षण करने की स्वतंत्रता होगी और यदि बैंक चाहे तो ऋणी द्वारा बैंक को प्रति दिन या ऐसे अंतराल पर, जिसका आदेश समय समय पर बैंक दे सकता हैं उन सभी प्रविष्टियां की अनुसूची या प्रति देगा, जो इन रजिस्टरों में की गई हैं.

बैंक द्वारा ऐसे रजिस्टरों के निरीक्षण की स्वतंत्रता.

To keep registers of properties charges

13. Registers of immovable properties and goods book-debts, movables and other assets hypothecated/pledged/mortgaged or otherwise charged to the Bank shall be kept by the Borrower in respect of each of the aforesaid credit facilities and such registers shall contain all particulars of such immovable properties and goods book-debts movables and other assets hypothecated, pledged, mortgaged or otherwise charged and/or such immovable properties and goods book-debts,movables and other assets as have been released by the bank and withdrawn by the Borrower. Such Registers shall at all times be open for inspection of the Bank and the Borrower shall if so required by the Bank furnish to the bank daily or at such intervals as the Bank may direct from time to time a schedule or copy of all the entries which shall have been made in the said Registers.

Such registers open for inspection by the Bank

बैंक द्वारा निर्धारित दरों पर ब्याज लगाने का अधिकार

14. उपरोक्त ऋण सुविधाओं के संबंध में खोले गए खातों की बकाया राशियों पर ब्याज उन दरों पर लगाया जाएगा जो ऋणी को प्रदत्त किसी आतंरिक ऋण पात्रता या अन्यथा के आधार पर भी बैंक के पूर्ण विवेकाधिकार के अधीन समय-समय पर निर्धारित की जा सकती हैं परन्तु यह दर/दरें स्टेट बैंक अग्रिम दरों में परिवर्तनों और/या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज की दरों में समय-समय पर परिवर्तनों के अध्यधीन होंगी ।

Right to charge interest at such rate(s) as may be determined by the Bank

14. Interest shall be charged on the outstanding(s) in the accounts opened n respect of the aforesaid credit facilities at such rate(s) as may be determined by the Bank from time to time at the Bank's sole discretion on the basis of any internal credit rating accorded to the Borrower or otherwise provided also that the rate(s) shall be subject to changes in the State Bank Advance Rate and/or changes in interest rates prescribed by the Reserve Bank of India from time to time.

बैंक द्वारा निर्धारित दरों पर ब्याज लगाने का अधिकार सरकार और/या भारतीय रिजर्व बैंक और/या किसी एजेन्सी द्वारा समय समय पर बनाई गई ब्याज सहायकी योजना या किसी अन्य योजना के अंतर्गत बैंक द्वारा ऋणी को प्रदान की गई ऋण सुविधाओं के कारण जहां बैंक रियायती दर या दरों पर ब्याज लगाता है तो ऋणी इस बात की सहमति देता है घोषणा करता है, पुष्टि करता है और प्रतिज्ञात करता है कि यदि इस योजना या इन योजनाओं को वापिस ले लिया जाता है या आशोधित कर दिया जाता है और/या उनमें कोई फेर बदल होता है तो ब्याज की रियायती दर या दरें वापिस ले ली जाएंगी और ऐसी ऋण सुविधाओं पर तात्विक समय पर लागू बैंक के ब्याज की सामान्य दर या दरें प्रभावी होंगी और बैंक को यह अधिकार होगा कि वह ऋणी से ऐसी दर या दरों पर ब्याज ले सके और ऋणी बैंक द्वारा मांग करने पर तात्विक समय पर इन ऋण सुविधाओं पर लागू होने वाले ब्याज की सामान्य दर या दरों और ब्याज की रियायती दर या दरों के बीच के अंतर की राशि का भुगतान करे और यह अन्तर की राशि ऋणी द्वारा बैंक को उस तिथि से देय हो जाएगी जबसे ऐसी योजना/योजनाएं वापिस ली गई हों, उनमें आशोधन किया गया हो

For DILPREET TUBES PVT. LTD.

MANAGING DIRECTOR

For DILPREET TUBES PVT. LTD.

Executive Director

और या उनमें कोई फेरबदल किया गया हो, ब्याज का आकलन ऐसे खाते या खातों की क्रमशः दैनिक शेष राशि पर किया जाएगा और इसे मास या तिमाही के अंतिम कार्यदिवस को जैसा भी बैंक में प्रचलित हो नामे कर दिया जाएगा बैंक को अपने विवेकाधिकार से खाते/खातों की या तो सारी बकाया राशि पर या उसके किसी एक भाग पर जिसे बैंक कोई अनियमितता के लिए और उस अनियमितता के जारी रहने वाली अवधि के लिए या बैंक अनियमितता के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए जिस अवधि को आवश्यक समझे इस बढ़ी हुई दरों से ब्याज निर्धारित करने का अधिकार भी होगा, और इस प्रकार ब्याज को बढ़ी हुई दर लेने के कारण बैंक के अन्य अधिकारों या उपचारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा.

ब्याज की दर में वृद्धि करने का अधिकार

Where interest is charged by the Bank at a concessionary rate or rates because of the credit facilities being granted by the Bank to the Borrower under the Interest Subsidy Scheme or any other Scheme(s) formulated by the Government and/or Reserve Bank of India and/or any authority from time to time, the Borrower agrees, declares, confirms and affirms that in the event of the withdrawal, modification and/or variation of such Scheme(s), the concessionary rate or rates of interest shall stand withdrawn and the usual rate or rates of interest of the Bank applicable at the material time to such credit facilities shall become effective and the Bank shall become entitled to charge the Borrower such rate or rates of interest and the Borrower shall pay to the Bank on demand the difference between such concessionary rate or rates and the usual rate or rates of interest of the Bank applicable at the material time to such credit facilities and such difference shall become due and payable by the Borrower to the Bank from the date the withdrawal, modification and/or variation of such Schemes(s) becomes effective. Interest shall be calculated respectively on the daily balance of such account(s) and be debited thereto on the last working day of the month or quarter according to the practice of the Bank. The Bank shall also be entitled to charge at its own discretion such enhanced rates of interest on the account(s) either on the entire outstandings or on a portion thereof as it may fix for any irregularity and for such period as the irregularity continues or for such time as the Bank deems it necessary regard being had to the nature of the irregularity and the charging of such enhanced rate of interest shall be without prejudice to the Bank's other rights and remedies.

Right to enhance the rate of interest

पर्याप्त प्रतिभूति बनाए रखना.

15. दृष्टिबंधक गिरवी बंधक या अन्यथा रखी गई प्रतिभूति के संबंध में ऋणी हर समय माल बही ऋणों, चल संपत्तियों और अन्य आस्तियों की पर्याप्त मात्रा और बाजार मूल्य बनाए रखेगा और उन सभी अचल संपत्तियों का बाजार मूल्य भी बनाए रखेगा जो प्रतिभूति के रूप में दी गई हों जिससे कि समय समय पर बैंक द्वारा अपेक्षित प्रतिभूति का मार्जिन उपलब्ध रहे और इस मार्जिन को बनाए रखने के लिए जब भी आवश्यक हो, ऋणी तुरंत अतिरिक्त माल, बही ऋण, चल आस्तियां और अन्य प्रतिभूति (बैंक द्वारा अनुमोदित) प्रदान करेगा या बैंक को उसके मूल्य के बराबर राशि का नकद भुगतान बैंक द्वारा जारी किए गए साखपत्र या गारंटियों या क्षतिपूर्तियों के सम्बन्ध में ऋणी बैंक द्वारा निर्धारित मार्जिन राशि के रूप में पर्याप्त नकद या बैंक को स्वीकार्य अन्य प्रतिभूति जमा करेगा. बैंक को यह अधिकार होगा और वह अपने विवेकाधिकार से जो अंतिम होगा और ऋणी पर बाध्यकारी होगा मार्जिनों में परिवर्तन कर सकता है और बैंक द्वारा पहले से सहमत किन्ही मार्जिनों के होते हुए भी ऋणी इस पर बाध्यकारी होगा.

बैंक को मार्जिन में परिवर्तन करने का अधिकार है

To maintain sufficient security

15. In respect of security created by way of hypothecation/pledge/mortgage or otherwise the Borrower shall at all times maintain a sufficient quantity and market value of goods, book-debts, moveables and other assets and also all immovable properties given as security, to provide the margins of security required by the Bank from time to time and will forthwith whenever necessary provide further goods book-debts, movables assets and other security (approved by the Bank) to restore such margins or pay to the Bank the equivalent amount in cash. In respect of letters of credit opened or guarantees or indemnities issued by the Bank on behalf of the

For DILPREET TUBES PVT. LTD.
MANAGING DIRECTOR

For DILPREET TUBES PVT. LTD.
Director

Bank entitled to change margin

सुविधाओं को र उद्देश्यों के लि प्रयोग करना.

To utilise faci for agreed pu

सम्पत्तियों को दशा में रखना कर आदि का करना.

To keep p good con pay rates

Bank ent repair, p etc.

व्यवसा हित रख

Bank entitled to change margin

Borrower, the Borrower shall deposit sufficient cash or other security as may be acceptable to the Bank as margin money as stipulated by the Bank. The Bank shall be entitled to and shall at its discretion, which shall be final and binding on the Borrower, change the margins and the Borrower shall be bound by it notwithstanding any margins earlier agreed to by the Bank.

सुविधाओं को सहमत उद्देश्यों के लिए प्रयोग करना.

16. ऋणी स्पष्ट रूप से इस बात को स्वीकार करता है और इस बात का वचन देता है कि पूर्वोक्त सभी ऋण सुविधाओं या उनमें से किसी का भी प्रयोग अनन्य रूप से ऋणी के प्रस्ताव में बताए गए उद्देश्यों के लिए किया जाएगा उनका प्रयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा और बैंक की लिखित स्वीकृति प्राप्त किए बिना उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा.

To utilise facilities for agreed purpose

16. The Borrower expressly agrees and undertakes that all the aforesaid credit facilities or any of them shall be utilised exclusively for the purposes set forth in the Borrower's proposal and for no other purpose and no change shall be made therein without the written sanction of the Bank.

सम्पत्तियों को अच्छी दशा में रखना रेट्स, कर आदि का भुगतान करना.

17. ऋणी समय-समय पर और उपरोक्त ऋण सुविधाओं या उनमें से किसी एक के जारी रहने के दौरान हर समय इस करार या किसी अन्य सम्बद्ध प्रतिभूति दस्तावेजों में निर्दिष्ट और उल्लिखित सारी संपत्तियां, माल, मशीनें और अन्य आस्तियों को अच्छी चालू हालत में रखेगा और उनकी आवश्यक मरम्मत आदि की व्यवस्था करेगा और इन पर वर्तमान में और भविष्य में देय भूमि का किराया, रेट्स, कर और निर्धारित कर देय होते ही तुरन्त अदा करेगा और साथ ही कारोबार से सम्बद्ध बिजली के सारे खर्चे, नगरपालिका के कर और अन्य सभी प्रभार और निर्धारित कर नियमित रूप से समय पर अदा करेगा और यदि ऋणी प्रतिभूति के रूप में बैंक को प्रभारित की गई उपर्युक्त संपत्तियों, माल, मशीनों और अन्य आस्तियों या उनके किसी भाग को अच्छी और आवश्यक मरम्मत या उपरोक्त बिजली के खर्चे, भूमि का किराया, रेट्स, कर, प्रभारों और निर्धारित करों का भुगतान करने में उपेक्षा बरतता है तो बैंक के लिए यह विधि पूर्ण होगा, परंतु बाध्यकारी नहीं होगा, कि वह इस प्रकार की प्रतिभूति या उसके किसी भाग की मरम्मत करा ले और ऐसे बिजली के खर्चे, भूमि का किराया, रेट्स, कर, प्रभारो और निर्धारित कर का भुगतान करे. सभी धन, बीमा की किश्तें, लागतें, ऐसी मरम्मत के खर्चे, उपर्युक्त बिजली के खर्चे, भूमि का किराया, रेट्स कर, प्रभार और निर्धारित कर ऐसी प्रतिभूतियों पर मूल धन और ब्याज सहित संयुक्त रूप से एक प्रभार होगा मानो कि वे उसी का अंग हैं.

To keep properties in good condition, to pay rates taxes etc.

Bank entitled to repair, pay rates taxes etc.

17. The Borrower shall from time to time and at all times during the continuance of the aforesaid credit facilities or any of them keep all properties, goods, machineries and other assets specified and mentioned in this Agreement or any other relative security documents in good working condition and substantial state of repairs and shall pay all ground rent, rates, taxes and assessments present as well as future payable in respect of the same immediately they shall become due and also pay all electricity charges, municipal rates and all other charges and assessments, connected with the business regularly and punctually and in case the Borrower neglects to keep the properties, goods, machineries, and other assets secured to the Bank or any part thereof in good and substantial repair or pay the electricity charges, ground rent, rates, taxes, charges and assessments as aforesaid, it shall be lawful for, but not obligatory upon, the Bank to have the said securities or any part thereof repaired and to pay any such electricity charges, ground rent, rates, taxes, charges and assessments. All moneys, premia, costs, charges of such repairs, the payment of the electricity charges, ground rent, rates, taxes, charges and assessments as aforesaid shall be a charge upon such securities jointly with all principal moneys and interest as if they formed a part thereof.

व्यवसाय में समुचित हित रखना

18. ऋणी हर समय अपने व्यवसाय में समुचित वित्तीय हित, बनाए रखेगा और यदि बैंक आवश्यक समझे तो ऋणी पूँजी, जमा राशियों या अन्य तरीकों से अतिरिक्त निधियां

For DILPREET TUBES PVT. LTD.

MANAGING DIRECTOR

For DILP[illegible] LTD.

Executive Director

निधि का आहरण या दुरूपयोग न करना

या आस्तियां लाएगा. ऋणी द्वारा व्यवसाय में निवेश की गई या लगाई गई पूँजी, जमा राशियां या अन्यथा को ऋणी बैंक की लिखित पूर्व अनुमति के बिना आहरण नहीं करेगा या निधि और आस्तियों का प्रयोग किसी दूसरे कार्यों के लिए या उनका दुरूपयोग नहीं करेगा.

To maintain sufficient interest in business

Not withdraw or divert funds

18. The Borrower shall at all times maintain sufficient financial interest in the business and shall if so considered necessary by the Bank bring additional funds or assets by ways of capital, deposits or otherwise. The Borrower shall not withdraw except with the Bank's prior permission in writing or divert or misuse the funds and assets invested in or brought into the business by the Borrower as capital, deposits or otherwise.

व्यवसाय को उचित ढंग से चलाना

उपयुक्त बहियों आदि को रखना

खातों का लेखा परीक्षण करना

बैंक को बहियों आदि के निरीक्षण का अधिकार.

19. ऋणी व्यवसाय को कुशलता से उचित ढंग से और लाभप्रदता से चलाएगा और यह व्यवसाय ऐसे विनिर्माण और/या व्यापारिक गतिविधियों में शामिल रहेगा जिसकी सूचना बैंक को दी गई हो और जिसके लिए बैंक ने उपरोक्त ऋण सुविधाओं की मंजूरी दी हो या देने का वादा किया हो और विनिर्माण और/या व्यापारिक गतिविधियों के लिए आवश्यक सभी लायसेंस, पटटे, संविदाए, वादे आदि को समय समय पर नवीकृत करवाएगा और कोई भी व्यवधान या गतिरोध नहीं आने देगा जिससे कि ऋणी के व्यवसाय में रूकावट/बाधा/प्रतिकूल प्रभाव पड़े. ऋणी समुचित रूप से बही खाते और कारोबार से संबंधित तथा सांविधिक रूप से अपेक्षित या बैंक से अपेक्षित या जो आवश्यक हो और/या ऋणी द्वारा चलाए जा रह हे उसी प्रकार के व्यवसाय में सामान्य रूप से रखे जाते हों ऐसे अन्य रजिस्टर, बहियां, प्रलेख रखेगा और इन खातों बहियों की विधिवत लेखा परीक्षा कराएगा और बैंक को लेखा परीक्षित विवरण और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की प्रति देगा. यदि बैंक इस बात की अपेक्षा करे तो ऋणी बैंक को अपने अधिकारियों, अभिकर्ताओं और नामित व्यक्तियों और/या प्रबंधन सलाहकारों को जिनकी नियुक्ति बैंक ने की हो ऐसे बही खातों/रजिस्टरों, पुस्तकों और प्रलेखों को निरीक्षण करने या लेखा परीक्षा करने की अनुमति देगा और बैंक को ऐसे अंतराल पर ऐसी पुस्तकों में की गई सभी प्रविष्टियों की अनुसूची या प्रति देगा जिसका निर्देश बैंक समय समय पर देता है.

To carry on business property

To maintain proper books etc.

To audit accounts

Bank entitled to inspect books etc.

19. The Borrower shall carry on the business efficiently, properly and profitably and such business shall be confined to such manufacturing and/or trading activity as have been notified to the Bank and for which the Bank has sanctioned or agreed to sanction the aforesaid credit facilities and shall keep all the licenses, leases, contracts, engagements, essential for carrying on the manufacturing and/or trading activity renewed from time to time and shall not allow any interruptions or disturbances to happen so as to hamper/hinder/adversely affect the business of the Borrower. The Borrower shall maintain proper books of accounts and such other registers, books, documents, relating to the business as may be statutorily required or as may be required by the Bank or as may be necessary and/or generally kept in the business of the kind carried on by the Borrower and shall get the accounts books duly audited and furnish to the Bank a copy of the audited statements and the auditor's report. The Borrower shall if so required by the Bank allow the Bank its officers, agents and nominees and/or qualified auditors and/or technical experts and/or management consultants as may be appointed by the Bank to inspect or audit such books of accounts, registers, books and documents and also furnish to the Bank at such intervals as the Bank may direct from time to time a schedule or copy of all the entnes which shall have been made in such books.

आवधिक विवरणों को प्रस्तुत करना

20. ऋणी बैंक द्वारा वांछित आवधिक अंतराल पर विधिवत लेखा परीक्षित तुलन पत्र और लाभ तथा हानि खाते की प्रतियां और बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रारूप में माल की मात्रा और उसके मूल्य सही रूप से सूचित करते हुए माल का विवरण और देनदारों के नामों और देनदारियों की राशियों तथा उनकी बकाया अवधि सूचित करते हुए प्राप्य राशियों के विवरण प्रस्तुत करेगा और एक प्रमाण पत्र भी देगा कि उन विवरणों में बताई गई मात्राए और राशियां ठीक हैं और सारे माल का बीमा कराया गया है, जब तक

For DILPREET TUBES PVT. LTD.
Executive Director

For DILPREET TUBES PVT LTD
MANAGING DIRECTOR

ऋणी के लिए कार्य करने का बैंक को अधिकार.

To submit periodi statements

Authority to Bar act for Borrower

बैंक/सहयोगी बै आदि के माध्यम व्यवसायिक लेन करना.

To carry on b transactions t Bank/Associa Banks etc.

न्यास के अर का निर्माचन

कि बैंक द्वारा बीमा कराने की छूट न दी गई हो और सारे विवरण, रिपोर्टें, विवरणियां, प्रमाण पत्र और सूचना भी प्रस्तुत करेगा और वे सभी प्रलेख कार्रवाईयां और कार्य निष्पादित करेगा जिन्हें बैंक इसमें या निष्पादित किए जाने वाले प्रतिभूति दस्तावेजों या उनमें से किसी में बताई गई शर्तों और नियमों को प्रभावकारी बनाने के लिए मांग कर सकता है और ऋणी बैंक को और उसके प्रत्येक अभिकर्ता और नामितों को मुख्तार के रूप में अधिकृत करता है कि ऋणी के लिए या उसके नाम से कोई भी कार्य कर सकता है जिसे ऋणी द्वारा इस करार के अंतर्गत करना आवश्यक हैं

ऋणी के लिए कार्रवाई करने का बैंक को अधिकार.

To submit periodical statements

20. The Borrower shall submit to the Bank periodically as required by the Bank copies of the Balance Sheet and Profit and Loss Account duly audited and stock statements in the formats as may be prescribed by the Bank from time to time indicating correctly the quantity and value of the stocks and also statements of receivables indicating the names of the debtors, amounts of the debts and the periods for which they are outstanding together with a certificate that the quantities and amounts stated are correct and that all stocks are fully covered by insurance unless such insurance is waived by the Bank and will also furnish and verify all statements, reports, returns, certificates and information and will also execute all documents and do all acts and things which the Bank may require to give effect to any of the terms and conditions set out herein or in the security documents or any of them that may be executed and the Borrower authorises the Bank and each of its agents and nominees as Attorney for and in the name of the Borrower to do whatever the Borrower may be required to do under this Agreement.

Authority to Bank to act for Borrower

बैंक/सहयोगी बैंकों आदि के माध्यम से व्यवसायिक लेन देन करना.

21. ऋणी अपने व्यवसाय के संपूर्ण बैंकिगं लेन देन, जिसमें व्यापारिक बैंकिंग व्यवसाय भी शामिल है बैंक के माध्यम से या जहां बैंक की कोई शाखा नहीं है वहां उसके सहयोगी बैंकों के माध्यम से करेगा. विशेष रूप से ऋणी का सम्पूर्ण विदेशी विनिमय व्यवसाय, देशीय हुंडियों का व्यवसाय और जमा राशियां, यदि हो तो, बैंक के पास या जहां बैंक की शाखा नहीं है तो उसके किसी सहयोगी बैंक के पास रखा जाएगा. तथापि, ऋणी इस संबंध में बैंक से लिखित पूर्व अनुमति लेकर अनुमत सीमा और निर्धारित शर्तों और नियमों के अधीन किसी अन्य बैंक के साथ लेन देन कर सकता है.

To carry on business transactions through Bank/Associate Banks etc.

21. The Borrower shall carry on the entire banking transactions of the business including merchant banking business through the Bank or any of its Associate Banks wherever the Bank does not have a branch established. In particular, the Borrower's entire foreign exchange business, inland bill business and deposits if any shall be placed with the Bank or any of its Associate Banks where the Bank does not have a branch established thereat. The Borrower may, however, with the prior permission in writing of the Bank in this regard and to the extent allowed and on such other terms and conditions as may be stipulated deal with any other Bank(s).

न्यास के अधीन माल का निर्मोचन

22. जहां माल, चल संपत्ति और अन्य आस्तियां बैंक के पास बंधक रखी गई हों, तो बैंक अपने विवेकाधिकार से और ऋणी की विशेष प्रार्थना पर और बधंक पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना बैंक के पास बंधक किया गया माल, चल संपत्तियों और अन्य आस्तियों का निर्मोचन फैक्ट्री/मंडी टाइप के रेहन या अन्य किसी आधार के अन्तर्गत और/या ऋणी के व्यापारिक व्यवसाय या उद्योग से संबद्ध किसी उददेश्य के लिए न्यास के अधीन अपने कब्जे से निकाल कर ऋणी को कर सकता है और इस विचार से कि बैंक द्वारा ऋणी को समय समय पर इस प्रकार दिए गए किसी माल, चल संपत्तियों और अन्य आस्तियों को जो बैंक में बंधक के अधीन बैंक द्वारा अनमोदित गोदाभ, कारखाने या अन्य किसी स्थान पर पड़ी हैं, ऋणी न्यासधारी के रूप में बैंक की ओर से उसके अभिकर्ता के रूप में ऐसे माल, चल संपत्तियों और अन्य आस्तियों को अपने पास रखेगा. ऋणी यह भी वचन देता है कि ऐसे माल, चल संपत्तियों और अन्य आस्तियों को ऋणी पूर्ण रूप से अपनी बहियों में बैंक का और बैंक की ओर से रखा हुआ मानेगा.

22. Where goods moveables and other assets are pledged to the Bank, the Bank

For DILPREET TUBES PVT. LTD.

For DILPREET TUBES PVT. LTD.

Executive Director

Release of goods under trust.

may in its own discretion and at the Borrower's specific request and without detriment to the pledge release the goods moveables and other assets pledged to the Bank from its possession to the Borrower on trust under a factory/mundy type pledge or other basis and/or for any purpose connected with the Borrower's trade business or industry and in consideration of the Bank so handing over to the Borrower from time to time any goods movables and other assets lying at the godown, factory or other place approved by the Bank under pledge to the Bank the Borrower shall hold the goods, movables and other assets as trustees and agents for and on behalf of the Bank. The Borrower undertakes that such goods, movables and other assets shall in all respects be treated by the Borrower in the books of the Borrower as belonging to and held on behalf of the Bank.

ऋणी निर्मोचित माल के दस्तावेज बैंक को सुपुर्द करेगा

23. जहां ऋणी के व्यापार व्यवसाय उद्योग या अन्यथा किसी प्रयोजन के लिए न्यास पर बैंक के पास बंधक माल चल संपत्ति या अन्य आस्तियां ऋणी को निर्मोचित की जाती है और ऋणी उनकी बिक्री सहित किसी उद्देश्य के लिए उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजता है तो ऋणी बैंक को रेलवे या अन्य परिवहन की रसीदें, बीजक और सभी प्रलेखों की सुपुर्दगी करेगा उनके न्यास पर निर्मोचन का उद्देश्य पूरा हो जाने के बाद माल, चल संपत्तियों और अन्य आस्तियां बैंक को वापस सुपुर्द करेगा या बैंक को उपरोक्त माल, चल संपत्तियों या अन्य आस्तियों के विक्रय के आगम या उनसे सम्बन्धित बिलों के आगम अदा करेगा. ऋणी वचन देता है कि ऐसे माल, चल सम्पत्तियों या अन्य आस्तियां के विक्रय के आगम को ऋणी की बहियों में बैंक के एवं बैंक की ओर से रखे गए मानेगा.

Borrower to hand over to Bank documents of released goods.

23. Where goods movables or other assets pledged to the Bank are released to the Borrower on trust for any purpose connected with Borrowers trade, business, industry or otherwise and are put in transit by the Borrower for any purpose including for sale thereof the Borrower shall hand over to the Bank the relative railway or other transport receipts, invoices and all documents and shall deliver back to the Bank goods, movables and other assets when the purpose for which they are released on trust is accomplished or to pay to the Bank the sale proceeds of or the proceeds of the bills relating to the said goods, movables or other assets. The Borrower undertakes that the proceeds of sale of such goods, movables or other assets shall in ways be treated by the Borrower in the books of Borrower as belonging to and held on behalf of the Bank.

बैंक बिलों के पुर्व भुगतान करने या धन, प्रेषण की सीमाएं निर्धारित कर सकता है.

24. बैंक अपने विवेकाधिकार से और ऋणी की विशिष्ट प्रार्थना पर ऋणी को दृष्टिबंधक रखे गए माल, बही ऋण, चल सम्पत्तियों और अन्य आस्तियों के सम्बन्ध में या माल, चल सम्पत्तियों और अन्य सम्पत्तियों के बंधक की प्रतिभूति के आधार पर निर्धारित करके कैश क्रेडिट निभाव की सुविधा दे सकता है. इसका उद्देश्य या तो यह हो सकता है कि (1) ऋणी के विनिर्माण कार्य के लिए विभिन्न स्थानों से भेजे गए माल की खरीद से संबंधित, ऋणी पर आहरित, प्रलेखी हुंडियों के पुर्व भुगतान हेतु या (2) बैंक द्वारा सामान के आपूर्तिकर्ता को सीधे उसकी लागत कीमत का भुगतान करने के लिए धन, प्रेषण, वस्तुतः इस शर्त पर कि प्रत्येक मामले में अग्रिम राशि क्रमशः उक्त हुंडियों या सामान की लागत कीमत जिसे बैंक समय समय पर निर्धारित कर सकता है के उस प्रतिशत तक सीमित होगी और जहां बैंक यह सुविधा देता है तो इसके प्रतिफलार्थ ऋणी एतद्-द्वारा स्वीकृति देता है कि हुंडियों के साथ या अन्यथा प्राप्त किए गए माल, चल सम्पत्तियों और अन्य आस्तियों के स्वामित्व के प्रलेखों पर बंधक के रूप में बैंक का प्रभार रहेगा और जो बैंक की अभिरक्षा में रहेगा या जो बैंक की अभिरक्षा में आ सकता हैं और इस उद्देश्य के लिए माल, चल सम्पत्तियों और आस्तियों के स्वामित्व के प्रलेखों के बारे में यह मान लिया जाएगा कि वे ऋणी द्वारा प्रलेखों के अन्तर्गत आने वाले माल, चल सम्पत्तियों और अन्य आस्तियों को बंधक करने के लिए बैंक को सुपुर्द किए गए हैं और बैंक द्वारा माल, चल सम्पत्तियों और अन्य आस्तियों के स्वत्वाधिकार के उक्त प्रलेखों की ऋणी को या ऋणी के अनुदेशों के अन्तर्गत और ऋणी की ओर से ऋणी के क्लीयरिंग एजेन्ट को सुपुर्दगी इस विचार से भी कि जब तक कि उस पर बैंक का प्रभार है और ऋणी की अपनी

For DILPREET TUBES PVT. LTD.

Executive Director

ऋणग्रस्तता या बाध्यता उक्त अग्रिमों या अन्य मूल्यवान प्रतिफल विद्यमान हैं, ऋणी वचन देता है कि बैंक के लिए और बैंक की और से न्यासियों और अभिकर्ताओं के रूप में उक्त प्रलेखों के अंतर्गत प्राप्त किए गए माल, चल सम्पत्तियों और अन्य आस्तियों को छुड़ाएगा, उतारेगा, भण्डारण करेगा और कब्जा रखेगा और यदि बैंक द्वारा वांछित हो तो माल, चल सम्पत्तियों और अन्य आस्तियों का कब्जा बैंक को देगा और उक्त माल चल सम्पत्तियों और अन्य आस्तियों को बैंक द्वारा गिरवीदार की हैसियत से रखा जाएगा.

Bank may fix limits for retiring bills or making remittances

24. The bank may at is own discretion and at the specific request of the Borrower grant the facility of cash credit accommodation to the Borrower by fixing limits in respect of goods, book debts, movables and other assets hypothecated or against the security of pledge of goods, movables and other assets for the purpose of either (i) retiring documentary bills drawn on the Borrower covering purchase of goods required for the Borrower's manufacturing activities consigned from various place, or (ii) making remittances of the cost price of the materials direct to the suppliers by the Bank subject, of course, to the advance being limited in each case to such percent of the said bills or the cost price of the materials respectively as may be decided by the Bank from time to time and where the Bank so grants the facility the Borrower hereby acknowledges in consideration thereof that Bank shall have a charge by way of pledge over the documents of title to goods, movables and other assets received with the bills or otherwise which will be in the custody of the Bank or which may come into the Bank's custody and for this purpose the documents of title to goods, movables and other assets shall be deemed to have been delivered by the Borrower to the Bank for creating pledge of goods, movables and other assets covered by the documents and in further consideration of the delivery by the Bank of the said documents of title to goods, movables and other assets to the Borrower or to the clearing agents of the Borrower under the Borrower's instructions and on behalf of the Borrower while the Bank's charge thereon and the Borrower's own indebtedness or obligation in respect of the said advances or other valuable consideration are subsisting, the Borrower undertakes to clear land store and hold the goods movables and other assets received under the said documents for and on behalf of the Bank as trustees and agents and if so required by the Bank to deliver possession of the goods, movables and other assets to the Bank to be held by the Bank as pledgee of the said goods, movables and other assets.

ऋणी की वचनबद्धता

25. खण्ड 22 और 23 के प्रयोजनों के लिए ऋणी यह वचन देता हैं और घोषणा करता है कि:

1. माल आदि बैंक को सुपुर्द करेगा और वापस करेगा. ऋणी किसी भी समय बैंक के मांग करने पर तुरन्त सारा माल, चल सम्पत्तियों और अन्य आस्तियों और उनके स्वामित्व के प्रलेख और इन प्रलेखों में उल्लिखित माल, चल सम्पत्तियां और अन्य आस्तियां जिनमें उनसे संबंधित सभी बीमे की पालिसियां भी शामिल हैं, बैंक को सुपुर्द करेगा या वापस करेगा या करवाएगा या वापस करवाएगा और बैंक को या बैंक द्वारा लिखित रूप में उसकी और से प्राधिकृत किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को ऋणी के गोदाम में परिसर में या किसी अन्य स्थान में जहां उक्त माल चल सम्पत्तियां और अन्य आस्तियां तथा उनके स्वामित्व के प्रलेख पड़े है रखे गए हैं या भण्डारित हैं, प्रवेश करने के लिए अनुमत करेगा और ऋणी को बैंक के आशय की पूर्व सूचना दिए बिना किसी भी समय उक्त माल, चल संपत्तियों और अन्य आस्तियों और उनके स्वामित्व के प्रलेखों का कब्जा लेने के लिए उन्हें ले सकेगा चाहें वे कहीं भी अवस्थित हों और ऋणी इसमें यह इच्छा प्रकट करता है और उन सभी व्यक्तियों से यह अपेक्षा करता हैं जिनकी अभिरक्षा में यह माल, चल सम्पत्तियां और अन्य आस्तियां तत्समय पड़े हैं कि वे बैंक के आदेशानुसार उनका कब्जा दे दें.

Borrower's undertakings

25. For the purpose of clauses 22 and 23 the Borrower undertakes and declares that :

(1) To handover and redeliver goods etc. The Borrower shall at any time hand

For DILP... LTD.

Executive Director

over or redeliver or cause to be handed over or redelivered to the Bank forthwith on demand all goods, movables and other assets and documents of title thereto and goods, movables and other assets covered by such documents including any policies of insurance pertaining thereto and authorise the Bank or any person or persons authorised by the Bank in writing in that behalf to enter the Borrower's godown premises or any other place where such goods, movables and other assets and documents of title thereto are lying kept or stored and to take possession of the said goods, movables and other assets and documents of title thereto wheresoever situated at any time without giving to the Borrower any notice of the Bank's intention to do so and the Borrower hereby desires and requires all persons in whose custody the said goods movables and other assets are for the time being to yield possession thereof according to the Bank.

To furnish letter fro landlord owner

बैंक को अधिकार है न्यास के अधीन निर्मोचित माल का निरीक्षण आदि करे

माल आदि का व्यापार नहीं किया जाएगा.

2. ऋणी माल, चल सम्पत्तियों और अन्य आस्तियों और उनके स्वामित्व के प्रलेखों और इन प्रलेखों में उल्लिखित माल, चल सम्पत्तियों और अन्य आस्तियों का व्यापार बैंक के लिखित अनुदेशों के अंतर्गत और उनके अनुसार के अलावा नहीं करेगा,

Not to deal with goods etc.

(2) The Borrower shall not deal with the goods movables and other assets and documents of title thereto or the goods movables and other assets covered by the documents except under and in accordance with the Bank's written instructions.

बकाया राशियों की अदायगी

3. बैंक को सुपुर्द की गई चल सम्पत्तियां और अन्य आस्तियां या उनके स्वामित्व के प्रलेख का कब्जा चाहे ऋणी के पास हो या न हो वह उक्त खातों की बकाया राशियों की अदायगी उतने दिनों के अन्दर करेगा जितने दिनो के लिए बैंक ने उन राशियों का उपयोग समय समय पर निर्दिष्ट किया हैं.

Bank entitled to inspect etc. gooc released on trust

Repay outstandings

(3) The Borrower shall whether or not in possession of the goods movables and other assets or documents of title thereto are delivered to the Bank repay the outstandings in the said accounts within such number of days of its being utilised as may be specified by the Bank from time to time.

हानियों आदि की बैंक को क्षतिपूर्ति

4. ऋणी बैंक को निम्नलिखित की क्षतिपूर्ति करेगा (i) सभी हानियों, लागतों, क्षतियों, खर्चों आदि के प्रति जो बैंक के पास बंधक और न्यास के अधीन ऋणी को दिए गए माल चल सम्पत्तियों या अन्य आस्तियों के सम्बन्ध में ऋणी के किसी कृत्य या ऋणी के नौकरों या कर्मचारियों या उसकी और से काम करने वाले अन्य व्यक्तियों की चूक या भूल के कारण बैंक को हो सकती हैं (ii) सभी हानियों, लागतों, क्षतियों, खर्चों या अन्य किन्ही परिणामों के प्रति जो कि बैंक को इस कारण से हो कि बैंक ने ऋणी के अनुदेशों का पालन करते हुए ऋणी को या उसके क्लीयरिंग एजेंट को माल, चल सम्पत्तियां और अन्य आस्तियों के प्रलेख सौंप दिए हो (क) चाहें उक्त प्रलेख नियमानुसार हो या नहीं (ख) प्रलेखों में किसी प्रकार की विसंगतियों के होने पर भी (ग) इस बात के होने पर भी कि माल, चल सम्पत्तियों और अन्य आस्तियों की कीमत/मुल्य, मात्रा और गुणवत्ता तथा संविदा में निर्दिष्ट कीमत, मात्रा और गुणवत्ता में कोई विसंगति हैं, और (3) बैंक द्वारा ऋणी के अनुरोध पर आपूर्तिकर्ताओं को समय समय पर अग्रिम भुगतान करने के परिणाम स्वरूप हानियों और क्षतियों के परिणामों के प्रति हों (क) आपूतिकर्ता माल, चल सम्पत्तियों और अन्य आस्तियां भेजते हैं या नहीं (ख) उनसे सम्बन्धित प्रलेख बैंक को प्राप्त होते हैं या नहीं और (ग) इस बात के होने पर कि आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त माल, चल सम्पत्तियों और अन्य आस्तियों की मात्रा और गुणवत्ता और संविदा की गई मात्रा और गुणवत्ता के बीच कोई विसंगति है,

प्रभारित सम्पत्ति बीमा कराना

प्रलेखों की सुपुर्दगी के कारण

प्रलेखों में विसंगतियों के कारण

Indemnify the Bank against losses etc.

(4) The Borrower shall indemnify the Bank (i) against all losses, costs, damages expenses whatsoever that the Bank may incur or sustain by reason of the Borrower's act, default or omission of the Borrower's servants or employees or other persons acting on behalf of the Borrower in respect of goods movables and other assets pledged to the Bank and released to the Borrower on trust; (ii) against all

For DILPREET TUBES PVT. LTD

MANAGING DIRECTOR

For DILPREET TUBES PVT. LTD.

Executive Director

losses, costs, damages expenses or consequences whatsoever that the Bank may incur or sustain as a result of the Bank's complying with the Borrower's instructions to deliver to the borrower or to the Borrower's clearing agents the documents covering the goods movables and other assets (a) whether or not said documents are in order; (b) notwithstanding any discrepancies that may be present in documents; and (c) notwithstanding any discrepancy between the price/value, quantity and quality of the goods movables and other assets covered by the documents and price, quantity and quality specified in the contract; and (iii) against all consequences losses and damages that may arise as a result of the Bank's complying with the Borrower's requests to effect advance payments from time to time to the suppliers (a) whether or not the suppliers consign the goods, movables and other assets; (b) whether or not the documents in respect thereof are received by the Bank; and (c) notwithstanding any discrepancy between the quantity or quality of the goods, movables and other assets received from the suppliers and that of the contracted quantity and quality.

Due to delivery of documents

Due to discrepancies in documents

बैंक का नाम प्रदर्शित करना.

26. ऋणी (यदि शाखा के द्वारा अपेक्षित हो तो) बैंक का नाम गोदाम कारखाने या बैंक से अनुमोदित अन्य उन स्थानों पर, जहां ऐसे माल, चल सम्पत्तियां और अन्य आस्तियां बैंक को दृष्टिबंधक और/या बंधक के रूप में रखी गई हों और जिनके प्रति उपरोक्त ऋण सुविधाओं में से कुछ या सभी के अंतर्गत आहरण की सीमाएं निर्धारित कर दी गई हो यह सूचित करते हुए प्रदर्शित करें। कि यह माल, चल सम्पत्तियां और अन्य आस्तियां बैंक के पास दृष्टिबंधक और/या बंधक हैं.

To display Bank's name.

26. The Borrower shall (if so required by the Bank) display the Bank's name on the godown factory and other places approved by the Bank where such goods movables and other assets hypothecated and/or pledged to the Bank and against which limits for purposes of drawings have been fixed under and some/all of the aforesaid credit facilities have been stored indicating that such goods movables and other assets are hypothecated and/or pledged to the Bank.

माल का कब्जा बैंक को सुपुर्द करना

बैंक के तालों का उपयोग करना

27. ऋणी को माल, चल सम्पत्तियों और अन्य आस्तियों की गिरवी के आधार पर दी गई ऋण सुविधाओं से सम्बन्धित सारा माल, चल सम्पत्तियाँ और अन्य आस्तियाँ बैंक के कब्जे में और उसके नियंत्रण के अधीन इस ढंग से रखी जाएंगी कि यह कब्जा और नियंत्रण स्पष्ट और निर्विवाद हो. इस के अनुसरण में अन्य बातों के साथ-साथ इस संबंध में गोदाम, फैक्ट्री और बैंक द्वारा अनुमोदित अन्य स्थानों पर जहां बंधक माल, चल सम्पत्तियां और अन्य आस्तियां रखी गई हैं, बैंक के नाम की तख्तियां प्रदर्शित की जाएंगी जिनमें यह लिखा होगा कि उन स्थानों में पड़ा हुआ माल, चल सम्पत्तियां और अन्य आस्तियां बैंक के पास बंधक रखी गई हैं, जहां बैंक के पास बंधक रखा माल, चल सम्पत्तियां या अन्य आस्तियां फैक्ट्री या मंडी टाइप के बंधक या किसी अन्य आधार के अंतर्गत इस सीमित उद्देश्य के लिए कि ऋणी को विनिर्माण या अन्य कार्यकलाप करने की सुविधा हो सके न्यास पर ऋणी को निर्मोचित किया जाता है, ऋणी वचन देता है कि जिस गोदाम कारखाने या अन्य स्थान में ऐसा माल रखा है उस पर बैंक के ताले का उपयोग किया जाएगा और जब ऐसे गोदाम कारखाने या अन्य स्थान का इस्तेमाल न हो रहा हो तो ऋणी उस पर ताला लगा देगा और बैंक द्वारा मांग करने पर उसकी चाबियां उसे लौटा दी जाएंगी और ऐसे कारखाने, मंडी या अन्य स्थान पर जहां ऐसा विनिर्माण या अन्य कार्यकलाप चल रहा है बैंक के नाम की तख्तियां प्रदर्शित की जाएंगी जिन पर यह लिखा होगा कि माल, चल सम्पत्तियां और अन्य आस्तियां बैंक के पास बंधक रखी गई हैं. ऋणी इस बात से भी सहमत है कि बैंक उक्त माल, चल सम्पत्तियों और अन्य आस्तियों का वास्तविक कब्जा लेने और निकासी, भण्डारण और अग्रेषण में बैंक द्वारा किए गए या वहन किए गए समुद्र, रेल या अन्य परिवहन के सम्पूर्ण भाड़े, डेमरेज, सीमा शुल्क, सीमा कर, ढुलाई, गोदाम के किराए और अन्य सभी प्रभार और खर्चे ऋणी के खातों में नामे डाल दिए जाएंगे और वे प्रतिभूतित सकल राशि का अंग होगें.

To deliver possession of the goods to the Bank

27. In respect of credit facilities granted to the Borrower against pledge of goods movables and other assets all such goods movables and other assets shall be placed in

For DILPREET TUBES PVT. LTD.
MANAGING DIRECTOR

For DILPREET TUBES PVT. LTD.
Executive Director

the Bank's possession under its control and in such manner that such possession and control may be apparent and indisputable. In pursuance thereof, *inter-alia*, the godown, factory and other places approved by the Bank in this respect where the goods movables and other assets that are pledged have been stored shall bear the Bank's name boards indicating that the goods movables and other assets lying therein are pledged to the Bank. Where the goods, movables or other assets which are pledged with the Bank are released to the Borrower on trust under a factory, mundy type pledge, or other basis for the limited purpose of facilitating the Borrower carrying on the manufacturing or other activity, the Borrower undertakes that the Bank's padlocks will be used on the godown factory or other place where they are stored and such godown, factory or other place will be locked by the Borrower when not in use and the keys thereof shall be returned to the Bank on demand and that the Bank's name boards shall be displayed on such factory, mundy or other place where such manufacturing or other activity is carried on indicating that the goods, movables and other assets are pledged to the Bank. The Borrower further agrees that all sea, rail and other transport freights, demurrages, customs duties, terminal taxes, cartage, godown rents and all other charges and expenses paid or incurred by the Bank in obtaining actual physical possession of and in clearing, storing and forwarding the said goods movables and other assets shall be debitable to the accounts of the Borrower and form a part of the aggregate amount secured.

To use Bank's padlocks

बही-ऋणों का प्रशमित या निर्मुक्त न करना

Not to compound or release book-debts.

बैंक को सूचित किए बिना अनाहत पूँजी आहूत न करना

प्रभारित मशीनें चल सम्पत्तियां होंगी.

28. बैंक के पास दृष्टिबंधक, गिरवी, बंधक या अन्य किसी प्रकार से प्रभारित ऋणी की सारी मशीनें चल सम्पत्तियाँ मानी जाएंगी और उन्हें अचल सम्पत्तियां नहीं माना जाएगा और उन पर बैंक के नाम की तख्ती लगाई जाएगी जिस पर, जैसा भी मामला होगा, यह लिखा जाएगा कि ये मशीनें बैंक के पास दृष्टिबंधक, गिरवी, बंधक या अन्यथा प्रभारित हैं. ऋणी कारखाने के मुख्य हाल में प्रमुख स्थान पर एक सूची प्रदर्शित करेगा जिसमें मशीनों के वे मद दर्शाए जाएंगे जो बैंक के पास दृष्टिबंधक, गिरवी, बंधक या अन्य किसी प्रभार में हैं.

Machineries charged to be movable properties.

28. All the machineries of the Borrower hypothecated pledged mortgaged or otherwise charged to the Bank shall be treated as movable properties and not as immovable properties and shall bear the nameplate of the Bank indicating that the said machineries are hypothecated pledged mortgaged or otherwise charged as the case may be to the Bank. The Borrower shall also exhibit conspicuously in the main hall of the factory a list showing the items of machineries hypothecated, pledged, mortgaged or otherwise charged to the Bank.

माल तक पहुँचने की व्यवस्था करना. मालिक/स्वामी से एक पत्र बैंक को प्रस्तुत करना

29. ऋणी के अपने स्वंय के या किराए पर लिए गए या किराए पर प्राप्त गोदामों में भण्डारित और रखे गए माल, चल सम्पत्तियों और अन्य आस्तियों के सम्बन्ध में ऋणी बैंक को और उसके अभिकर्ताओं और नामितों की अबाध पहुँच सदा उपलब्ध करेगा और जहां गोदाम ऋणी ने किराए पर लिए हों या उसे किराए पर दिए गए हो तो ऋणी गोदामों के मालिक/स्वामी से एक पत्र बैंक को दिलवाएगा जिसमें इस बात की स्वीकृति हो कि वह बैंक को उसके अभिकर्ताओं और नामितों की गोदाम तक ऐसी अबाध पहुंच बनाए रखेगा और साथ में यह भी घोषणा की गई हो कि किराया अदा न किए, जाने के किसी दावे पर ध्यान दिए बिना स्वामी अथवा मालिक उसमें भण्डारित और रखे गए सभी माल, चल सम्पत्तियों या अन्य आस्तियों और बैंक को दृष्टिबंधक, बंधक, गिरवी या अन्यथा प्रभारित वस्तुओं पर बैंक का पहला दावा स्वीकार करता हैं और बैंक को उसके अभिकर्ताओं और नामितों को इस बात का अधिकार होगा कि जब भी बैंक चाहे गोदाम में इस प्रकार भण्डारित एवं रखे गए माल, चल संपत्तियों और अन्य आस्तियों को वहां से निकाल ले.

Not to call uncall capital without n to Bank.

To provide access to goods.

29. In respect of goods, movables and other assets stored and held in godowns owned or hired by or let to the Borrower, the Borrower shall provide the Bank and its agents and nominees with an unimpaired access to the godowns at all times and where the godowns are hired by or let to the Borrower the Borrower shall furnish to the Bank a letter from the landlord/owner consenting to continue such unimpaired

For DILPREET TUBES PVT. LTD

MANAGING DIRECTOR

For DILPREE... O.

Executive Director

To furnish letter from landlord owner

access to the godown to the Bank and its agents and nominees and also declaring that notwithstanding any claim for any unpaid rent the landlord/owner acknowledge the prior claim of the Bank on all the goods movables and other assets stored and held therein and hypothecated, pledged, mortgaged or otherwise charged to the Bank and that the Bank its agents and nominees shall have the right to remove the goods, movables and other assets so stored and held in the godowns whenever desired by the Bank.

बैंक को अधिकार है कि न्यास के अधीन निर्मोचित माल का निरीक्षण आदि करे

30. बैंक के पास दृष्टिबंधक, गिरवी, बंधक या अन्यथा प्रभारित या ऋणी को फैक्ट्री/मंडी टाइप बंधक या अन्य आधार के अंतर्गत न्यास पर निर्मोचित माल, बही ऋण, चल सम्पत्तियों और अन्य आस्तियों के संबंध में बैंक के अभिकर्ताओं और नामितों को यह अधिकार होगा कि वे किसी भी समय ऋणी को पूर्व सूचना दिए बिना, लेकिन ऋणी के जोखिम और उसके खर्चे पर और यदि आवश्यक हो तो ऋणी के मुख्तार के रूप में या उसके नाम से किसी भी ऐसी जगह में प्रवेश कर सकते हैं जहां उक्त माल, बही ऋण, चल सम्पत्तियां और अन्य आस्तियां हैं और उनका निरीक्षण, मूल्यांकन, बीमा, अधीक्षण निपटारा कर सकते हैं, और/या उक्त माल, बही ऋणों, चल सम्पत्तियों और अन्य आस्तियों का पूरा या उनके किसी भाग का विवरण ले सकते हैं और किसी विवरण, खाते, रिपोर्ट और सूचना की जांच कर सकते हैं और ऐसी सभी कार्रवाईयां, व्यवहार और कार्य कर सकते हैं जो इस माल आदि के परीक्षण और संरक्षण के लिए आवश्यक हों और ऋणी इस बात की पुष्टि, संपुष्टि करता है और वचन देता है कि इस संबंध में यथा आवश्यक सभी सहायता/सहयोग देगा.

Bank entitled to inspect etc. goods released on trust.

30. In respect of goods, book-debts, movables and other assets hypothecated, pledged, mortgaged or otherwise charged to the Bank or which are released to the Borrower on trust under a factory/mundy type pledged or other basis, the Bank's agents and nominees shall be entitled at all times without notice to the Borrower but at the Borrower's risk and expenses and if so required as Attorney for and in the name of the Borrower to enter any place where the said goods, book-debts,movables and other assets may be and inspect value insure superintend dispose and/or take particulars of all or any part of the said goods, book-debts, movables and other assets and check any statements accounts, reports and information and do all such acts, deeds and things necessary to preserve and protect the same and the Borrower confirms, affirms and undertakes to give all assistance/co-operation as may be necessary in this regard.

प्रभारित सम्पत्तियों का बीमा कराना

31. उपरोक्त ऋण सुविधाओं में से किसी के लिए प्रतिभूति के रूप में बैंक के पास दृष्टिबंधक, रहन, बंधक या अन्यथा प्रभारित सारा माल, बही ऋण, चल सम्पत्तियां और अन्य आस्तियां और ऐसी सभी सुविधाओं या उनमें से किसी के लिए प्रतिभूति के रूप में दी गई सभी अचल सम्पत्तियां भी, जिनकी बैंक अपेक्षा करे, ऋणी के जोखिम और खर्च पर अच्छी हालत में रखी जाएंगी और बैंक द्वारा किसी भी कारण से आवश्यक समझे जाने पर, हानि या क्षति के प्रति उनका पूरा बीमा कराएगा और विशेष रूप से बैंक के पास दृष्टिबंधक और/या गिरवी रखी गई मशीनों का बीमा आग और/या किसी भी अन्य जोखिम/जोखिमों के लिए जिन्हें बैंक समय समय पर निर्देश दे सकता है, ऋणी और बैंक के संयुक्त नामों में बैंक से अनुमोदित बीमा कंपनी से उस राशि के लिए, कराया जाएगा, जिसे बैंक आवश्यक माने और यह कि बीमा पालिसियां जब बैंक देने को कहे तो बैंक के सुपुर्द की जाएंगी. यदि ऋणी ऐसा बीमा कराने में असफल रहे तो बैंक, इसे कराने की बाध्यता से मुक्त होते हुए भी उक्त माल, चल सम्पत्तियों और अन्य आस्तियों और अचल सम्पत्तियों का बीमा आग और/या अन्य जोखिमों के प्रति उसी प्रकार संयुक्त नामों में करा सकता है और प्रीमियम तथा अन्य प्रभारों को ऋणी द्वारा खोले गए या खोले जाने वाले किसी भी खाते में नामे डाल सकता है और यदि किसी भी समय बैंक को यह आशंका हो कि दंगे और/या हड़ताल (इनके कारण लगने वाली आग सहित) और/या बाढ़, भूकंप आदि के कारण माल, चल सम्पत्तियों और अन्य आस्तियों और मशीनों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है और/या उनके परिणामस्वरूप उत्पादन में कमी भी हो सकती है तो बैंक

For DILPREET TUBES PVT. LTD.
MANAGING DIRECTOR

For DILPREET TUBES PVT. LTD.
Executive Director

चुक होने पर बैंक द्वारा बीमा कराना

अपने विवेकाधिकार से, इसे करने की बाध्यता से मुक्त होते हुए भी यह बीमा करा सकता हैं या ऋणी से इसे उसी प्रकार संयुक्त नाम में उनसे होने वाली हानि के प्रति कराने को कह सकता हैं इस प्रकार अतिरिक्त बीमे की लागत ऋणी द्वारा दी जानी हैं और उसके ऐसे किसी भी खाते के नामे की जाएगी. यदि बैंक यह चाहे कि माल, चल सम्पत्तियों और अन्य आस्तियों को चोरी के प्रति बीमा कराया जाये तो उसके लिए आवश्यक बीमा रक्षण की व्यवस्था करेगा. यदि बैंक चाहे तो ऋणी ऐसी मशीनों की टूट-फूट हो जाने और आग, बिजली और बाढ़ के कारण ऋणी की अचल सम्पत्तियों को होने वाली हानि और क्षति के लिए पर्याप्त बीमा रक्षण की व्यवस्था करेगा. ऋणी इस बात से भी स्पष्ट रूप से सहमत हैं कि बैंक को यह अधिकार होगा कि किसी बीमें के संबंध में या उसके अंतर्गत कोई विवाद होने पर उसका समायोजन, निपटारा कर सकता है, समझौता कर सकता हैं या उसे मध्यस्थ निर्णय के लिए भेज सकता हैं और ऐसा समायोजन, निपटारा, समझौता या ऐसे मध्यस्थ द्वारा दिया गया निर्णय मान्य होगा और ऋणी के लिए बाध्यकारी होगा और ऐसे किसी बीमे के अंतर्गत प्राप्त सभी राशियों को प्राप्त करने का और उसके लिए मान्य रसीद देने का अधिकार होगा और यह कि इस प्रकार प्राप्त की गई राशि ऋणी के खाते में जमा कर दी जाएगी और ऋणी ऐसे जमा की गई राशि के बाद इस पर ऐसा कोई प्रश्न नहीं करेगा कि उससे अधिक राशि मिलनी चाहिए थी या किसी खाते या खातों में देय बकाया राशि के लिए अपनी देयताओं का विवाद उठाने का अधिकार हैं, बशर्ते बैंक को इस बात का एकमात्र पूर्ण और बिना शर्त विवेकाधिकार होगा कि वह इनमें से कोई या सभी अपेक्षाओं से छूट दे सकता है.

Due to delivery of documents

Due to discrepancies in documents

बैंक का नाम प्रदर्शित करना.

To insure properties charged.

To display Bank's name.

31. All goods, book-debts, movables and other assets hypothecated, pledged, mortgaged or otherwise charged to the Bank as security for any of the aforesaid credit facilities and also all immovable properties given as security for all such facilities or any of them as may be required by the Bank shall be kept at the Borrower's risk and expense in good condition and fully insured against loss or damages as may be required by the Bank due to any reason whatsoever and particularly the machineries hypothecated and/or pledged to the Bank against fire and/or such other risk(s) as the Bank may from time to time stipulate in the joint names of the Borrower and the Bank with an insurance company approved by the Bank and for such amount as the Bank may consider necessary and that the insurance policies shall be delivered to the Bank when required by the Bank to do so. If the Borrower fails to effect such insurance the Bank may, but without being obliged to do so, insure the said goods, movables and other assets and immovable properties against fire and/or such risk(s) in such joint names and debit the premium and other charges to any account of the Borrower opened or to be opened and in the event of the Bank being at any time apprehensive that the safety of the goods, movables and other assets and machinery is likely to be endangered owing to riot and/or strike (including fire arising therefrom) and/or floods, earthquakes, etc. and/or also resulting in the loss of production therefrom the Bank may at its discretion but without being bound to do so insure or require the Borrower to insure the same in such joint names against any damage arising therefrom the cost of such extra insurance being payable by the Borrower and be debited to any such account. If the Bank desires that the goods, movables and other assets shall be insured against theft the Borrower shall provide the necessary cover therefor. The Borrower shall provide, if the Bank so directs, a sufficient insurance cover against breakdown of such machineries and against loss and damage by fire, lighting and flood to any immovable properties of the Borrower. The Borrower further expressly agrees that the Bank shall be entitled to adjust, settle compromise or refer to arbitration any dispute arising under or in connection with any insurance and such adjustment, settlement, compromise and any award made on such arbitration shall be valid and binding on the Borrower and also to receive all moneys payable under any such insurance or under any claim made thereunder and to give a valid receipt therefor, and that the amount so received shall be credited to the Borrower's account and the Borrower shall not raise question that a larger sum might or ought to have been received or be entitled to dispute its liability for the balance remaining due on any account or accounts after such credit. Provided

माल का कब्जा बैंक को सुपुर्द करना

On default Bank may insure

बैंक के तालों का उपयोग करना

To deliver possession the goods to the Banl

For DILPREET TUBES PVT. LTD
MANAGING DIRECTOR

For DILPR... LTD.
Executive Director

that the Bank may at its sole, absolute and unqualified discretion waive all or any of these requirements.

बही–ऋणों का प्रशमित या निर्मुक्त न करना

32. बैंक से लिखित सहमति पहले से प्राप्त किए बिना ऋणी किसी भी बही-ऋण प्रशमित नहीं करेगा और न इसको निर्मुक्त करेगा और न कोई ऐसा काम करेगा जिससे उसकी वसूली में बाधा आए, विलंब हो या वसूली रोकी जाए.

Not to compound or release book-debts.

32. The Borrower shall not compound or release any of the book-debts not do anything whereby the recovery of the same may be impeded, delayed or prevented, without the consent in writing of the Bank first had and obtained.

बैंक को सूचित किए बिना अनाहृत पूँजी आहूत न करना

33. * ज्यों ही निदेशक अपने शेयरों के बारे में कोई पूँजी आहूत करें या ज्यों ही यह प्रस्ताव पारित हो जाए किसी अनिर्गमित शेयर पूँजी का निर्गम किया जाएं या नए शेयर निकाले जाएं तो ऋणी तुरन्त बैंक को इस बात की सूचना देगा, या उसे यह सूचना देगा कि ऋणी नए शेयर जारी करना चाहता है या उपर्युक्त रूप में नए शेयरों को निकालना चाहता है और ऐसी पूंजी की राशि की सूचना भी बैंक को देगा. ऐसी सूचना देने के बाद जब तक सात दिन पूरी तरह उस समय के बाद से न बीत जाएँ जिस समय से यह सूचना बैंक को प्रेषित की जानी चाहिए थी तब तक ऋणी अपने सदस्यों को मांगी गई पूँजी या इश्यू की राशि के भुगतान करने की सूचना नहीं देगा और न ही विद्यमान शेयरों या नए शेयरों का निर्माण करेगा, और यदि बैंक ऐसा आवश्यक समझे तो ऐसे किसी प्रस्ताव के अनुसार ऋणी द्वारा प्रेषित की गई प्रत्येक सूचना, विवरण पत्र, प्रार्थना पत्र या आबंटन पत्र में सदस्यों या शेयरों के आबंटन के प्रार्थियों को यह कहा जाएगा कि इस प्रकार मांगी गई पूँजी या उपर्युक्त विद्यमान अथवा नए शेयरों के संदर्भ में देय राशियों का भुगतान बैंक को या उसके द्वारा निर्देशित रूप में करें और यदि बैंक ऐसी किसी अपेक्षा पर जोर नहीं देता तो सदस्य प्रार्थियों या जिन्हें शेयर आबंटित किए जाएँ उन्हें निदेशित किया जाएगा कि अनाहूत या अन्य राशियों का भुगतान (यथा सूचित या अधिसूचित किए अनुसार) बैंक के कार्यालय में करें और वह राशि ऋणी और बैंक के संयुक्त खाते में या बैंक द्वारा निर्देशित प्रकार से जमा की जाएगी और बैंक को यह अधिकार होगा कि वह अपेक्षा करे कि ऋणी को अनाहूत पूँजी या अन्य राशियों के रूप में जो भी राशियां प्राप्त हों उनका प्रयोग पूर्ण या आंशिक रूप से उस मूल धन, ब्याज और अन्य राशियों को चुकाने के लिए किया जाये जो बैंक को देय हैं परंतु यदि बैंक पूर्वोक्त ढंग से मांगी गई पूंजी या राशियों के प्रयोग के बारे में उनके भुगतान से एक महीने के भीतर कोई अपेक्षित कार्यवाही नहीं करता हैं तो ऋणी बैंक की सहमति किए बिना, बैंक द्वारा अपेक्षित की जाने वाली राशि से भी अधिक पूरी की पूरी राशि या उसमें से बची हुई राशि ऋणी अपनी इच्छानुसार अपने सामान्य उद्देश्यों के लिए प्रयोग कर सकता हैं परंतु यह भी इस शर्त के साथ होगा कि इस करार के अंतर्गत ऋणी को अपने सदस्यों से शेयरों के माध्यम से मांगी जाने वाली पूँजी के अग्रिम भाग के रूप में जो राशि प्राप्त होगी वह ऋणी बैंक के न्यासधारी के रूप में अपने पास रखेगा और वह राशि प्रतिभूति का अंग मानी जाएगी और उसके संबंध में वैसी ही कार्रवाई की जाएगी जो इस अनुबन्ध में इससे पहले ऋणी द्वारा प्राप्त मांगी गई पूँजी या अन्य राशियों के बारे में की जाती हैं.

Not to call uncalled capital without notice to Bank.

33.* The Borrower shall as soon as any call in respect of its shares has been resolved upon by the Directors or as soon as it shall have been resolved to issue any unissued share capital or to create any new shares immediately give notice of such call to the Bank or give notice to the Bank of the intention of the Borrower to issue or create any such share capital as aforesaid and the proposed amount thereof. And shall not until the expiration of seven clear days from the time when such notice shall have been sent to the Bank issue any notice to the members of the Borrower in respect of payment of any call or issue or create any such existing or new shares respectively as aforesaid. And if the Bank shall so require every notice, prospectus,application form or allotment letter sent out by the Borrower in pursuance of any such resolution shall direct the members or applicants for allotment of the shares of the Borrower to pay the call so made or the moneys payable in respect of the said existing or new shares to the Bank or as it shall direct and if no such requisition be made by the Bank the

For DILPREET TUBES PVT. LTD.
MANAGING DIRECTOR

For DILPREET TUBES PVT. LTD.
Executive Director

members, applicants or allottees shall be directed to pay any call or other moneys into the Bank's office (as may be informed or notified) to the joint account of the Borrower and the Bank or in such manner as the Bank may direct and the Bank shall be entitled to require all such calls or moneys received by the Borrower to be applied either wholly or partly in or towards the payment or satisfaction of the principal sum, interest and other moneys due to the Bank but in default of the Bank requiring the said calls or moneys to be so applied as aforesaid within one month of their being paid, the Borrower may without the consent of the Bank apply the whole or the balance thereof over and above what shall be required by the Bank to be otherwise applied to the general purposes of the Borrower as it shall think fit provided also that all moneys hereunder to be received by the Borrower from its members in advance of calls upon the shares be held by the Borrower upon trust for the Bank and so as to form part of the security and shall be dealt with in the manner hereinbefore mentioned in the case of calls or other moneys received by the Borrower.

Bank to appoint nominee Directors.

रिसीवर की नियुक्ति कुर्की का निष्पादन और संस्था के बहिर्नियमों या अंतर्नियमों में परिवर्तन करने की अनुमति न देना.

34. * ऋणी (क) उपक्रम या अपनी चल या अचल सम्पत्तियों के लिए किसी रिसीवर की नियुक्ति की अनुमति नहीं देगा जो बैंक के पास बंधक, गिरवी और/या बैंक के पक्ष में प्रभारित हैं (ख) उन सम्पत्तियों या उनके किसी अंश किसी कुर्की के निष्पादन की अनुमति नहीं देगा और (ग) बैंक से पहले से लिखित सहमति प्राप्त किए बिना संस्था के बहिर्नियमों या अंतर्नियमों या इसकी पूँजी संरचना में किसी प्रकार का परिवर्तन या ऐसा प्रयास नहीं होने देगा.

आंबटित आहरण अधिकार की सीमाओं में ऋण लेना जारी रहेगा.

Not to allow receiver to be appointed, distress of execution to be levied and Memorandum or Articles to be altered.

34. *The Borrower shall not (a) allow any Receiver to be appointed of the undertaking or of the properties, immovable and movable, of the Borrower mortgaged, pledged and/or charged to the Bank or any part thereof (b) allow any distress or execution to be levied upon or against the same or any thereof and (c) make or attempt to make without the previous consent of the Bank in writing any alterations of its Memorandum or Articles of Association or in its capital structure.

आवश्यकता पड़ने पर संस्था के बहिर्नियमों या अंतर्नियमों में परिवर्तन.

35. * ऋणी बैंक से अपेक्षित रूप में तुरंत और समय समय पर संस्था के बहिर्नियमों ज्ञापन या अंतर्नियमों में या अपनी पूँजी की संरचना में ऐसे परिवर्तन या परिवर्धन करेगा जो कि इस अनुबन्ध के अनुरूप आवश्यक हों.

To alter Memorandum or Articles when required.

35. *The Borrower shall forthwith and from time to time as may be required by the Bank make such alterations or additions to its Memorandum or Articles of Association or in its capital structure as may be necessary to conform to this Agreement.

To continue borrowings within drawing power allotted.

कच्चेमाल की आपूर्ति के लिए व्यवस्था करना

36. ऋणी अपने कारोबार के लिए आवश्यक कच्चे माल की नियमित और लगातार सप्लाई के लिए दीर्घावधि की व्यवस्था करेगा.

To make arrangement for supply of raw materials.

36. The Borrower shall make long term arrangements for a steady and regular supply of raw materials as may be required for its business.

निदेशकों के शेयरधारण में परिवर्तन नहीं किया जाए.

37. इस अनुबन्ध की अवधि के दौरान ऋणी अपने वर्तमान निदेशकों और प्रमुख हिस्सेदारों और प्रवर्तकों के शेयरधारण में बैंक से लिखित पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना कोई परिवर्तन नहीं करेगा.

Not to vary shareholding of Directors.

37. *During the currency of these presents the shareholding of such of the shareholders in the Borrower who are its Directors at present and the principal shareholders and promoters of the Borrower shall not be varied without the previous written consent of the Bank first obtained.

बैंक प्रतिभूति के आधिक्य को छोड़ सकता है.

बैंक नाम निर्दिष्ट निदेशकों की नियुक्ति करेगा

38. उपरोक्त ऋण सुविधाओं के अंतर्गत या उनके बारे में ऋणी की देयता के जारी रहने

* यदि ऋणी कम्पनी न हो तो उसे काट दिया जाए.

* To be deleted in case of non-corporate Borrower.

For DILPREE... PVT. LTD.

For DILPREE... ...D.

Executive Director

की अवधि में इस अनुबन्ध में उल्लिखित अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना बैंक को यह अधिकार होगा कि वह बैंक के हितों की रक्षा के लिए ऋणी के निदेशक मंडल में एक या अधिक निदेशकों की नियुक्ति नामनिर्दिष्ट निदेशक (निदेशकों) के रूप में कर सके. लेकिन इस पर यह शर्त लागू होगी कि इस प्रकार बैंक द्वारा नियुक्ति निदेशक बारी-बारी से सेवा निवृत्त नहीं होगें और उनके लिए आवश्यक नहीं होगा कि उनके पास कम्पनी के शेयर हो जैसा कि ऋणी के अंतर्नियमों में प्रावधान किया गया हैं.

Bank to appoint nominee Directors.

38. *During the subsistence of the liability of the Borrower under or in respect of any of the aforesaid credit facilities, the Bank without prejudice to its rights referred to in this Agreement shall have a right to appoint and/or remove, from time to time, a Director or Directors on the Board of Directors of the Borrower as nominee Director(s) to protect the interests of the Bank, subject however that the Director or Directors so appointed by the Bank shall not be liable to retire by rotation and need not possess any share qualification prescribed by the articles of Association of the Borrower.

आबंटित आहरण अधिकार की सीमाओं में ऋण लेना जारी रहेगा.

39. ऋणी अपने आहरणों को उसी आहरण अधिकार की सीमा तक सीमित रखेगा जो किसी विशेष सुविधा की सीमा में उसे आबंटित की गयी थी, अर्थात वह सीमा निर्धारित मार्जन को प्रतिभूति के मूल्य से घटाकर तय की जायेगी और ऋणों को कभी इस सीमा से अधिक नहीं होने दिया जायेगा. परंतु बैंक ऋणी द्वारा विशिष्ट रूप से की गयी प्रार्थना के आधार पर और अपने विवेक के अनुसार ऐसे समय के लिए जो कि आवश्यक समझा जाए, इस आहरण सीमा से अधिक ऋण लेने की अनुमति दे सकेगा और किसी भी समय बिना पूर्व सूचना दिए ऋणी से यह कह सकेगा कि वह ऐसे अतिरिक्त ऋणों की राशि को वापिस कर दे. बैंक और ऋणी के सारे अधिकार और दायित्व चाहे वे इस अनुबन्ध के अंतर्गत हो या किसी अन्य व्यवस्था पत्र या दस्तावेज के अंतर्गत हो एक विशिष्ट सीमा निर्धारित होते हुए भी ऐसे अतिरिक्त आहरणों पर लागू होगें. इस अनुबन्ध के अंतर्गत बैंक के जितने भी अधिकार और प्रतिभूतियाँ होंगी और इसी के अंतर्गत ऋणी के जो दायित्व होंगे वे बैंक के प्रति ऋणी की देयता में समाहित होंगे और ये उन सभी खातों पर लागू होंगे जो ऋणी ने बैंक में खोले हों. इस बात से कोई भेद नहीं पड़ेगा कि ऐसा कोई खाता इस सुविधा विशेष से संबंधित नहीं है जिसे देना बैंक ने स्वीकार कर लिया है.

To continue borrowings within drawing power allotted.

39. The Borrower shall at all times confine the borrowings to the drawing power allotted within the limit of the particular facility, namely, the value of the security less than stipulated margin, and in no case shall exceed such limit. The Bank may, however, at the specific request of the Borrower and in its own discretion allow drawing beyond such drawing power for such time as may be considered necessary and shall at any time without any notice call upon the Borrower to repay such excess drawings. All rights and obligations of the Bank and the Borrower respectively hereunder and under any Arrangement Letter or other documents shall extend to such excess drawings notwithstanding the specific limit stipulated. All the rights and securities created hereunder in favour of the Bank and the obligation of the Borrower thereunder will extend to cover the Borrower's liabilities to the Bank, under any account whatsoever of the Borrower with the Bank notwithstanding that such account may not relate to any particular facility agreed to be granted by the Bank to the Borrower.

बैंक प्रतिभूति के आधिक्य को छोड़ सकता है.

40. बैंक को देय राशि के भुगतान किये जाने से पहले किसी भी समय या समय-समय पर जब भी प्रतिभूति दस्तावेजों के अंतर्गत या अन्यथा प्रतिभूति का मूल्य बैंक को देय राशि से अधिक हो तो बैंक ऋणी की प्रार्थना पर या अपने विवेकाधिकार से ऋणी को ऐसे आधिक्य या प्रतिभूति या प्रतिभूति के आधिक्य वाले अंश की वापसी कर सकता है. बशर्ते कि बैंक सदैव उपरोक्तानुसार अपने विवेकाधिकार से प्रतिभूति के आधिक्य को लोटाने से इंकार कर सकता हैं क्योंकि ऋणी के पास बैंक के प्रति संपूर्ण या आकस्मिक देयता के लिए बैंक के विचार में समुचित प्रतिभूति उपलब्ध नहीं है. इस खण्ड या इस अनुबन्ध में या बैंक तथा ऋणी के बीच हस्ताक्षरित प्रतिभूति प्रलेखों में किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लिया जाएगा

For DILPREET TUBES PVT. LTD.

Executive Director

बैंक का सामान्य ग्रहणाधिकार या समंजन का अधिकार अप्रभावित रहना.

कि बैंक का सामान्य ग्रहणाधिकार और/या समंजन का अधिकार समाप्त हो गया है और किसी भी देयता के बारे में या उसके कारण बैंक को ऋणी से कोई राशि लेनी हो तो उसे उस समय बैंक के पास रखी गयी या उसके पास बची रहने वाली ऐसी प्रतिभूति के प्रति समंजन का अधिकार बना रहेगा.

Bank may release excess of security.

40. At any time or from time to time before repayment of the amount due to the Bank whenever the value of the security for the time being held by the Bank under the security documents or otherwise shall be in excess of amount due to the Bank, the Bank may at the request of the Borrower and at its discretion release to the Borrower such excess or security or any part of such excess security. Provided always that the Bank may refuse to release such excess security as aforesaid in its discretion if there are any other liabilities whatsoever of the Borrower to the Bank absolute or contingent which in the opinion of the Bank might not be adequately secured.

Bank's general lien or right of set-off not affected.

Nothing contained in this clause in particular and in this Agreement or any security documents between the Bank and the Borrower in general shall be construed as excluding the general lien and/or the right of set-off the Bank for any balance due to the Bank on any account or in respect of any liability whatsoever over any security for the time being held by or remaining with the Bank.

बैंक माल की मात्रा या गुणवत्ता के सत्यापन के लिए उत्तरदायी नहीं है.

41. ऋणी या किसी अन्य व्यक्ति के प्रति बैंक बीजकों, विवरणों या अन्य प्रलेखों में दिखाई गई माल, चल संपत्तियों या अन्य आस्थियों की मात्रा और/या गुणवत्ता के सत्यापन के लिए इस बात के होते हुए भी की बैंक ने ऐसे माल, चल-संपत्तियों या अन्य आस्तियों का कब्जा. आड़मान, गिरवी या अन्यथा किसी माध्यम से प्राप्त किया हैं उत्तरदायी नहीं होगा. बैंक ऐसे माल, चल-संपत्तियों और अन्य आस्तियों और अन्य संपत्तियों के गुम होने या उनको हानि पहुंचने के लिए भी जिम्मेदार नहीं होगा. इस बात के होते हुए भी कि माल, चल-संपत्तियों या अन्य संपत्तियों को किसी भी कारण या किसी भी ढंग से प्रतिभूति के रूप में दिए गए प्रलेखों को नुकसान आदि होने पर, प्रतिभूति के गुम होने या उनको हानि पहुंचने के समय वे बैंक के कब्जे में थी या नहीं इसके लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा. ऋणी इस समय और भविष्य में हर समय इस बात की व्यवस्था करेगा कि बैंक को ऐसे सभी मुकदमों, कार्रवाईयों, लागतों, प्रभारों, दावों और मांगों जो चाहे कुछ भी हो और किसी भी समय उत्पन्न हुई हो या किसी भी व्यक्ति द्वारा बैंक के विरूद्ध ऐसे मामलों और बातों के लिए की गई हो जो बैंक ने उपरोक्त माल, चल-संपत्तियों और अन्य संपत्तियों के सबंध में कानून के अंतर्गत आवश्यक मान कर किया हो या करवाया हो या बैंक ने इस अनुबन्ध या अन्य प्रतिभूतियों संबंधी दस्तावेजों के अनुसार अपने अधिकारों और शक्तियों का प्रयोग करते समय किया हो, की क्षतिपूर्ति करे और क्षति की प्रतिपूर्ति बनाये रखें. बैंक पर इस बात की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी कि माल, संपत्तियों और अन्य संपत्तियों जो इस अनुबन्ध के अंतर्गत या बैंक और ऋणी के बीच प्रतिभूति के लिए निष्पादित दस्तावेजों के अनुसार बैंक के कब्जे में हो उनकी मात्रा, गुणवत्ता या हालत कैसी हैं यह बात उन संपत्तियों और अन्य संपत्तियों पर भी लागू होती हैं जो इस कारण बैंक के कब्जे में आयी हो कि बैंक ने इस अनुबन्ध के अंतर्गत या प्रतिभूति के प्रलेखों के अंतर्गत या अन्यथा अपने अधिकारों का प्रयोग किया हैं और/या बैंक पर इस बात की भी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी कि ऐसे माल और संपत्तियों के बारे में जो दस्तावेज तैयार किए गए हो उनकी शुद्धता, वैधता, पर्याप्तता या वास्तविकता सही हैं नहीं.

हानि आदि के लिए बैंक की क्षतिपूर्ति.

बैंक माल की मात्रा, गुणवत्ता या हालत के लिए जिम्मेदार नही.

Bank not liable for verifications of quantity or quality of goods.

41. The Bank shall not be under any liability whatsoever towards the Borrower or any other person for verification of the quantity and/or quality of any goods movables or other assets shown in the relevant invoices statements or other documents notwithstanding that it may have taken possession of such goods movables or other assets by way of hypothecation pledge or otherwise or for any loss or damage to the goods, movables and other assets and other documents and given as security from whatever cause or in whatever manner arising whether such goods movables or other assets shall be in the possession of the Bank or not at the time of

To indemnify the Bank against losses etc.

Bank not responsible for quantity, quality or condition of goods

ऋणी द्वारा नकारात्मक प्रसंविदाएँ

Negative Covenants by the Borrower

पूंजी में कोई परिवर्तन या फेर-बदल नहीं

Change, or alter capital

योजना लागू नहीं करेगा

Effect Scheme

नयी योजना कार्यान्वि नहीं करेगा

Implement new Scheme

लाभांश की घोषणा नहीं करेगा

Declare dividend

कार्य-कलाप का प्र नहीं करेगा

Enlarge scope of activities

संप्रवर्तकों और नि द्वारा अपना पैसा लेने की अनुमति

Withdraw money promoters and di

For DILPREET TUBES PVT LTD

MANAGING DIRECTOR

For DILPREET TUBES PVT. LTD.

Executive Director

To indemnify the Bank against losses etc.

such loss or damage or the happening of the cause thereof. The Borrower doth and shall at all times indemnify and keep indemnified the Bank from and against all actions, suits, proceedings, costs, charges, claims and demands whatsoever that may at any time arise or be brought or made by any person against the Bank in respect of any acts matters and things lawfully done or caused by the Bank in connection with the said goods movables and other assets or in pursuance of the rights and powers of the Bank under this Agreement or other security documents. No responsibility will lie with the Bank in respect of the quantity, quality or condition or on whatever account on final out-turn of the goods movables and other assets in possession of the Bank under this Agreement or under security documents between the Bank and the Borrower including goods movables and other assets which may have come into the possession of the Bank by the Bank exercising any of its rights under this Agreement or any security documents or otherwise and/or in respect of the correctness, validity, sufficiency or genuineness of any of the documents relating thereto.

Bank not responsible for quantity, quality or condition of goods.

ऋणी द्वारा नकारात्मक प्रसंविदाएँ

42. जब तक ऋणी की बैंक के प्रति उपरोक्त ऋण सुविधाओं के अंतर्गत या उनके संबंध में कोई देयता बनी रहेगी तब तक ऋणी बैंक की लिखित अनुमति के बिना:-

Negative Covenants by the Borrower

42. The Borrower shall not during the subsistence of the liability of the Borrower to the Bank under or in respect of any of the aforesaid credit facilities without the written consent of the Bank—

पूंजी में कोई परिवर्तन या फेर-बदल नहीं

क. कम्पनी की पूंजी की संरचना में कोई परिवर्तन या फेरबदल नहीं करेगा.

Change, or alter capital

(a) change or in any way alter the capital structure of the borrowing concern;

योजना लागू नहीं करेगा

ख. विलय या पुर्नगठन की कोई योजना लागू नहीं करेगा.

Effect Scheme

(b) effect any scheme of amalgamation or reconstitution;

नयी योजना कार्यान्वित नहीं करेगा

ग. विस्तार की कोई नयी योजना लागू नहीं करेगा और न कारोबार या निर्माण का कोई सम्बद्ध काम शुरू करेगा.

Implement new Scheme

(c) implement a new scheme of expansion or take up an allied line of business or manufacture;

लाभांश की घोषणा नहीं करेगा

घ. लाभांश की घोषणा नहीं करेगा और न करों की कटौती के बाद लाभ बाटेगा सिवाय उस स्थिति के जब उपर्युक्त ऋण सुविधाओं से संबंधित कोई भी अनियमितताएं न हों.

Declare dividend

(d) declare a divided or distributes profits after deduction of taxes, except where the instalments of principal and interest payable to the Bank in respect of the aforesaid credit facilities are being paid regularly and there are no irregularities whatsoever in respect of any of the aforesaid credit facilities.

कार्य-कलाप का प्रसार नहीं करेगा

ङ. प्रार्थना-पत्र के समय चल रहे कार्यों के अतिरिक्त और बैंक को दी गयी सूचना के अनुसार अन्य विनिर्माण/व्यापार कार्य-कलाप का प्रसार नहीं करेगा.

Enlarge scope of activities

(e) enlarge the scope of the other manufacturing/trading activities, if any, undertaken at the time of the application and notified to the Bank as such;

संप्रवर्तकों और निदेशकों द्वारा अपना पैसा वापस लेने की अनुमति नहीं देगा

च. न तो अपना पैसा वापस लेगा और न संप्रवर्तकों और निदेशकों या संप्रवर्तकों के संबंधियों और मित्रों या ऋणी के निदेशकों द्वारा लगाए गए पैसे को वापस लेने की अनुमति देगा.

Withdraw moneys by promoters and directors

(f) withdraw or allow to be withdrawn any moneys brought in by the

For DILPREET TUBES PVT. LTD.
MANAGING DIRECTOR

For DILPREET TUBES PVT. LTD.
Executive Director

promoters and directors or relatives and friends of the promoters or directors of the Borrower;

पूँजी निवेश नहीं करेगा.

छ. किसी अन्य कम्पनी (जिनमें सहायक कंपनियाँ भी सम्मिलित हैं) में जमा राशियों, ऋणों या शेयर पूंजी के रूप में तब तक कोई निधियाँ नहीं लगायेगा जब तक कि उसे बैंक का कोई पैसा लौटाना है तथापि ऋणी को इस बात की स्वतंत्रता होगी कि वह अपने सामान्य कार्य-कलाप के लिए या अपने कारोबार के लिए आवश्यक होने पर तीसरे पक्षों के पास प्रतिभूति के रूप में राशियाँ जमा कराये.

Invest funds

(g) invest any funds by way of deposits, or loans or in share capital of any other concern (including subsidiaries) so long as any money is due to the Bank; the Borrower will, however, be free to deposit funds by way of security, with third parties in the normal course of business or if required for the business;

अन्य ऋण सुविधाएं नहीं लेगा

ज. किसी भी अन्य बैंक या ऋण एजेंसी या महाजनों से किसी प्रकार का ऋण या ऋण सुविधाएँ नहीं लेगा और जब तक बैंक के प्रति उसकी देयता समाप्त नहीं होती वह किराये पर माल खरीदने को कोई अनुबन्ध भी नहीं करेगा.

Borrower obtain credit facilities

(h) borrow or obtain credit facilities of any description from any other bank or credit agency or money-lenders or enter into any hire-purchase arrangement during the subsistence of the liability of the Borrower to the Bank.

ऋणी के बिलों आदि के बट्टाकरण से संबंधित प्रसंविदाएं.

43. बैंक द्वारा ऋणी को ऋणी द्वारा उसके/उनके/कम्पनी के विभिन्न ग्राहकों के नाम जारी की गई निर्बंध/प्रलेखी/माँग/मुद्दती हुण्डियों चाहे वे विदेशी मुद्रा में हों या भारतीय रूपयों में और वे ऋण-पत्रों के अंतर्गत आहरित की गई हो या अन्यथा, बैंक ने ऋणी को उनकी खरीद, परक्रामित/बट्टाकृत करने के लिए जो अग्रिम राशियाँ दी हो उनकी उगाही के संबंध में ऋणी स्वीकार करता है और बैंक के साथ यह प्रसंविदा करता है कि:-

Borrower's Covenants in respect of discounting of bills etc.

43. In respect of advances granted by the Bank to the Borrower by way of purchase/negotiation/discounting of clean/documentary/demand/usuance bills of exchange drawn by the Borrower on his/its/their various customers and expressed in foreign currency or Indian rupees and whether under letters of credit or otherwise and/or in respect of said bills tendered for collection the borrower agrees and covenants with the Bank as under;

क. जहाँ आवश्यक हो, हुण्डियों की खरीद/परक्रामण/ बट्टाकृत करने से पहले उन पर स्टैम्प शुल्क समुचित राशि में लगेंगे और ऋणी रिजर्व बैंक द्वारा नयी हुण्डी योजना के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र के अनुरूप हुण्डियाँ आहरित करेगा जिनके मुख पृष्ठ पर बेचे गये माल का विवरण और उसकी मात्रा लिखी होगी और साथ ही माल ले जाने वाले वाहन की वाहन संख्या और तिथि अंकित होगी,

(a) that the bills shall bear, where necessary adequate stamp duty before purchase/negotiations/ discounting and shall be drawn by the Borrower in conformity with the proforma prescribed under the Reserve Bank of India New Bill Market Scheme, indicating on the face thereon the description and quantity of goods sold and the number and date of the carrier's receipt;

ख. कि आहरित हुण्डियों की अवधि सामान्यतया 90 दिन तक की होगी,

(b) that the bills shall be drawn with a usance, ordinarily, of not exceeding 90 days;

For DILPREET TUBES PVT. LTD.

MANAGING DIRECTOR

For DILPREET TUBES PVT. LTD.

Executive Director

ग. कि सरकारी विभागों, अर्धसरकारी संगठनों, सांविधिक निगमों और सरकारी कंपनियों के दिये गये माल से संबंधित जो हुण्डियाँ आहरित की जायेंगी वे भारतीय रिजर्व बैंक योजना में निर्धारित प्रपत्रों के अनुरूप होंगी.

(c) that the bills pertaining to supplies made to Government departments and quasi-Government bodies as well as statutory Corporations and Government Companies shall be drawn in conformity with the proforma prescribed under the Reserve Bank of India Scheme;

घ. कि देश के दूरस्थ भागों में भेजे जाने वाले सावधि बिल भुगतान के लिए प्रस्तुत करते समय इस बात की व्यवस्था की जायेगी कि उनके साथ रेल्वे या अनुमोदित परिवहन कंपनियों की बिल्टियां और मूल बीजक हों और ये दस्तावेज, स्वीकृत करा लेने के बाद ही अदाकर्ता को सुपुर्द किए जाएंगे.

(d) that at the time of offering upcountry usance bills for discount the bills shall be accompanied by railway receipts or motor transport receipts of approved Transport Companies together with the relative original invoices and that the documents will be delivered to the drawees only after the bills accepted;

ङ. कि स्थानीय बिक्री के मामले में बिलों के साथ बीजकों की प्रतियाँ लगाई जाएं जिन पर खरीदारों ने यह स्वीकार किया हो कि उनके पास माल पहुंच गया है ऐसे बिल बट्टाकरण के लिए तभी प्रस्तुत की जाएं जब इन्हें अदाकर्ता से स्वीकृत करा लिया गया हो

(e) that in the case of local sales, bills shall be accompanied by copies of invoices bearing acknowledgements of the purchasers in token of their having received the goods and shall be offered for discount only after acceptance of bills by the drawees;

च. कि दूरस्थ स्थानों की या स्थानीय बिलों की राशि ऋणी अन्य बैंकों के माध्यम से वसूल नहीं करेगा.

(f) that upcountry or local bills will not be collected by the Borrower through other banks;

छ. ऋणी यह सुनिश्चित करेगा कि दूरस्थ स्थानों से संबंधित बिलों के अदाकर्ताओं के समक्ष प्रस्तुत करके इन्हें स्वीकृत करा लिया जाता हैं और नियत तिथि पर उनका भुगतान कर दिया जाता है यदि बिलों के प्रस्तुतीकरण पर ये अस्वीकृत रह गये हो या नियत तिथियों पर उनका भुगतान न हुआ हो तो बैंक को यह अधिकार होगा कि वह इन बिलों की राशि उन पर देय ब्याज और तत्संबंधी शुल्कों की राशि ऋणी के खातों में नामे ड़ाल दे,

(g) that the Borrower shall ensure that upcountry bills are accepted by the drawees on presentation and retired on due dates. In the event of the bills remaining unaccepted on presentation or unpaid on due dates, the Bank shall be entitled to recover the amount of such bills along with overdue interest and other incidental charges by debit to the accounts of the Borrower.

ज. कि बैंक को यह अधिकार होगा कि बिलों के भुगतान करने के लिए अदाकर्ता स्थानीय बैंकों के चैक दे तो वह उन्हें तब तक स्वीकार न करे जब तक कि वे नियत तिथि को समाशोधन के निर्धारित समय से पहले प्रस्तुत न किए गए हों. यदि नियत तिथि को चैक समाशोधन के समय के बाद मिलते है तो बैंक उन बिलों को अदत्त मान लेगा और उनकी राशि नियत तिथियों को ऋणी के खाते के नामे डाल देगा,

For DILPREET TUBES PVT. LTD.
MANAGING DIRECTOR

For DILPREET TUBES PVT. LTD.
Executive Director

(h) that the Bank shall be at liberty not to accept cheques drawn on local banks from the drawees in payment of bills drawn on them unless such cheques are tendered at the Bank before clearing hours on due dates. In the event of cheques being received late after clearing hours on due dates, the Bank may treat the relative bills as unpaid and may debit the amounts thereof to the account of the Borrower on due dates;

झ. कि ऋणी पहले से बैंक को अग्रिम अनुमोदनार्थ उन स्थानीय व्यक्तियों की सूची देगा जिनके नाम वह मुद्दती बिल आहरित करना चाहता हैं,

(i) that the Borrower shall furnish to the Bank in advance a list of local parties on whom the Borrower intends to draw usance bills for prior approval of the Bank;

ञ. कि ऋणी उन शर्तो का पालन करेगा जो बैंक द्वारा समय-समय पर लगाई जाएंगी,

(j) that the Borrower shall abide by such terms and conditions as the Bank may from time to time stipulate;

ट. कि जब तक कि अन्यथा विधान न किया जाए, बिलों के बट्टाकृत करने की दर वही होगी जिस पर बैंक ऋणी को माल के बदले अग्रिम देता हैं,

(k) that unless otherwise specified the rates for discounting the bills will be the same rate which is applicable to advances granted to the Borrower against stocks;

ठ. कि बैंक को निम्नलिखित प्रभार लेने का अधिकार होगा:-

(l) that the Bank shall be entitled to charge —

(i) प्रत्येक बिल की राशि पर सेवा शुल्क और अनुषंगिक खर्चे जिससे रजिस्ट्री, डाक-खर्च आदि फुटकर व्यय पूरे हो सकें. जो समय-समय पर मानक शुल्कों की बैंक की अनुसूची के अनरूप होगें और

(i) service charges on the amount of each bill and out-of-pocket expenses towards registration, postal charges etc. per instrument as per the Bank's Schedule of standard charges in force from time to time; and

(ii) देय तिथि से भुगतान की तिथि तक के बिल पर ब्याज और वापस किये गये बिलों पर देय तिथि से प्रतिपूर्ति की तिथि तक का ब्याज जिसकी दरें बैंक समय-समय पर निर्धारित करेगा, बशर्ते बैंक को यह हक होगा कि अपने विवेकाधिकार से समय-समय पर इन शुल्कों में संशोधन करे.

(ii) overdue interest on bills from the due to the date of payment and in the case of returned bills from the due date to the date of reimbursement at the rates prescribed by the Bank from time to time; Provided always the Bank at its discretion shall be entitled to revise the aforesaid charges from time to time;

ड. कि बैंक बिलों को पावती वाली रजिस्ट्री, रजिस्ट्री से, साधारण डाक या किसी वाहक सेवा के माध्यम से, जैसा कि वह अपने विवेकाधिकार से फैसला करें, बैंक अपने निजी कार्यालयों को या अनुसूचित बैकों भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की अनुसूची द्वितीय के किसी संदर्भ में या अन्य वाणिज्यिक

For DILPREET TUBES PVT. LTD
MANAGING DIRECTOR

For DILPREET TUBES PVT. LTD.
Executive Director

बैंकों और/या सहकारी बैंकों या बिलों की अदायगी करने वालों को ऋणी के जोखिम और जिम्मेदारी पर सीधे बिल भेज सकता हैं और यदि कोई बिल या बिलों की राशि या बिलों में बताये गये माल की हानि हो जाती हैं, उसका चाहे कोई भी कारण हो तो जिम्मेदारी और जोखिम ऋणी का होगा और ऋणी यह स्वीकार करता है कि इसमें बैंक को कोई हानि नहीं होगी और यदि बैंक द्वारा इन व्यवस्थाओं के अंतर्गत भेजे गए बिलों पर कोई हानि होती हैं और कोई शुल्क देना पड़ता हैं या कोई खर्च होता हैं तो वह बैंक को नहीं देना पड़ेगा और यदि इस प्रकार की किसी हानि के परिणामस्वरूप बैंक की कोई क्षति होगी तो उसकी पूर्ति ऋणी करेगा.

(m) the Bank may send the bills either by registered acknowledgement due post or registered post or ordinary post or by any courier service, as is decided by the Bank in its discretion to any of its own offices or to any of the Scheduled Banks (reference being to Schedule II of the Reserve Bank of India Act, 1934) or other Commercial Bank and/or Co-operative Bank or directly to the drawees at the Borrower's risk and responsibility as to the losses if any on the bills or the proceeds of the bills or of the goods represented by the bills due to any cause whatsoever and the Borrower agrees to hold the Bank harmless and indemnified from and against all consequences that may arise from its doing so and from and against all losses, charges and expenses in sending the bills accepted under these arrangements in the manner aforesaid;

ढ. जहां उगाही के लिए स्वीकृत बिल केन्द्र/राज्य सरकारों के विभागों/एजंसियों और/या सरकारी क्षेत्र के उद्यमों और/या रेलवे और/या अन्य ग्राहकों और/या ऋणी के ग्राहकों द्वारा देय हैं और उनके साथ रेलवे की बिल्टियां, जहाजी प्रलेख या अन्य प्रलेख लगे हुए हैं, जिनसे पता चलता हैं कि माल का स्वामित्व ऋणी का हैं, जैसे मोटर रसीदें या रसीदों की टिप्पणियां बैंक माल लेने की टिप्पणियां, रसीदी चलानों या निरीक्षण टिप्पणियां, जहां रेलवे की बिल्टियां हों, जहाजी प्रलेख या मोटर रसीदें, बाहर की रसीदें संबंद्ध प्रेषिती/अदाकर्ताओं को अग्रसारित कर दी/सीधे भेज दी गयी हों और उगाही के लिए ऋणी बैंक को बिल दिये गये हों तो ऋणी संबंद्ध, प्रलेखों की प्रतियों या प्रलेख बिलों सहित और जिन पर ऋणी के हस्ताक्षर हों और बीजक जो उन दस्तावेजों में उल्लिखित ग्राहकों को माल भेजे जाने का प्रमाण हैं, बैंक के पास जमा करायेगा.

(n) where the bills accepted for collection are drawn on Central/State Government Departments/Agencies and/or Public Sector Undertakings and/or Railways and/or other parties and/or Borrower's customers accompanied by either railway receipts, shipping documents or other documents evidencing title to goods like motor receipts or receipt notes, take delivery notes receipted challans or inspection notes in cases where the railway receipts, shipping documents or motor receipts have been forwarded/direct to the concerned drawees/consignees and offered by the Borrower to the Bank for collection the Borrower shall deposit with the Bank copies or the relevant documents along with the bills signed by the borrower and invoices evidencing despatch of goods to the parties mentioned therein;

ण. जहां ऋणी की प्रार्थना पर बैंक ने यह स्वीकार कर लिया है कि इस अनुबन्ध के अंतर्गत दी गई सुविधाओं में ऋणी द्वारा अपने ग्राहकों को उधार पर बेचे गये माल को भी शामिल कर लिया जाए और जहां ऋणी सीधे अपने ग्राहकों को उनके अनुरोध पर तैयार माल भेज देता है और संबद्ध बीजकों की प्रतियां, रसीद दिये गए या गैर रसीदी चालानों से या स्वीकार किये गये माल की

For DILPREET TUBES PVT LTD
MANAGING DIRECTOR

For DILPREET TUBES PVT. LTD.
Executive Director

सुपुर्दगी टिप्पणियों, रसीद टिप्पणियों, निरीक्षण टिप्पणियों के साथ या उनके बिना बैंक को यह प्रमाणित करने के लिए सुपुर्द करता है कि तैयार माल वास्तव में भेजा गया था और जहां इन परिस्थितियों में या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में ऋणी बिलों का भुगतान प्राप्त करता है तो वह बिलों की राशि और बीजकों के माध्यम से बेचे गये माल की कीमत जो उसने स्वयं या उसके एजेंटों ने प्राप्त की हो, वह चाहे नगदी में हों, चैक में या किसी अन्य तरीके से तो वह राशि तुरंत बैंक में अपने ऋण खाते/खातों में जमा करा देगा जिससे कि ऐसे बीजकों के आधार पर दिये गये अग्रिम धन की बकाया राशि चुकायी जा सके.

(o) where at the request of the Borrower the Bank has agreed to include in the facilities granted under this Agreement credit sales made by the Borrower to the customers of the Borrower whereby finished goods are directly sent to the customers at their requests and copies of the relative invoices with or without receipted challans or accepted delivery notes, receipts notes, inspection notes, are tendered by the Borrower to the Bank as evidencing despatch of finished goods and where under such circumstances or any other circumstances the Borrower receives payment of the bills the Borrower shall immediately deposit the proceeds of the bills and the sale proceeds of the goods covered by invoices directly received by the Borrower or the agents of the Borrower whether in cash or by cheques or by any other mode of payment in the said account(s) with the Bank towards payment of the outstandings in respect of the advances granted on the evidence of such invoices;

त. ऋणी हर बार बैंक से प्राप्त अग्रिमों का भुगतान उतने दिनों में ही कर देगा जितने दिन बैंक ने ऐसे अग्रिमों के संबंध में नियत किये हों, फिर चाहे उपरोक्त बिलों/बीजकों का भुगतान ऋणी को प्राप्त हुआ हो या नहीं और या बिल भी किसी कारण से बिना भुगतान के लौटा दिये गये हों ऋणी बैंक से ऐसी सूचना प्राप्त होते ही तुरंत उस राशि का भुगतान बैंक को करेगा.

(p) the Borrower shall repay the Bank's advances within such number of days as may be stipulated by the Bank of the utilisation of the advances by the Borrower on each occasion whether or not the payment of the said bills/invoices is received by the Borrower or if the bills are returned unpaid for any reason whatsoever the Borrower shall reimburse the Bank immediately on receipt of the Bank's advice;

थ. ऋणी बैंक को हर समय सभी हानियों, क्षतियों, वादों, लागतों (जो मुवक्किल अपने वकील को देता है) शुल्कों या खर्चों जो बैंक द्वारा किये/वहनकिये/व्यय किये जा सकते हैं (चाहे उनका भुगतान बैंक ने किया हो या नहीं) जो उपर्युक्त बिलों की खरीद/परक्रामण/बट्टाकरण/उनकी उगाही के परिणाम स्वरुप बैंक द्वारा किये गए हों इनसे संबंधित उन हानियों से ऋणी बैंक को सुरक्षित रखेगा या उन क्षतियों के होने पर उनकी प्रतिपूर्ति करेगा जिनके लिए बैंक के भारत में या अन्यत्र स्थित अपने कार्यालय या प्रतिनिधि उपर्युक्त बिलों के दस्तावेजों में विद्यमान अनियमितताओं या त्रुटियों के लिए गारंटी देते हैं.

(q) the Borrower shall indemnify the Bank and keep the Bank harmless and Indemnified at all times against all losses damages actions costs (as between Advocate and client) charges or expenses which may be made against or sustained or incurred by the Bank (and whether paid by the Bank or not) as a result of or in consequence of the Bank having agreed to purchase/negotiate/discount/collect the said bills as also as a result of or in consequence of the Bank through any of its offices or correspondents in India and elsewhere guaranteeing any irregularities or discrepancies that may be existing in the documents relating to the said bills in connection therewith.

For DILPREET TUBES PVT. LTD.

DIRECTOR

For DILPREET TUBES PVT. LTD.

Executive Director

द. बिलों और उनसे प्राप्त राशियों और उन बिलों के साथ संलग्न माल के स्वामित्व संबंधी दस्तावेजों के अंतर्गत मार्गस्थ माल या अन्य प्रलेख जो माल के स्वामित्व को दर्शाते हैं बैंक के पास बंधक रहेगें और उन पर बैंक का पहला और सर्वोपरि ग्रहणाधिकार रहेगा और ऐसे माल के मामले में किसी विवाद के होने पर इस बात की अनदेखी करते हुए कि गिरवी ग्राही के रूप में बैंक का इन पर अधिकार हैं बैंक का ग्रहणाधिकार भी सभी बिलों, माल प्रतिभूतियों, दस्तावेजों और उन राशियों पर होगा जो ऋणी की हैं या उसकी मानी जाती हैं इसके अतिरिक्त ऋणी के पक्ष में जो दावे या मागें या देय राशियों होंगी उन पर भी बैंक का ग्रहणाधिकार रहेगा.

(r) the Bank shall have first and paramount lien on the bills and the moneys received thereunder and the goods in course of transit covered by the documents of title to goods or other documents which purport to represent rights of title to goods accompanying the bills shall remain pledged to the Bank and irrespective of its rights as a pledgee of such goods in case of any dispute the Bank shall also have the Banker's lien on all bills goods, securities, documents and moneys belonging or purporting to belong to the Borrower for all moneys claims and demands due or to become due from the Borrower to the Bank;

ध. यदि बिलों/बीजकों को किसी कम राशि के भुगतान के एवज में छोड़ना स्वीकार कर लिया जाता हैं तो ऋणी बैंक को यह अधिकार देता हैं कि वह कम राशि स्वीकार कर ले, और ऋणी उस कमी को पूरा करेगा या उससे होने वाली हानि की पूर्ति करेगा और बैंक किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा.

(s) in case the bills/invoices are passed for payment for a reduced amount, the Borrower authorises the Bank to accept such reduced payment and the Borrower shall make good the shortage or any loss arising therefrom and the Bank will not be responsible in any manner whatsoever;

न. जब अदाकर्ता बिलों या बीजक का भुगतान किये बिना उन्हें सीधे ऋणी के पास लौटा देते हैं तो वह उनकी प्राप्ति के तुरंत बाद उन बिलों/बीजकों को बैंक के पास भेजेगा तो बैंक द्वारा इन बिलों को स्वीकार कर लेने का यह अर्थ नहीं होगा कि उसे उन बिलों/बीजकों की राशियां ऋणी से वापस वसूलने का अधिकार नहीं हैं.

(t) where the drawees return unpaid the bills/invoices to the Borrower direct, the Borrower shall immediately on receipt thereof return the bills/invoices to the Bank and the Bank's acceptances thereof shall be without prejudice to its right of recovery of the amounts covered by the bills/invoices from the Borrower.

44. जब बैंक द्वारा ऋणी को "अदाकर्ता बिल स्वीकृति सीमा" और/या "अदाकर्ता बिल बट्टाकरण सीमा" के माध्यम से अग्रिम दिये गये हों जिसके अंतर्गत माल भेजने वालों ने ऋणी पर मुददती बिल आहरित किये हों और जिन्हें ऋणी ने स्वीकार कर लिया हो और उन्हें बैंक के पास बट्टाकृत करने के लिए जमा कर दिया हो, इनके संदर्भ में ऋणी इस बात को स्वीकार करता हैं और बैंक के साथ निम्नलिखित प्रसंविदा करता हैः-

44. In respect of advances granted by the Bank to the Borrower by way of drawee bills acceptance limit and/or drawee bills discounting limit wherein usance bills drawn on the Borrower by the suppliers of goods and accepted by the Borrower are lodged with the Bank for discounting, the Borrower hereby agrees and covenants with the Banks as under:

क. ऋणी इस बात की पुष्टि करता हैं कि उसकी प्रार्थना पर बैंक ने अपने एकल

For DILPREET TUBES PVT. LTD.

Executive Director

For DILPREET TUBES PVT. LTD.

Executive Director

और सम्पूर्ण विवेकाधिकार से मुददती बिलों का बट्टाकरण करने की बात स्वीकार कर ली है और ऐसे बिलों की अवधि 90 दिन से अधिक नहीं होगी. ये बिल माल भेजने वाले द्वारा ऋणी पर आहरित किये जाते हैं और ऋणी इन्हें तब स्वीकार कर लेता है जब इन बिलों की राशि अदाकर्ता बिल बट्टाकरण सीमा से अधिक न हो जो ऋण की सर्वोपरि सीमा के अंदर होगी (इन बिलों को इसके पश्चात् "बिल" कहा गया है)

(a) The Borrower hereby confirms that at the request of the Borrower the Bank has agreed in its sole and absolute discretion to discount usance bills with usance ordinarily not exceeding 90 days, drawn on the Borrower by the suppliers of goods and accepted by the Borrower for an amount at any time not exceeding the drawee bills discounting limit granted within the overall limit (hereinafter referred to as "the Bills").

ख. जब भी ऋणी बैंक से बिलों के बट्टाकृत करने की अपेक्षा करे तो वह बैंक के पास बिलों के साथ उन बीजकों और माल भेजने की रसीद सहित चालानों की मूल दस्तावेजों और/या उनकी प्रतिलिपियों देगा जिनसे यह पता चलता हो कि बिल के आहर्ताओं ने ऋणी को माल भेजा हैं (इन्हें इसके बाद "आपूर्तिकर्ता" कहा गया हैं).

(b) Whenever the Borrower requires the Bank to discount the Bills, the Borrower shall lodge with the Bank the Bills together with the original and/or copies of invoices and the receipted delivery challans evidencing the supply to the Borrower of the goods drawn by the drawers of the Bills (hereinafter called "the Suppliers").

ग. ऋणी इस बात की पुष्टि करता है और घोषणा करता है कि ऋणी पर आहरित राशियाँ उस पर देय हैं और उनके लिए वह आपूर्तिकर्ता का ऋणी हैं और आपूर्तिकर्ताओं ने ऋणी को बिलों के साथ जो बीजक भेजे हैं उनमें उल्लिखित माल का आर्डर ऋणी ने विधिवत् दिया था और उसे वह प्राप्त हो गया हैं और कि इन बिलों की राशि का भुगतान ऋणी द्वारा बैंक को उनकी अवधि पूरी होने पर किया जायेगा.

(c) The Borrower hereby confirms and declares that the amounts represented by the Bills drawn on the Borrower by the Suppliers will be due and owing by the Borrower to the Suppliers and that the goods represented by the invoices accompanying the Bills will have been duly ordered and received by the Borrower and that the amounts of such Bills will be paid by the Borrower to the bank at maturity.

घ. ऋणी इस बात की पुष्टि करता है और घोषणा करता हैं कि जब बैंक बिलों को बट्टाकृत करेगा तो उन पर उसका स्वामित्व होगा और उसे यह अधिकार होगा कि वह भारतीय रिजर्व बैंक, डिस्काउंटेड एण्ड फायनेंस हाऊस ऑफ इंडिया लिमिटेड, किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक या किसी अन्य अनुमोदित वित्तीय संस्था से उन बिलों को पुर्नबट्टाकृत करा ले और या उनका स्वामी होने के नाते जैसा भी चाहे उनका निबटान कर दे.

(d) The Borrower declares and confirms that on the Bank discounting the Bills the Bank will have good title thereto and will be entitled to have the Bills rediscounted with Reserve Bank of India, Discounted and Finance House of India Limited, any scheduled commercial bank or any other approved financial institution or otherwise deal with the Bills as the holder thereof.

ड. ऋणी इस बात की भी पुष्टि करता है कि उसके द्वारा आपूर्तिकर्ताओं को या आपूर्तिकर्ताओं द्वारा ऋणी को लिखे गये पत्रों या दस्तवेजों में किसी प्रतिकूल

For DILPREET TUBES PVT. LTD

MANAGING DIRECTOR

For DILPREET TUBES PVT. LTD.

Executive Director

बांत के होते हुए भी ऋणी पर इस बात का अनिवार्य सम्पूर्ण और बिना शर्त या दायित्व होगा कि वह बैंक को उन बिलों की राशियों का भुगतान बिलों की अवधि पूरी होने पर करे जो बिलों के अंतर्गत बैंक ने बट्टाकृत की थी.

(e) The Borrower further confirms that notwithstanding anything to the contrary contained in any documents or letters written by the Borrower to the Suppliers or by the Suppliers to the Borrower, the Borrower shall be irrevocably, absolutely and unconditionally liable to pay to the Bank the amounts of the Bills discounted with the Bank at the maturity of such Bills.

च. ऋणी इस बात को स्वीकार करता है, घोषणा करता है और पुष्टि करता है कि उसकी उपरोक्त बिलों के विषय में बैंक के प्रति देयता होगी और बैंक को यह अधिकार होगा कि वह उन बिलों का धारक होने के नाते ऋणी पर अपने सारे अधिकारों को लागू करे और कि ऋणी भी इसी प्रकार जिम्मेदार बना रहेगा चाहे ऋणी और आपूर्तिकर्ता/आहरणकर्ता के बीच कोई दावा, अधिकार, विवाद या मुकदमा क्यों न उठ खड़ा हो.

(f) The Borrower agrees, declares and confirms that the Borrower will be liable to the Bank as aforesaid on the Bills and that the Bank shall be entitled to enforce all its rights against the Borrower as the holder of such bills and that the Borrower shall continue to be so liable notwithstanding any claim right, dispute or litigation arising or which may arise between the Borrower and the Suppliers/drawers.

छ. ऋणी इस बात को स्वीकार करता है और पुष्टि करता है कि जब वह बिलों को स्वीकार कर ले और बैंक उन्हें बट्टाकृत कर दे तो उसकी राशियां बैंक आपूर्तिकर्ताओं को बैंकर्स चैक या किसी ऐसे अन्य माध्यम से देगा जिसे वह उचित समझे.

(g) The Borrower agrees and confirms that on the acceptance of the Bills by the Borrower and as the same being discounted by the Bank, the proceeds thereof shall be paid by the Bank to the Suppliers by means of Bankers Cheque or by any other means as may be deemed fit by the Bank.

ज. बट्टे/कमिशन/विनिमय की राशि की दर वही होगी जो आहरणकर्ता के बिलों के बट्टाकरण पर लागू होती है या ऐसी दर होगी जिसका निर्णय बैंक करे और तदनुसार इसकी राशि बैंक इस प्रकार वसूल करेगा कि वह बिलों का बट्टा-करण करते समय वह राशि ऋणी के कैश क्रेडिट खाते के नामे डाल देगा.

(h) The Amount of discount/commission/or exchange at the same rate as applicable to the discounting of drawer bill or such other rate as may be decided by the Bank, as the case may be, will be recovered by the bank by debit to the cash credit account of the Borrower at the front end i.e at the time of discounting the Bills.

झ. यद्यपि बिलों की राशि ऋणी द्वारा इनकी अवधि समाप्त होने के समय संदेय है, तो भी ऋणी अपने कैश क्रेडिट खाते में समुचित राशियाँ रखेगा जिससे कि ऋणी द्वारा देय तिथि पर उनका भुगतान न करने पर बैंक उन राशियों को ऋणी के खाते के नामे डालकर वसूल कर सके.

(i) Although the amount of the Bills is payable by the Borrower at maturity of the bills, the Borrower shall provide adequate funds in the Cash Credit account to enable the Bank to recover the same by debit to the cash credit

For DILPREET TUBES PVT. LTD
MANAGING DIRECTOR

For DILPREET TUBES PVT. LTD.
Executive Director

account of the Borrower in the event of non-payment thereof bv the Borrower on the due date.

45. संविदा अधिनियम या स्वीकृत मुद्दती बिलों की प्रतिभूति पर ऋण संबंधी किसी उपबंध के होते हुए भी, जहां ऋणी ने बिल आहरित किये हो और अदाकर्ताओं ने इन्हें स्वीकार कर लिया हो वहां ऋणी इस बात को स्वीकार करता है कि इन सुविधाओं के अंतर्गत बाद में खाते में राशियां जमा होने के मामले में, जब तक कि ऋणी या बैंक ने उन राशियों को किसी विशेष बिल की अदायगी के लिए न रखा हो, ऐसे बिलों में निहित ऋण उन्मोचित नहीं होगा.

45. Notwithstanding any of the provisions of the Contract Act or any other law in respect of advances against accepted usance bills where the bills are drawn by the Borrower and accepted by the drawees the Borrower agrees that the subsequent credit to the account(s) under these facilities, unless specifically apportioned by the Borrower or the Bank to the discharge of any particular bill, will not discharge the debt represented by such bills.

बिल ऋणी की शाखाओं या उन फर्मों के नाम जारी न हो जिनमें ऋणी का हित निहित हो.

46. ऋणी एतद् द्वारा घोषणा करता है कि बिल ऋणी की किसी शाखा या किसी ऐसी फर्म के नाम आहरित नहीं किये जायेंगे जिसमें ऋणी का स्वामित्व या भागीदारी हो या उसमें उसका कोई और हित निहित हो और यदि किसी अवसर या अवसरों पर बैंक अपने एकल विवेकाधिकार से उगाही के लिए ऐसे बिलों को स्वीकार कर ले और उन पर अग्रिम दे दे तो इसका यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि बैंक ने आगे चल कर भी इस प्रकार अन्य बिलों को स्वीकार करना मान लिया है.

Not to draw bills on branches of the Borrower or on firms in which the Borrower has interest.

46. The Borrower hereby declares that bills shall not be drawn on any of the Borrower's branches nor on any firm in which the Borrower has any proprietory partnership or other interest and that if on any occasion or occasions the Bank in its sole discretion accepts such bills for collection and makes advances there against the same shall not be deemed as the Bank having agreed to accept thereafter other bills of such nature.

बिल और दस्तावेज वास्तविक बिक्री दर्शाए.

47. ऋणी इस बात का वचन देता है कि उसके द्वारा बैंक को सौंप जाने वाले बिल और दस्तावेज वास्तविक बिक्री के सौदों के ही होंगें जिनके माध्यम से वास्तव में माल भेजा गया हो जिसका प्रमाण बिलों के साथ लगे रेल्वे या ट्रक की बिल्टियां या पोत-लदान या अन्य दस्तावेज होंगे और इन बिलों की राशियाँ उस माल के वास्तविक मूल्य को दर्शाने वाली होंगी जो रेल या जहाज द्वारा भेजा गया हो और कि ऋणी द्वारा बैंक के दिया गया प्रत्येक ऐसा बिल ऋणी द्वारा प्राप्त निश्चित आर्डर को पूरा करने के संबंध में ही होगा.

Bills and document to represent genuine sales.

47. The Borrower undertakes that all bills and documents tendered by the Borrower to the Bank shall represent genuine sales transactions covering movement of goods represented by the railway receipts or truck receipts or shipping or other documents accompanying such bills that the amounts of such bills shall truly represent the value of the goods so transported/shipped and that every such bills tendered by the Borrower to the Bank shall be in respect of execution of definite orders received by the Borrower.

48. बैंक ऋणी को पट्टे या " किराये पर खरीद " के कारोबार के लिए जो ऋण राशियाँ देता है उनके बारे में ऋणी निम्नलिखित बातें स्वीकार करता है और उनके बारे में बैंक के साथ निम्नवत प्रसंविदा करता है:-

48. In respect of advances granted by the Bank to the Borrower for the purpose of the business of the Borrower of leasing or hire-purchase the Borrower agrees and covenants with the Bank as under :-

क. बैंक ऋणी को वाहनों को किराये पर देने के लिए जो राशियाँ ऋण के रूप में

For DILPREET TUBES PVT. LTD.
MANAGING DIRECTOR

For DILPREET TUBES PVT. LTD.
Executive Director

देगा उनका प्रयोग मशीनों, उपकरणों गाडियों और अन्य चल-संपत्तियों के अभिग्रहण के लिए किया जाएगा जिनके विषय में पट्टे या किराये पर खरीद को अनुबन्ध है और इन्हें बैंक के पास आडमानित रखा जायेगा.

(a) The monies advanced by the Bank to the Borrower for hire of vehicles shall be utilised for acquisition of machinery, equipment, vehicles and such other movable assets as may be the subject matter of leasing and hire purchase and which shall be hypothecated to the Bank.

ख. कोई भी अग्रिम राशि लेने से पहले ऋणी के पास आडमानित रखी गई उन आस्तियों के बारे में पट्टे और/या किराये पर खरीद के अनुबन्ध की मूल प्रति बैंक को देगा. ऋणी बैंक को निम्नलिखित दस्तावेज भी देगा:-

(b) Before availing of any advance, the Borrower shall deposit with the Bank the original Agreement of Lease and/or Hire-Purchase in respect of the hypothecated assets. The Borrower shall also deposit with the Bank :-

(i) बीजकों की प्रतियां, और

(i) Copies of invoices; and

(ii) इस बात कि पुष्टि करने के पत्र कि जो आस्तियाँ आडमानित की गयी हैं उनके अनुबन्ध की पूरी अवधि के लिए व्यापक बीमा करा लिया गया हैं.

(ii) Letters confirming that the hypothecated assets are covered for comprehensive risks for the entire period of the Agreement.

ग. ऋणी इस बात का वचन देता हैं कि जो गाडियां बैंक के पक्ष में आडमानित की गई हैं उनके बारे में वह उनकी रजिस्ट्री की किताब में दिये गये सारे विवरण बैंक को देगा. उन विवरणों में सडक-परिवहन प्राधिकार द्वारा रजिस्ट्री की किताब में लिखी गयी यह प्रविष्टि भी सम्मिलित होगी कि उस गाडी में ऋणी के हित का ब्यौरा दर्ज किया गया हैं. ऋणी यह प्रमाण-पत्र देगा कि यह ब्यौरा सही हैं और वह इसे बैंक को पट्टे और/या किराये पर खरीद के अनुबन्ध के दस्तावेज देने के 60 दिन के अंदर सौंप देगा.

(c) The Borrower undertakes to provide the Bank in respect of vehicles hypothecated to the Bank with all particulars of registration entered in the Registration Book of the hypothecated vehicle by the relevant Road Transport Authority including the entry to the effect that the interest of the Borrower is duly recorded in the Registration Book. Such particulars, certified by the Borrower to be true particulars, shall be lodged with the Bank within 60 (sixty) days of presenting the relative Agreements of Lease and/or Hire Purchase to the Bank.

घ. पट्टे पर लेने या किराये पर खरीदने वालों से किस्तों की जो राशियाँ प्राप्त होंगी उन्हें ऋणी इस संबंद्ध खाते में तुरंत जमा करा देगा.

(d) The amount of instalments received by the Borrower from the Lessees and/or the Hirers will as and when received be forthwith paid by the Borrower to the credit of the relevant Account.

ड. ऋणी यह वचन देता है कि वह पट्टे के या/और किराये पर खरीद के अनुबन्ध तब तक नहीं करेगा जब तक कि उसे पट्टे पर लेने वालों और/या किराये पर खरीदने वालों की वित्तीय स्थिति और उनकी किस्तें दे सकने के सामर्थ्य के बारे में संतोष न हो जाये और वह उन लोगों के प्रस्ताव-प्रपत्रों में दिये गये

For DILPREET TUBES PVT. LTD

MANAGING DIRECTOR

For DILPREET TUBES PVT. LTD.

Executive Director

बयानों का सत्यापन न कर ले. ऋणी आडमानित की गयी आस्तियों को पट्टे पर लेने वालों और/या किराये पर खरीदने वालों से प्रस्ताव-प्रपत्र लेने के बाद और पट्टे और/या किराये पर खरीद के अनुबन्धों पर उनके हस्ताक्षर विधिवत करा लेने पर ही उन्हें पट्टे और/या किराये पर खरीद के लिए देगा. ऋणी पहले से बैंक की अनुमति लिये बिना प्रस्ताव-प्रपत्र और/या पट्टे के अनुबन्धों और/या किराये पर खरीद के अनुबन्धों की शर्ते या उनके शब्द नही बदलेगा. यदि ऋणी इस खण्ड की शर्तों का उल्लंघन करता है तो बैंक को यह अनुबन्ध समाप्त कर देने और ऋणी को आगे वित्त देने से इंकार करने का अधिकार होगा. बैंक को यह सुरक्षित अधिकार भी है कि वह पट्टे पर लेने वालों/या किराये पर खरीदने वालों द्वारा किये गये पट्टे के और/या किराये पर खरीद के अनुबन्धों को स्वीकार करना बंद कर दे और बिना कोई कारण बताये उन पर अग्रिम देने से इंकार कर दे.

(e) The Borrower undertakes not to enter into any Lease and/or Hire Purchase Agreements without satisfying themselves about the financial status of the Lessees and/or Hirers and their capacity to pay instalments and without verifying the statements made by the lessees and/or Hirers in their proposal forms. The Borrower shall give the hypothecated assets on leases and/or hire-purchases only after obtaining from the Lessees and/or Hirers the proposal forms and the Agreements of Lease and/or Hire-Purchase duly signed by them. The Borrower shall not vary the terms or wording of the proposal form and/or the Lease Agreements and/or Hire-Purchase Agreements without the prior consent of the Bank and should the Borrower contravene the terms of this Clause, the Bank shall have the right to terminate this Agreement and decline to finance the Borrower further. The Bank retains the rights to decline to accept for making advances any Lease and/or Hire-Purchase Agreements executed by any Lessees and/or Hirers without assigning any reasons for such non-acceptance.

च. ऋणी इस बात की व्यवस्था करने का वचन देता है कि पट्टे पर लेने वाले और/या किराये पर खरीदने वाले क्रमशः पट्टे और किराये पर खरीद अनुबन्धों के अंतर्गत अपने दायित्वों का पालन करते हैं और इस दायित्व पालन का प्रतिकूल प्रभाव बैंक के अधिकारों पर नही पड़ेगा. यदि पट्टे पर लेने वाले और/या किराये पर खरीदने वाले अपने जिम्मेदारियाँ पूरी करने में असफल रहते हैं तो इस बात की सूचना तुरंत बैंक को दी जाएगी. यदि अग्रिम धन या उसके किसी अंश के भुगतान में कोई असफलता या चूक हो, पट्टे पर लेने वाले/या किराये पर खरीदने वाले या उनमें से किसी के दीवालिया होने या उसके कारोबार के बंद होने या परिसमापन में या उपरोक्त पट्टे और/या किराये पर खरीद के अनुबंधों के परिसमापन पर ऋणी यह वचन देता है कि वह उन अनुबन्धों के अनुसार दिये गये अग्रिम धन और बकाया राशि का भुगतान ऐसे कारोबार के असफल होने, भुगतान में चूक होने, दिवालिया होने, या कारोबार समाप्त होने के समय पर कर देगा. ऐसे समय बैंक की यह जिम्मेदारी नही होगी कि वह उस राशि को पट्टे पर लेने वालों और/या किराये पर खरीदने वालों से राशि वसूल करने के लिए कार्यवाही करे या प्रतिभूति के निःशेष होने की प्रतीक्षा करे.

(f) The Borrower undertakes to see that the lessees and/or Hirers discharge their obligations under the Lease and/or Hire-Purchase Agreements executed by them without any prejudice to the rights of the Bank and any failure on the part of the Lessees and/or Hirers to carry out their obligations shall be promptly reported to the Bank. In the event of any failure or default in payment of the advance or any part thereof, insolvency or winding-up or liquidation of the Lessees and/or Hirers or any of them,

For DILPREET TUBES PVT. LTD.
MANAGING DIRECTOR

For DILPREET TUBES PVT. LTD.
Executive Director

or termination of the said Lease and/or Hire Purchase Agreements, the Borrower undertakes to repay the advance made and outstandings in respect thereof at the time of such failure, default, insolvency, winding-up or liquidation without the Bank being obliged either to take steps to recover the amount from the Lessees and/or Hirers or to exhaust the security.

छ. ऋणी इस बात को स्वीकार करता है, घोषणा करता है, पुष्टि करता है और प्रतिज्ञान करता है कि बैंक को इस बात की स्वतंत्रता होगी कि वह प्रति मास संबंधित कैश-क्रेडिट खाते में यथानुसार आहरण अधिकार निर्धारित करे और/या उसमें संशोधन करे और इसके लिए इस मास में देय किस्तों/किराये के अनुसार आहरण अधिकार कम करे या नये अग्रिमों की किस्तें/किराये यदि वे दिये गये हों आहरण अधिकार की राशि में जोड़ दें परन्तु यह आहरण अधिकार बिल, पट्टे और/या किराये खरीद के अनुबन्धों के अंतर्गत किराये पर दिये गये या किराये पर खरीद के लिए दी गई और बंधक रखी गई आस्तियों पर ही दिया जाएगा. यह आहरण अधिकार तब तक दिया जायेगा जब तक कि बैंक के कहे अनुसार ऋणी प्रतिभूति के दस्तावेज निष्पादित न कर दे. यह भी शर्त है कि आड़मानित रखी ऐसी आस्तियों पर कोई आहरण अधिकार नहीं दिया जाएगा जो पुरानी (सेकेण्ड हैण्ड) पाई जायेगी. साथ ही यह भी शर्त है कि आहरण अधिकार आडमानित आस्तियों के मूल्य के निश्चित प्रतिशत तक या समय-समय पर बैंक द्वारा निर्धारित अवधि में ऋणी को मिलने वाले किराये की राशियों या अन्य प्राप्तियों तक ही सीमित होगें.

(g) The Borrowers agrees, declares, confirms and affirms that the Bank shall be at liberty to fix and/or revise drawing power in the relevant Cash Credit Account each month by suitably reducing the drawing power in respect of instalments/rentals due during the month or adding the amounts of instalments/rentals relating to fresh advances, if any, granted. Provided always that the drawing power shall be allowed only against hypothecated assets leased and/or hired under the Lease and/or Hire-Purchase Agreements and the relative receivables till such time as suitably security documents as desired by the Bank have been executed by the Borrower. Provided Further that no drawing power shall be allowed against hypothecated assets which are found to be second hand. And Provided Further that the drawing power shall be restricted to such per cent of the value of the hypothecated assets or the value of the relating rentals or receivables accruing to the Borrower within such period as may be prescribed by the Bank from time to time.

ज. ऋणी इस बात का वचन देता है और बैंक को आश्वासन देता है कि पट्टे के और/या किराये पर खरीद के सभी अनुबन्धों जो बैंक के पास रखे गये हैं, में उल्लिखित मासिक किस्तें देय होने पर चुकायी जायेंगी.

(h) The Borrower undertakes and assures the Bank that the monthly instalments in respect of all the Agreements of Lease and/or Hire Purchase deposited with the Bank are/or will be duly paid as and when due.

झ. यदि ऋणी या कोई पट्टे पर लेने वाला और/या किराये पर खरीदनेवाला जिसने आस्तियां आड़मानित करायी हों पट्टे के और/या किराये पर खरीद के अनुबन्ध को समाप्त कर दे तो ऋणी इस बात का वचन देता है कि वह बैंक को इस बात की सूचना तुरंत देगा कि अनुबन्ध समाप्त कर दिया गया हैं और ऋणी यह वचन देता है कि वह उस समय समाप्त किये गये पट्टे और/या किराये पर खरीद के अनुबन्ध के अंतर्गत जितनी किस्तें बाकी होंगी उनकी कुल राशि ब्याज सहित बैंक को चुका देगा.

For DILPREET TUBES PVT. LTD
MANAGING DIRECTOR

For DILPREET TUBES PVT. LTD.
Executive Director

(i) In the event of the Borrower or any Lessee and/or Hirer of the Hypothecated assets terminating the relative Lease and/or Hire-Purchase Agreement, the Borrower undertakes to notify immediately the Bank of such termination and the Borrower undertakes forthwith to pay the Bank the total amount of instalments then outstanding under the terminated Lease and/or Hire-Purchase Agreement to the Bank together with interest.

ञ. ऋणी पट्टे पर दी गयी और/या किराये पर दी गयी आस्तियों का एक रजिस्टर रखेगा जिसमें किराये पर दी गयी या पट्टे पर दी गयी आस्तियों का पूरा और सही ब्यौरा दर्ज होगा. इसके अलावा इस रजिस्टर में आस्तियों का मूल्य और उस पर बिक्री-कर की राशि, आस्तियां पट्टे पर लेने वालों और/या किराये पर आस्तियाँ खरीदने वालों का पता, नियत किस्तों की संख्या और प्राप्त किस्तों की राशियाँ भी दर्ज की जायेंगी, ऋणी ऐसी व्यवस्था करेगा यह रजिस्टर तथा पट्टे और/या किराये पर खरीद के अनुबन्धों के संबंध में रखे गये खातों की सारी बहियां बैंक के प्रबंधक, लेखा-परीक्षक, निरीक्षक या किसी अन्य अधिकारी द्वारा किसी भी समय देखी जा सके, ऋणी महीने में एक बार बैंक द्वारा अनुमोदित प्रपत्र में बैंक को एक विवरण प्रत्येक महीने की 5 तारीख के पहले देगा जिसमें पिछले महीने की किस्तों का ब्यौरा होगा जो पट्टे और/किराये पर खरीद के अनुबन्धों के अंतर्गत देय हो गयी हैं और जो बैंक में जमा करा दी गयी है और इसके अतिरिक्त ऐसा अन्य ब्यौरा देगा जो बैंक द्वारा माँगा जाए.

(j) The Borrower shall keep and maintain a proper register of assets leased and/or hired by them showing therein full and correct particulars of assets leased and/or hired by them, the price of such assets and sales tax thereon, the name of the Lessee and/or Hirer to whom each of such assets is given on lease and/or hire, the instalments agreed to and amounts of instalments received. The said register and all books of accounts maintained by the Borrower in respect of all Lease and/or Hire-Purchase Agreements shall be open for inspection at all times by the Manager, Auditor, Inspector or any other Officer of the Bank. The Borrower shall once a month, in a form approved by the Bank, submit to the Bank a statement before the 5th day of every month in respect of the previous month giving details of the instalments due under each Lease and/or Hire-Purchase Agreements which have been deposited with the Bank and giving such other particulars as may be required by the Bank.

ट. ऋणी यह स्वीकार करता है [illegible] के पूरे मूल्य में से निर्धारित [illegible] यदि किसी समय ऋणी के [illegible] अधिकार ऋण के रूप में [illegible] देकर ऐसे आधिक्य ऋणी का [illegible] विवरण देगा जिसमें दिखाया जायेगा कि [illegible] के अंतर्गत कुल कितनी राशियाँ अभी देय हैं [illegible] के बारे में अलग-अलग रखी जायेगी [illegible] पट्टे और/या किराये पर खरीद अनुबन्धों [illegible] किराये [illegible] किराये की राशि को [illegible] दिखायेगा कि पट्टे [illegible] अनुबन्धों के अंतर्गत कौन सी किस्तें [illegible] नहीं दिया गया और देय है.

(k) The Borrower agrees, declares, confirms and affirms that the outstandings

For DILPREET TUBES PVT. LTD.

MANAGING DIRECTOR

For DILPREET TUBES PVT. LTD.

Executive Director

in the relevant Account shall at all times be fully covered by the value of the hypothecated assets less the stipulated margins. If at any time, the drawing power yielded by the hypothecated assets held by the Borrower falls below the amount borrowed, the Borrower shall forthwith adjust such excess borrowings under advice to the Bank. The Borrower shall submit to the Bank at monthly intervals statements showing the total outstandings against Lease and/or Hire-Purchase Agreements (separately) entered into by the Borrower adding thereto the fresh Lease and/or Hire Purchase Agreements entered into by it and reducing the instalments and/or rentals received from the Lessee and/or Hirers during the relative month. The Borrower shall indicate in the monthly statements separately the overdue instalments/rentals, if any, under the Lease and/or Hire-Purchase Agreements.

ठ. ऋणी इस बात का वचन देता है कि जिन गाडियों का पंजीकरण पट्टे पर लेने वालों और/या किराये पर खरीदने वालों के नाम में हुआ हैं उनमें वह पंजीकरण के प्रमांण पत्र में यह · पृष्ठांकन करवायेगा कि वह गाड़ी ऋणी के साथ किये गये पट्टे और/या खरीद के अनुबन्ध के अंतर्गत खरीदी गयी हैं. ऋणी गाडी की पंजीकरण प्रमाण पत्र में इस पृष्ठांकन को तब तक नहीं कटवायेगा जब तक कि बैंक द्वारा इस गाड़ी के लिए दी गयी अग्रिम राशि सारी की सारी बैंक को लौटायी नही जाती. पंजीकरण करों का भुगतान, लाइसेंस शुल्क या बीमें की रकम या गाड़ियों के रख-रखाव या मरम्मत का व्यय पट्टे पर लेने वालों और/या किराये पर खरीदने वालों या ऋणी का होगा और बैंक से कभी यह नहीं कहा जायेगा और न वह इस बात के लिए जिम्मेदार होगा कि वह किसी भी परिस्थिति में यह व्यय वहन करे, ऋणी इस बात को स्वीकार करता है कि वह बैंक और/या उसके किसी अधिकारी, कर्मचारी या अभिकर्ता को किसी भी कारण से आडमानित आस्तियों की क्षति या नाश या गुम हो जाने से होने वाली हानि की पूर्ति करेगा. साथ ही वह इन गाडियों के बारे में तीसरे पक्षों द्वारा किये गये दावों से होने वाली क्षति की पुर्ति भी करेगा.

(l) The Borrower undertakes to get in respect of the vehicles registered in the name of the Lessees and/or Hirers an endorsement in the respective Certificate of Registration that the vehicle is under Lease and/or Hire Purchase Agreement with the Borrower. The Borrower shall not cancel such endorsement in the Certificate of Registration of the vehicle until the advances made by the Bank against the vehicle are paid in full to the Bank. All charges of registration, payment of any taxes, licence fees or insurance premia on the vehicle(s) or any charge for upkeep or repairs or maintenance shall be that of the Lessee and/or Hirers or the Borrower and the Bank shall not be called upon or be bound to pay such charges under any circumstances. The Borrower hereby agrees to indemnify the Bank and/or any of its officers, servants or agents against loss by reason of damage or destruction or loss of the hypothecated assets or any of them from any cause whatsoever or by reason or by reason of all claims whatsoever by third parties in respect of the same.

ड. ऋणी किसी अन्य बैंक या किसी अन्य व्यक्ति से बैंक के पास आडमानित और उसके पक्ष में प्रभारित आस्तियों के लिए कोई अग्रिम नहीं लेगा और ऋणी और/या पट्टे पर लेने वालों और/या किराये पर खरीदने वालों में से किसी को इस बात का कोई प्राधिकार नहीं होगा कि वह इन आस्तियों की मरम्मत, उनमें परिवर्तन करने या उन में कुछ जोड़ने के लिए किसी ग्रहणाधिकार या प्रभार का निर्माण करें.

(m) The Borrower shall not avail of any advance from any other Bank or from

For DILPREET TUBES PVT. LTD.
MANAGING DIRECTOR

For DILPREET TUBES PVT. LTD.
Executive Director

any other person on the assets hypothecated and charged to the Bank and the Borrower and/or Lessees and/or Hirers shall not have or be deemed to have any authority to create a lien or charge upon the hypothecated assets in respect of any repairs, alterations or additions thereto.

ढ. ऋणी अंत में इस बात को स्वीकार करता है कि वह किसी भी समय बैंक की मांग पर अपने खर्चे पर निम्नलिखित का निष्पादन करेगा:- (क) ऋणी द्वारा आडमानित आस्तियों के बारे में पट्टे और/या किराये पर खरीद संबंधी अनुबन्धों का समनुदेशन उस रूप में बैंक के नाम दर्ज करायेगा जिसकी अपेक्षा बैंक करे और साथ ही पट्टे पर लेने वालों और/या किराये पर खरीदने वालों अन्य संबद्ध व्यक्तियों को भेजी जाने वाली इस प्रकार के समनुदेशन की सूचनाओं पर वह हस्ताक्षर करेगा और उन्हें भेजेगा. और (ख) अपरिवर्तनीय मुख्तारनामा जिसमें बैंक को यह अधिकार दिया गया हो कि वह संबद्ध पटेटे और/या किराये पर खरीद के अनुबन्धों के अंतर्गत देय किस्तें, खरीद मूल्य, ब्याज और अन्य संदेय राशियाँ वसूल कर सकता हैं और इन अनुबन्धों के अंतर्गत ऋणी के सारे अधिकारों और प्राधिकारों का प्रयोग कर सकता है और इस उद्देश्य के लिए मुकदमा दायर कर सकता हैं. इस प्रकार का मुख्तारनामा उस रूप में होगा जिसमें कि बैंक अपेक्षा करे.

(n) The Borrower doth hereby lastly agree that the Borrower will at any time on demand by the Bank execute at the cost in all respect of the Borrower (a) Assignments in favour of the Bank of all or any of the Lease and/or Hire-Purchase Agreements deposited by the Borrower with the Bank in respect of the hypothecated assets in such forms as the Bank may require and will also sign and give notices of such assignments to the Lessees and/or Hirers or other persons concerned and (b) Irrevocable Power of Attorney authorising the Bank to recover the instalments, purchase price, interest and all other moneys payable under the relevant Lease and/or Hire-Purchase Agreements and to have and exercise all the rights authorities of the Borrower under such agreements and to file suits for the purpose, such power to be in the form required by the Bank.

बैंक माल आ क्षति के लिए नहीं.

Bank not r for damage etc.

49. ऋणी स्वीकार करता है, घोषणा करता हैं, प्रतिज्ञान करता हैं और इस बात की पुष्टि करता हैं कि संविदा अधिनियम या किसी अन्य कानून के उपबंधों के होते हुए भी, या इनके विपरीत इस अनुबंध में कोई शर्ते होते हुए भी और/या प्रतिभूति के दस्तावेजों में कोई ऐसी शर्त होते हुए भी ऋणी द्वारा बैंक को किया गया कोई भी भुगतान जब तक कि बैंक लिखित रूप से अन्यथा स्वीकार न करे, बैंक द्वारा निम्न तरीके से विनियोजित किया जाएगा:-

49. The Borrower agrees, declares, affirms and conforms that notwithstanding any of the provisions of the Contract Act or any other law, on any terms and conditions to the contrary contained in this Agreement and/or any security documents any payment made by the Borrower to the Bank unless otherwise agreed to by the Bank in writing be appropriated by the Bank in the manner following :—

बैंक द्वारा प्राप्त धन को विनियोजित करने का अधिकार.

Right of the Bank to appropriate monies received.

मांग पर म कब्जा देन

(1) पहले तो उन लागतों, प्रभारों, खर्चों और अन्य राशियों को पूरा करने के लिए जो बैंक को देय हो गयी हों या संदेय हो रही हों,

(1) Firstly towards costs, charges, expenses and other moneys, due and payable or becoming due and payable to the Bank;

(2) दूसरा ब्याज की राशियों के लिए जो देय हों और संदेय हो/या प्रोद्भूत और देय हो रही हो तथा बैंक को संदेय हो रही हो, और

To give goods et demand.

(2) secondly towards interest due and payable and/or accruing due and payable to the Bank; and

For DILPREET TUBES PVT. LTD.

Executive Director

(3) अंत में मूलधन की किसी किस्त या किस्तों की राशि की चुकौती के लिए जो देय और संदेय हो या बैंक को देय और संदेय होने जा रही हो.

(3) lastly towards repayment of the amount of any instalment(s) of the principal sum due and payable or becoming due and payable to the Bank;

उपरोक्त सभी राशियाँ जो देय और संदेय हो गई हों और/देय और संदेय होने जा रही हों, अर्थात जो इस अनुबन्ध के अंतर्गत और/या किसी प्रतिभूति दस्तावेज के अंतर्गत जो ऋणी और बैंक के बीच निष्पादित हुआ हो, इन राशियों की वसूली मुकद्मों के परिसीमन संबंधी किसी वर्तमान कानून द्वारा वर्जित हुई है या नहीं इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा.

all the aforesaid amounts having become due and payable and/or becoming due and payable by the Borrower to the Bank under this Agreement and/or under any of the security document executed between the Borrower and the Bank whether the recovery thereof has or has not become barred by any law in force for the time being as to the limitation of suits.

बैंक माल आदि की क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं.

50. बैंक द्वारा प्रतिभूति के रूप में स्वीकार किये गये बिलों में उल्लिखित माल, चल-संपत्तियों और अन्य आस्तियों के मार्गस्थ होने के समय होने वाली क्षति के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा. वह माल, चल-संपत्तियों और अन्य आस्तियों के गुम हो जाने, विलंब सुपुर्दगी कम मात्रा में सुपुर्दगी या गलत सुपुर्दगी या भुगतान करने वाले प्राधिकारियों या अदाकर्ताओं को देर से या गलत ढंग से बिलों की सुपुर्दगी वह चाहे किसी भी कारण से हुई हो, के लिए भी बैंक जिम्मेदार नहीं होगा और यदि ये बिल उगाही के लिए सीधे अन्य बैंकों या बैंकरों या सरकारी विभागों/एजेंसियों/संस्थाओं या अर्ध-सरकारी संगठनों/सरकारी क्षेत्र के उद्यमों/रेल्वे या अन्य पक्षकारों या ऋणी के ग्राहकों को भेजे गये हों तो बैंक इस बात के लिए जिम्मेदार नहीं होगा कि उन बिलों की आगम राशि बैंक को नही पहुंची हैं और इन बिलों की राशि की उगाही पूरी तरह ऋणी के जोखिम और जिम्मेदारी पर होगी. ऋणी ही उगाही करने वाले बैंक या बैंकरों द्वारा वहन की गई लागतों और शुल्कों के लिए जिम्मेदार होगा और वह ये लागतें और शुल्क बैंक को चुकायेगा.

Bank not responsible for damage to goods etc.

50. The Bank shall not be responsible for any damage caused to goods, movables and other assets in course of transit covered by the bills accepted by the Bank as security or for loss of the* goods, movables and other assets or for delayed delivery short delivery or wrong delivery of goods, movables and other assets, or for delayed or wrong presentation of bills to paying authorities or drawees for any reason whatsoever and in case the bills are sent for collection direct to other banks or bankers or Government departments/agencies/institutions or quasi-Government bodies/public sector undertakings/railways or other parties or the Borrower's customers the Bank shall not be responsible for the non-receipt by it of the remittance representing the proceeds of the bills and the relative bills will be collected entirely at the Borrower's risk and responsibility. The Borrower shall be responsible for the costs and charges incurred by the collecting bank or bankers in this behalf and shall pay the Bank these costs and charges.

मांग पर माल आदि का कब्जा देना.

51. बैंक किसी भी कारण से और किसी भी समय, चाहे किसी राशि के भुगतान की मांग की गयी हो या नहीं, ऋणी से यह कह सकता है कि वह उस माल, चल-संपत्तियों और अन्य आस्तियों का कब्जा बैंक को दे दे जो बैंक के पास आडमानित हैं और ऋणी यह घोषणा करता है कि ऐसा करने के बावजूद माल, चल-संपत्तियों और अन्य आस्तियों बैंक के पास गिरवी मानी जायेंगी और बैंक के पक्ष में निष्पादित की गयी प्रतिभूति के दस्तावेजों के अंतर्गत बैंक के अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा.

To give possession of goods etc. on demand.

51. The Bank may at any time whether a demand for the payment of any money for any account has been made or not call upon the Borrower to give possession of the goods, movables and other assets hypothecated to the Bank and the Borrower declares that on the Borrower doing so the goods, movables and other assets shall

For DILPREET TUBES PVT. LTD
MANAGING DIRECTOR

For DILPREET TUBES PVT. LTD.
Executive Director

stand pledged to the Bank without in any manner affecting the rights of the Bank under the security documents executed in favour of the Bank.

सावधि ऋण का किस्तों में, और अन्य सुविधाओं का मांग पर पुनर्भुगतान.

52. (क) कि बैंक से ऋणी को सावधि ऋणों के रूप में जो ऋण सुविधायें दी गई हैं उनके बारे में ऋणी ब्याज, लागतों, प्रभारों, खर्चे और बैंक को देय अन्य राशियों सहित मूलधन की राशि ऐसी किस्तों में और ऐसी तिथियों पर लौटायेगा जिनका निर्धारण बैंक द्वारा समय-समय पर किया जायेगा, जब तक सावधि ऋणों की सुविधा के अंतर्गत दी गयी सारी राशि नहीं लौटा दी जाती ऋणी ये किस्तें देता रहेगा. यदि इनमें से किसी किस्त की अदायगी में देय तिथि को कोई चूक होती है तो बैंक यदि चाहे तो किस्तों से अदायगी करने के अनुबन्ध को समाप्त कर सकता है और बैंक को यह स्वतंत्रता होगी कि वह ऋणी से जो शेष राशि लेनी है उसके भुगतान की मांग करें और ऋणी इस बात के लिए बाध्य और उत्तरदायी होगा कि वह बैंक के कहे अनुसार तुरंत शेष राशि चुका दे.

To repay Term Loan by instalments and other facilities on demand.

52. (a) That in respect of the credit facilities by way of term loans granted by the Bank to the Borrower, the Borrower shall repay the amount of the principal together with interest, costs, charges, expenses and other monies due to the Bank by such instalments and on such dates as may be stipulated by the Bank from time to time until the entire amounts due under the term loans facilities have been repaid. If there is any default in payment of any one of such instalments on due date the agreement to receive payment by instalments shall stand determined at the option of the Bank and the Bank shall be at liberty to demand payment of and the Borrower shall be bound and liable to pay forthwith on such demand the balance amount due to the Bank.

(ख) बैंक से ऋणी को प्रदान की गई सभी अन्य ऋण सुविधाओं के संबंध में ऋणी अपने किसी खाते या खातों के अंतर्गत बैंक को देय बकाया राशि या राशियों का भुगतान बैंक की मांग पर करेगा और ऐसी ऋण सुविधाओं के संबंध में देय ब्याज, लागत, प्रभार और खर्च का भी भुगतान करेगा.

(b) That in respect of all other credit facilities granted by the Bank to the Borrower, the Borrower shall pay to the Bank forthwith on demand by the Bank the balance or balances then outstanding and owing to the Bank under any of the Borrower's account or accounts in respect of such credit facilities together with interest costs charges and expenses due in respect thereof.

बैंक के नाम मुख्तार नामा.

53. (i) ऋणी अपरिवर्तनीय रूप से बैंक को अपना सच्चा और वैध मुख्तार बनाता है और नियुक्त करता है जिससे कि वह ऋणी के नाम में और उसकी ओर से और उसके लिए और जहाँ ऋणी एक से अधिक व्यक्ति हो तो उन सबकी ओर से अलग-अलग और संयुक्त रूप से निम्नलिखित कार्य, कृत्य और व्यवहार कर सकता है, अर्थात:-

Power of Attorney to Bank.

53. (i) The Borrower irrevocably constitutes and appoints the Bank to be the Borrower's true and lawful attorney,to do and execute for and in the name and on behalf of the Borrower and where the Borrower is more than one individual jointly and severally, all or any of the following acts deeds and things, that is to say :

क. ऋणी के कारोबार को हाथ में लेना और उसे चलाना और उस द्वारा किये गये वादों और संविदाओं को पूरा करना;

(a) To take over and carry on the business of the Borrower and complete engagements and contracts;

ख. किसी रजिस्टर, फाइल, आवेदन-पत्र, संविदा, अनुबन्ध, अंतरण, स्वीकृति, प्राप्ति रसीद, निस्तारण, विवरण या अन्य किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना और उनका पृष्ठांकन करना;

For DILPREET TUBES PVT. LTD.
MANAGING DIRECTOR

For DILPREET TUBES PVT. LTD.
Executive Director

(b) To sign register file any application forms, contracts, agreements, transfers, acceptance, receipts, acquittances, returns and any other documents and go sign and endorse all cheques, promissory notes, bills of exchange, bills of lading, dividend mandates or other orders for payment of money or delivery of property;

ग. किसी माल, चल-संपत्तियों और अन्य आस्तियों को बेचना, अंतरण करना, उनसे संबंधित हस्ताक्षर करना या उनका कारोबार करना;

(c) To sell, transfer, signs or deal with any goods movables and other assets;

घ. सभी ऋणा, धन-राशियों, मूलधन, लाभांशों, ब्याज और हर प्रकार की देय राशियों की मांग करना और उन्हें प्राप्त करना;

(d) To demand and receive all debts, sums of money, principal money, dividends interest and dues of whatever nature;

ड. बिक्री एजेंटों की नियुक्ति करना और यदि आवश्यक हो तो नये प्रकार का कार्य-कलाप प्रारम्भ करना.

(e) To appoint selling agents and if necessary to undertake new kind of activity;

च. सभी आस्तियाँ, वे चल हो या अचल, जिनमें कारोबार की साख भी शामिल है, प्राप्त करना;

(f) To realise all the assets whether movable or immovable including the goodwill of the business;

छ. यदि उचित समझा जाए तो ऋणी के कारोबार को समाप्त करना;

(g) If considered proper, to wind up the Borrower's business;

ज. किन्ही प्रतिभूतियों, शेयरों, स्टाकों, ऋण-पत्रों, निधियों या अन्य प्रतिभूतियों की खरीद के लिए संविदा करना, उन्हें स्वीकार करना और उन्हें ऋणी के नाम अंतरित करना, किन्ही शेयरों और प्रतिभूतियों के आबंटन के लिए आवेदन पत्र देना और आबंटन स्वीकार करना तथा किन्हीं प्रतिभूतियों, शेयरों, स्टाक ऋण पत्रों, निधियों और अन्य प्रतिभूतियों को बेचना, पृष्ठांकित करना, उनके सौदे करना, अंतरित करना और नामांकित करना जो इस समय या बाद में ऋणी के नाम में हो या हो जायेंगी या जिनके संबंध में ऋणी इस समय या बाद में ऐसी प्रतिभूतियों, शेयरों, स्टाकों, ऋण-पत्रों, निधियों और अन्य प्रतिभूतियों पर देय या देय होने वाले ब्याज और लाभांश मांगने, प्राप्त करने और उगाही करने का पात्र है या हो सकता है और ऐसी बिक्री पृष्ठांकन, अंतरण, सौदे और नामांकन से प्राप्त अग्रिम राशियों और किसी ब्याज और लाभांश से प्राप्त राशियों का प्रयोग उस धन की पूर्ति के लिए करना जो ऋणी द्वारा बैंक को देय हैं और ऐसी सभी प्रतिभूतियों, शेयरों, स्टाकों, ऋण-पत्रों निधियों और अन्य प्रतिभूतियों, जो समय-समय पर या किसी भी समय बैंक के पास हो, या तो अभिरक्षा के लिए या अन्यथा या किसी खाते या खाते की सामान्य शेष राशि या अन्यथा ऋणी द्वारा बैंक को देय राशि की प्रतिभूति के रूप में पड़ी हों उनका पृष्ठांकन करना और उन्हें अंतरित करना;

(h) To tender contract for purchase, accept and sign the transfer into the name of the Borrower of any securities, shares, stocks, debentures, funds or any other securities, to apply for and accept allotment of any shares and

For DILPREET ... LTD

For DILPREET ... LTD.

securities and to sell endorse negotiate, transfer and assign any securities shares stocks debentures funds and other securities which now or shall hereafter stand in the name of the Borrower or to which the Borrower is now or may at any time hereafter be entitled to demand receive and collect interest and dividend due or to accrue due on any such securities shares stocks debentures funds and other securities and apply the proceeds of such sale endorsement transfer negotiations and assignment and the recovery of any interest and dividend in satisfaction of any monies due by the Borrower to the Bank and to endorse and transfer all or any such securities, shares, stocks, debentures, funds and other securities which may from time to time or at any time be in the possession of the Bank whether for safe custody or otherwise or held by the Bank as security for any money payable to the Bank by the Borrower in respect of any account or general balance of account or otherwise;

झ. ऋणी का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी प्रोक्षी (प्रोक्सी) या प्रोक्षियों को नियुक्त करना ताकि वह या वे किसी कंपनी या निगम की बैठक या बैठकों में जिनमें ऋणी के कोई शेयर, ऋण-पत्र स्टाक आदि हों, वोट दे सकें;

(i) To appoint a proxy or proxies for the purpose of representing the Borrower and voting in meeting or meetings of any Company or Corporation in which the Borrower hold any shares, debentures, stocks, etc.

ञ. ऋणी के आयकर, अधि-कर, संपत्ति-कर, उपहार-कर, व्यय-कर, पूंजिगत लाभ-कर, या आय, राजस्व या पूंजी पर किसी अन्य कर के निर्धारण और सीमा-शुल्क और/या उत्पादन शुल्क के बारे में कार्यवाही करना और ऐसे किसी कर या करों या शुल्कों आदि की वापसी के लिए आवेदन-पत्र देना और उन राशियों को प्राप्त करना;

(j) To deal with the assessment of the Borrower in respect of income tax, super tax, wealth tax, gift tax, expenditure tax, capital gains tax and any other taxes on income revenue or capital and levy of customs and/or excise duties and to apply for and to receive refunds of any such tax or taxes or levy or levies.

प्रतिभूति व
सतत प्रति

ट. किसी प्राधिकार या अधिकरण के सामने ऋणी के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित होना और इस प्रयोजन के लिए ऐसे सभी दस्तावेज निष्पादित करना और उन पर हस्ताक्षर करना और ऐसी सभी घोषणाएं करना जो आवश्यक हों;

(k) To attend and represent the Borrower before any authority or tribunal and for that purpose to sign execute and deliver all such documents and make all such declaration as may be necessary;

ठ. सामान्यतः परिसर में पूरी तरह और प्रभावी ढंग से सभी उद्देश्यों के लिए कार्रवाई करना और वे सब आवश्यक बातें करना जो यदि ऋणी स्वयं उपस्थित होता तो करता;

(l) Generally to act in the premises as fully and effectually with all intents and purposes and to do all things as are necessary and which the Borrower would do if personally present;

ड. उपर्युक्त सभी प्रयोजनों या उनमें से किसी एक के लिए किसी स्थानापन्न व्यक्ति या व्यक्तियों की नियुक्ति करना;

(m) For all and any of the purposes aforesaid to appoint a substitute or substitutes;

Securi
contin

For DILPREET TUBES PVT. LTD.
MANAGING DIRECTOR

For DILPREET TUBES PVT. LTD.
Executive Director

(2) ऋणी एतद् द्वारा बैंक अथवा उसके नामितों या स्थानापन्न व्यक्तियों द्वारा उपर्युक्त अधिकारों और एतद् द्वारा उनको प्रदत्त अधिकारों के निष्पादन के फलस्वरूप जो कार्य, बातें और कृत्य हो चुके हैं या होने वाले हैं उनका अनुसमर्थन करता हैं और उनकी पुष्टि करता हैं. ऋणी परिसर में स्वयं कार्यरत हैं अथवा किसी अन्य के माध्यम से कार्यरत हैं इस बात से उपर्युक्त अधिकार और प्रदत्त अधिकार समाप्त नहीं होंगे और न ही प्रभावित हो पायेंगे.

(ii) The Borrower hereby ratifies and confirms all the acts things deeds performed or to be performed by the Bank or its nominees or substitutes in pursuance of any of the aforesaid powers and the powers hereby conferred shall not be determined or affected by the fact of the Borrower acting personally or through another in the premises;

(3) बैंक को दिये गए अधिकारों में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा और वे तब तक बैंक को उपलब्ध रहेंगे जब तक कि ऋणी बैंक को वे सारी राशियां नहीं लौटा देता जो उसके द्वारा बैंक को देय हैं.

(iii) The powers vested in the Bank shall be irrevocable and subsist in favour of the Bank till all the dues of the Borrower to the Bank are fully satisfied.

(4) इस खण्ड के अंतर्गत उपरोक्त अधिकारों का प्रयोग बैंक अपने एकल विवेकाधिकार से कर सकता है लेकिन बैंक इनका प्रयोग करने के लिए बाध्य नहीं होगा.

(iv) The aforesaid powers under this clause may be exercised by the Bank in its sole discretion but the exercise of the powers is not obligatory on the Bank.

प्रतिभूति का स्वरूप सतत प्रतिभूत होगा

54. ऋणो को विभिन्न सुविधाओ के लिए बैंक के पक्ष में निष्पादित प्रतिभूति प्रलेखों द्वारा सृजित प्रतिभूति और/या यहां दी गई क्षतिपूर्तियों और वचन पत्र सतत प्रतिपूर्ति के रूप में उपलब्ध बने रहेंगे और/या ऐसी क्षतिपूर्तियाँ और/या ऐसी ऋण सुविधाओं के अंतर्गत ऋणी की राशियों, ऋण ग्रस्तता और देयता की राशियों के लिए दिये गए वचन-पत्र प्रतिभूति के रूप में उपलब्ध बने रहेंगे और/या क्षतिपूर्तियों और/या उपर्युक्त ऋण सुविधाओं के अंतर्गत ऋणी की राशियों, ऋणग्रस्तता और देयता की राशियों से उत्पन्न अंतिम शेष या सकल शेष और उसके ब्याज के संबंध में दिए गए वचन-पत्रों के अलावा लागतों, शुल्कों और खर्चों, यदि कोई हों, का समावेश ऋणी के नाम खोले जाने वाले खाते/खातों में परिलक्षित होगा और ऐसा खाता (खाते) इस प्रतिभूति की दृष्टि से बंद नहीं होगा/होगें और इसे/इन्हें बन्द नहीं माना जायेगा और/या ऋणी को स्वीकृत समग्र ऋण सीमा के अंतर्गत स्वीकृत की गई ऋण सुविधाओं के लिए नया खाता/खातें खोलने और पुराना खाता/खाते बंद करने मात्र से या ऐसे दोनों प्रकार के खातों या किसी एक प्रकार के खाते में किसी समय या समय-समय पर जमा शेष हो जाने की स्थिति में या इनमें किन्हीं आंशिक भुगतान राशियों के जमा होने की स्थिति में या ऐसे खाते/खातों में किसी इधर से उधर होने वाले परिवर्तन मात्र से क्षतिपूर्तियों और/या वचन पत्रों और प्रतिभूतियों और/या क्षतिपूर्तियों और या वचन पत्रों के रूप में उपलब्ध प्रतिभूतियाँ निःशेष (समाप्त) नहीं मानी जायेंगी. यदि बैंक के सभी बकाया ऋण चुका दिये जाएं और सभी प्रतिभूतियाँ वापस ले ली जाएँ तो भी इस अनुबन्ध के अंतर्गत उपर्युक्त प्रावधान के माध्यम से उपर्युक्तनुसार पुनः प्रतिभूत किये जाने के फलस्वरूप ऐसा खाता/खातें बंद किये जाने से पूर्व किसी समय इस प्रकार के दोनों खातों । नये और पुराने । या दोनों प्रकार में से कोई एक या उन सभी खातों में से किसी एक खाते को चलते रहने दिया जा सकता है.

Security to be continuing security.

54. The security created and indemnities and undertakings given herein and/or by the security documents executed in favour of the Bank for various credit facilities shall operate as continuing security and/or indemnities and/or undertakings for all

For DILPREET ...

Executive Director

moneys indebtedness and liabilities of the Borrower under such credit facilities and will operate as security and/or indemnities and/or undertakings for the ultimate balance or aggregate balance with interest thereon and costs charges and expenses if any to become payable upon the account(s) to be opened and the said account(s) is/are not closed and is/are not to be considered to be closed for the purpose of such security and/or indemnity and/or undertaking and the security and/or indemnity and/or undertaking is not to be considered exhausted merely by reason of the said account(s) being closed and fresh accounts being opened in respect of fresh credit facilities being granted within the overall limit sanctioned to the Borrower or either or any of them being brought to credit at any time or from time to time or any partial payments made thereto or any fluctuations of such account(s) and if the whole of the Bank's duties dues shall be repaid and the whole of the security be withdrawn the account(s) or either or any of them may nevertheless at any time before such account(s) has or have been closed, be continued under this Agreement upon the security as aforesaid being again furnished.

कुछ घटनाओं के घटित होने पर सावधि ऋण का तुरंत देय हो जाना.

55. बैंक द्वारा सावधि ऋण के रूप में, वे भारतीय मुद्रा में हो या विदेशी मुद्राओं के रूप में ऐसी दी गयी या दी जाने वाली ऋण सुविधाओं के संबंध में ऋणी यह स्वीकार करता है और घोषणा करता है कि इस अनुबन्ध या प्रतिभूति विलेखों में निहित किसी उपबंध के होते हुए भी सावधि ऋणों की कुल राशियां या उस समय देय शेष राशियां यदि बैंक निणर्य करे तो ऋणी द्वारा बैंक को निम्नलिखित घटनाओं के घटने पर तुरन्त देय हो जायेंगी और बैंक को यह अधिकार होगा कि वह अपनी प्रतिभूति को लागू कर सके:-

Term loan to become payable forthwith on happening of certain events.

55. In respect of the credit facilities granted or to be granted by the Bank by way of term loans either in Indian or foreign currencies the Borrower agrees and declares that notwithstanding anything contained herein or in any other security documents the entire amounts of the term loans or the balances then due shall, if so decided by the Bank, become forthwith due and payable by the Borrower to the Bank, upon the happening of any of the following events and the Bank shall be entitled to enforce its security;

क. मूलधन की कोई किस्त उसके भुगतान की नियत तिथि से एक मास से अधिक समय तक चुकायी गई हो.

(a) any instalments of the principal remaining unpaid for a period exceeding one month after the due date for payment thereof has expired;

ख. ब्याज की कोई राशि जिसका भुगतान न किया गया हो और जो एक महीने से अधिक समय से बकाया रही हो और चाहे उसकी मांग की गयी हो या नहीं.

(b) any interest remaining unpaid and in arrears for a period of one month after the same have become due whether demanded or not;

ग. जब ऋणी इस करार में उल्लिखित प्रसंविदाओं के निष्पादन या अनुसरण में कोई चूक करे या उनका उल्लंघन करे और/या वह अपने प्रस्ताव और/या प्रतिभूति विलेखों या सावधि ऋणों के संबंध में किसी शर्त का उल्लंघन करें.

(c) the Borrower committing any breach or default in the performance or observance of any of the covenants contained in these present and/or the Borrower's proposal and/or the security documents or any other term or condition relating to the term loans;

घ. ऋणी अपने लेनदारों से कोई ऐसी व्यवस्था करे या उनसे मिल जाए या कोई ऐसा काम करे जिससे उसका दिवालिया होना सिद्ध होता हो.

(d) the Borrower entering into any arrangement or composition with the Borrower's creditors or committing any act of insolvenc ;

For DILPREET TUBES PVT. LTD.

MANAGING DIRECTOR

For DILPREET TUBES PVT. LTD.

Executive Director

ङ. ऋणी की सारी संपत्ति या उसके किसी अंश की कुर्की का आदेश जारी हो गया हो.

(e) any execution or distress being enforced or levied against the whole or any part of the Borrower's property;

च. जब समापन की प्रार्थना की गयी हो या जब ऋणी सीमित दायित्व वाली कंपनी हो और उसका परिसमापन हो रहा हो उसके द्वारा विलय के लिए या पुनर्गठन के लिए परिसमापित होने वाली स्थितियों को छोड़ कर.

(f) on a winding up petition being filed or the Borrower being a limited company going into liquidation (except for the purpose of amalgamation or reconstruction);

छ. ऋणी की सारी संपत्ति या उसके किसी भाग के लिए रिसीवर की नियुक्ति की गयी हो.

(g) a receiver being appointed in respect of the whole or any part of the property of the Borrower;

ज. यदि ऋणी कारोबार बंद कर दे या धमकी दे कि वह कारोबार बंद कर रहा है.

(h) the Borrower ceasing, or threatening to cease, to carry on business;

झ. किसी भी ऐसी घटना के घटित होने पर जो बैंक के हित के विरूद्ध हो या जो उसके लिए खतरा बन जाए या उसकी स्थिति को घटा दे या जिससे बैंक को इस प्रकार की हानियां पहुंचने की आशंका हो,

(i) the occurrence of any circumstance which is prejudicial to or impairs, imperils or depreciates or which is likely to prejudice, impair, imperil or depreciate the security given to the Bank; and

ञ. किसी ऐसी घटना या परिस्थिति का घटित होना जो किसी भी प्रकार से सावधि ऋणों के अंतर्गत देय राशि को चुकाने के ऋणी के सामर्थ्य पर प्रतिकूल या बुरा प्रभाव डालती हो.

(j) the occurrence of any event or circumstance which prejudicially or adversely affect in any manner the capacity of the Borrower to repay the amount due under the term loans.

इस प्रश्न पर कि उपरोक्त घटनाओं में से कोई घटना घट गई है या नहीं बैंक का निर्णय अंतिम होगा और ऋणी उसे मानने के लिए बाध्य होगा.

On the question whether any of the above events has happened, the decision of the Bank shall be conclusive and binding on the Borrower.

बशर्ते हमेशा बैंक अपने विवेकाधिकार से उपरोक्त घटनाओं में से किसी के भी अकस्मात् घट जाने के बावजूद इस अनुबन्ध के अंतर्गत अपने अधिकारों का तुरन्त प्रयोग करना स्थगित करे या वह इस अनुबन्ध या प्रतिभूति विलेखों के अंतर्गत अपने किसी अधिकार, शक्ति या विशेषाधिकार का प्रयोग न करे या उनमें विलंब करे तो वह अधिकार कुंठित/समाप्त नहीं होगा और न यह माना जायेगा कि उसने इस अधिकार का प्रयोग करना त्याग दिया है और किसी भी अधिकार या विशेषाधिकार के एक बार प्रयोग या आंशिक प्रयोग का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि बैंक ऐसे अधिकार का या किसी और अधिकार या विशेषाधिकार का पुनः प्रयोग नहीं कर सकता. इस अनुबन्ध में और प्रतिभूति विलेखों में दिये गये बैंक के अधिकार और उपचार संचयी हैं और उन अधिकारों और उपचारों से परे नहीं है जो कानून द्वारा दिये गये हैं.

For DILPREET TUBES PVT. LTD.

MANAGING DIRECTOR

For DILPREET TUBES PVT. LTD.

Executive Director

Provided always that the Bank may in its discretion refrain from forthwith enforcing its rights under this Agreement inspite of the happening of any of the contingencies aforesaid and provided further that the failure or deal by the Bank in exercising any right, power or privilege hereunder or under any of the security documents shall not impair/extinguish the same or operate as waiver of the same nor shall any single or partial exercise of any right, power or privilege preclude any further exercise of the same or the exercise of any other right, power or privilege. The rights and remedies provided herein and in the security documents are cumulative and not exclusive of any rights and remedies provided by law.

56. सावधि ऋणों या ऐसी ऋण सुविधाओं/ऋणों के अनेक प्रकार के रूप में दी गयी या दी जाने वाली ऋण सुविधाओं के अनुसार जो विदेशी मुद्राओं में दी जायें (उन्हें इसमें इसके पश्चात् "विदेशी मुद्रा ऋण" कहा गया है) ऋणी एतद् द्वारा यह स्वीकार करता है और बैंक के साथ यह प्रसंविदा करता है कि :-

56. In respect of the credit facilities granted or to be granted by way of term loans or such facilities/lines of credit as may be granted in foreign currencies (hereinafter referred to as foreign currency loans), the borrower hereby agrees and covenants with the Bank as under :

(i) बैंक किसी अन्य अनुबन्ध के अनुसार प्राप्त उसके अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडे बिना विदेशी मुद्रा ऋणों की किस्तें/ऐसी किस्तों के रुपये में मूल्य की राशियों को जब भी वे देय हों, उस समय उस विदेशी मुद्रा और भारतीय रुपये के विनिमय दर के अनुसार नामे डालेगा और ऋणी इस क्षतिपूर्ति का वचन देता है कि यदि किसी दावे या दावों; हानि या गुम होने या क्षतियों, वादों, लागतों और खर्चों, जो बैंक द्वारा किये जाने हेतु या बैंक द्वारा वहन किये जाय (और बैंक उनका भुगतान करे या नहीं) या जिनके लिए बैंक ऐसे प्रेषण करने के कारण से जिम्मेदार हो जाए.

(i) The Bank may, without prejudice to any of the rights as may be available to the Bank under any other agreement, remit the instalments under the foreign currency loans by debiting the rupee equivalents of such instalments, as and when falling due, converted at such rate of exchange as may be ruling at the material time as between the concerned foreign currency and Indian Rupee and the Borrower hereby indemnifies the Bank against any claim or claims, loss or losses or damages, actions, costs and expenses whatsoever which may be brought or made against or sustained or incurred by the Bank (and whether paid by the Bank or not) or which the Bank may become liable in making such remittances;

(ii) ऋणी विदेशी मुद्रा ऋणों के अंतर्गत देय होने वाली किस्तों के प्रेषण में यदि चूक करता है तो बैंक अपने किसी अन्य उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना या बिना इस जिम्मेदारी के इस बात का अधिकारी होगा कि वह उस किस्त के बराबर रुपयों में राशि (जिसका निर्धारण उस विनियम दर पर होगा जो उस समय उस विदेशी मुद्रा और भारतीय रुपये के बीच प्रभावी हो) ऋणी के किसी कैश क्रेडिट खाते/ओवर ड्राफ्ट खाते में डाल दे जो बैंक में खोला गया है या खोला जाने वाला हैं और इस प्रकार ऋणी के नामे डाली गयी राशियों पर ब्याज लगेगा जैसा कि उपर्युक्त खण्ड 14 के अनुसार उक्त खाते पर लागू होता है.

(ii) In the event of the borrower defaulting in effecting the remittance of any of the instalments falling due under the foreign currency loans, the Bank may, without prejudice to any other remedy or without being obliged to do so, shall be entitled to debit the Rupee equivalent of the said instalment (converted at such rate of exchange as may be ruling at the material time as between the concerned foreign currency and Indian Rupee) to any cash credit/overdraft account of the borrower opened or to be opened with the Bank and all such amounts so debited

For DILPREET TUBES PVT. LTD
MANAGING DIRECTOR

For DILPREET TUBES PVT. LTD.
Executive Director

shall be charged with interest as applicable to the said account as provided in clause No. 14 above;

(iii) बैंक द्वारा किये गये ऐसे प्रेषण इस बात का प्रमाण नहीं है कि ऋणी विदेशी मुद्रा ऋणों के अंतर्गत अपनी जिम्मेदारी से उस सीमा तक मुक्त हो गया है और न यह माना जायेगा कि जहां तक बैंक के प्रति ऋणी की देयता है और उसके लिए बैंक के पक्ष में प्रतिभूति प्रभारित की गयी है और कि उससे विदेशी मुद्रा ऋणों के अंतर्गत शेष राशि उतनी कम हो गयी है जितनी कि बैंक ने न दी गई किस्तों के लिए प्रेषित कर दी है और इस बात के होते हुए भी कि ऐसे प्रेषण किये गये हैं, बैंक का यह अधिकार रहेगा कि वह इन राशियों को ऋणी के नामे डाल दे और ऋणी के विरूद्ध उस देश के कानून के अनुसार कार्रवाई करे जिस देश में विदेशी मुद्रा के ऐसे ऋण दिये गये हैं.

(iii) Such remittances made by the Bank shall not absolve the Borrower protanto from his liability under the foreign currency loans nor shall they be deemed, in so far as the borrower's liability to the Bank and the relative security charged therefor in favour of the Bank are concerned, to reduce the outstandings under the foreign currency loans to the extent of the defaulted amounts of instalments so remitted by the Bank and notwithstanding the remittances so made, the Bank reserves the right of set off or other legal remedies as against the borrower according to the law of the country where such foreign currency loans have been made available.

57. बैंक द्वारा भारतीय मुद्रा में या विदेशी मुद्रा में साख पत्रों, आस्थिगत गारंटियों सहित गारंटियों और क्षतिपूर्तियों के जारी किये जाने के माध्यम से दी गई सुविधाओं के बारे में ऋणी यह स्वीकार करता है और बैंक के साथ यह प्रसंविदा करता है कि:-

57. In respect of the facilities granted by the Bank by Issue of letters of credit, guarantees including deferred payment guarantees and indemnities whether in Indian or foreign currencies, the Borrower hereby agrees and covenants with the Bank as under :

(i) बैंक को किसी दावे या दावों, गुम होने या हानि पहुंचने, वादों, लागतों (जैसे कि कोई मुवक्किल अपने वकील को देता है) शुल्कों और खर्चे जो बैंक को इन साख-पत्रों, गारंटियों और क्षतिपूर्तियों के अंतर्गत या इनके संबंध में वहन करने पड़ सकते हैं;

(i) To indemnify the Bank against any claim or claims, loss or damage actions costs (as between Advocate and client), charges and expenses whatsoever which may be brought or made against or sustained or incurred by the Bank (and whether paid by the Bank or not) or which the Bank may become liable under or in respect of such letters of credit guarantees and indemnities;

(ii) बैंक अपने एकल, पूर्ण और बिना शर्त विवेकाधिकार से और ऋणी से पूछे बिना और इस बात की अपेक्षा के बिना कि बैंक यह पता लगाये कि ऋणी ने स्वयं अपने और उस लाभार्थी के बीच किसी अनुबन्ध का उल्लंघन किया है जिनके लिए बैंक ने गारंटियां और/या क्षतिपूर्तियां दी हैं/दी थीं और बैंक के लिए यह भी आवश्यक नहीं है कि वह यह पता लगाये कि बैंक से जो भुगतान करने की मांग की जा रही है वह सही और अन्य प्रकार से ठीक है या नहीं, और इस बात के बावजूद कि ऋणी ने या किसी अन्य व्यक्ति ने उस विषय में विपरीत कोई दिशा निर्देश दिये हैं जिसके द्वारा ऋणी की देयता के बारे में किसी विवाद के कारणों को उचित रूप से नहीं दर्शाया गया है ऐसी गारंटियों और क्षतिपूर्तियों के अंतर्गत और उनके संबंध में बैंक के विरूद्ध किसी दावे या मांग किये जाने पर बैंक उस दावे या मांग को स्वीकार कर सकता है या समझौता कर सकता है और भुगतान कर सकता है या किसी पंच निर्णय के लिए प्रस्तुत कर सकता है या बैंक के विरूद्ध किये गये दावे या मांग को अस्वीकार या अवरूद्ध कर सकता है. इन गारंटियों और क्षतिपूर्तियों के एवज में इस अनुबंध के

For DILPREET ...

For DILPREET T... PVT. LTD.

माध्यम से ऋणी ने बैंक के पक्ष में जो प्रति गारंटी/क्षतिपूर्ति बैंक को ऐसी कार्यवाही करने या भुगतान करने के लिए उपलब्ध कराई गई है जो कार्यवाही बैंक को करना या भुगतान देना पड़ सकता है, और

(ii) The Bank may in its sole absolute and unqualified discretion and without reference to the Borrower and without the Bank being required to ascertain whether or not there was any breach on the part of the Borrower of the Agreement executed between the Borrower and the beneficiaries in whose favour the guarantees and/or indemnities are or were executed by the Bank and without the Bank being required to go into the validity or otherwise of the demand for payment made against the Bank and notwithstanding any directions to the contrary given by the Borrower or any other person on the ground of a dispute as to the liability of the borrower or otherwise admit or compromise and pay or submit to arbitration or dispute or resist any claim or demand made against the Bank under or in respect of such guarantees and indemnities, this counter-indemnity/guarantee contained herein of the Borrower being available to the Bank in respect of any action or payment which the Bank may take or make; and

(iii) यदि बैंक किसी साखपत्र, गारंटी/क्षतिपूर्ति के संबंध में, जो उसने ऋणी की ओर से दी हो किसी और उपचार के होने पर उसे प्रभावित किए बिना, बैंक को यह अधिकार होगा कि उस भुगतान को ऋणी के किसी खाते के नामे डाल दे जो बैंक में खोला गया हो/खोला जाने वाला हो और ऐसी सभी राशियों, यदि वे किसी उपलब्ध नकदी मार्जिन के द्वारा समायोजित न कर ली गयीं हो और वे उपरोक्त साख पत्र, गारंटी, क्षतिपूर्ति पर लागू न होती हो उन स्थितियों को छोड़कर इन राशियों पर ब्याज भी लगाया जायेगा, जैसे कि उपरोक्त खण्ड 14 में किया गया है.

(iii) In the event of any payment being made by the Bank pursuant to any letter of credit, guarantee/indemnity issued by the Bank on behalf of the borrower, the Bank without prejudice to any other remedy it may have shall be entitled to debit the said payment to any account of the borrower opened/to be opened with the Bank and all such amounts unless adjusted against any cash margin available and properly applicable to the said letter of credit, guarantee/indemnity shall also be charged with interest as applicable to the account in which they are debited as provided in clause No. 14 above.

58. यदि ऋणी एक से अधिक व्यक्ति हों तो यह अनुबन्ध संयुक्त रूप से और अलग-अलग उन सभी के लिए बाध्यकारी होगा या ऋणी कोई फर्म हो या किसी फर्म के सदस्य हों तो ऐसी फर्म और ऐसे सभी सदस्य और फर्म के सभी सदस्य, समय-समय पर संयुक्त रूप से और अलग-अलग इस अनुबन्ध से बाध्य होंगे, चाहे फर्म के संगठन या नाम में कोई परिवर्तन कर दिया गया हो और चाहे किसी भी समय इस फर्म में एक व्यक्ति हो या रह जाये और यदि किसी समय ऋणी एक से अधिक व्यक्ति हो तो किसी ऐसे एक व्यक्ति को दी गयी सूचना ऐसे सभी व्यक्तियों के लिए सूचना या नोटिस मानी जाएगी.

58. If the Borrower be more than one individual all shall be bound hereunder jointly and severally or if a firm or members of a firm, such firm and all such members and all the members thereof, from time to time, shall be bound hereunder jointly and severally notwithstanding any changes in the constitution or style thereof and whether such firm consist of or be reduced to one individual at any time and that the Borrower be more than one individual at any time, any notice served on any such one individual shall be deemed to be service of such notice on all such individuals.

59. इस अनुबन्ध के अंतर्गत कोई सूचना या पत्र या मांग बैंक द्वारा ऋणी को इस अनुबन्ध या किसी प्रतिभूति विलेख के अंतर्गत भेजी जाए तो यह मान लिया जाएगा कि डाक द्वारा ऋणी को उसके द्वारा बताये गये पते पर भेजी गयी सूचना वैध रूप से दी गयी

For DILPREET TUBES PVT. LTD.
MANAGING DIRECTOR

For DILPREET TUBES PVT. LTD.
Executive Director

है और यह मान लिया जाएगा कि ऐसी सूचना डाक के द्वारा भेजने के चार दिनों के बाद वह ऋणी को प्राप्त हो गयी है. इतना ही पर्याप्त होगा कि इस सूचना या पत्र पर बैंक के किसी अधिकारी के हस्ताक्षर हो और यह प्रमाणित करने के लिए कि उस सूचना की तामील हो गयी है तो इतना बताना काफी होगा कि जिस लिफाफे में ऐसी सूचना, पत्र या मांग भेजी गई थी उस पर पता ठीक-ठीक लिखा था और वह डाक में डाल दिया गया था.

59. Any notice or communication or demand by the Bank in writing to the Borrower under this Agreement or any security documents shall be deemed to have been duly given to the Borrower by sending the same by post addressed to the Borrower at the address notified by the Borrower and such notice or communication or demand shall be deemed to have been received by the Borrower four days after the date of posting thereof and shall be sufficient if signed by any officer of the Bank and in proving such service it shall be sufficient if it is established that the envelope containing such notice, communication or demand was properly addressed and put into the post office.

60. ऋणी सभी लागतें, शुल्क और खर्चे (जैसे कि कोई मुवक्किल अपने वकील का खर्च वहन करता है) जिनमें स्टैम्प शुल्क, पंजीकरण और इस अनुबन्ध के संबंध में देय अन्य शुल्क शामिल हैं और इस अनुबन्ध में बतायी गयी रीति से अन्य प्रतिभूति संबंधी जो खर्चे हैं वे भी ऋणी देगा और साथ ही वह उस जुर्माने या शुल्क का भुगतान भी करेगा जो बैंक द्वारा दिये गये हो या बैंक पर देय हो गये हों. उस दशा में ऋणी बैंक को इन राशियों का भुगतान ब्याज सहित उपर्युक्त दर पर मांग किये जाने पर तुरन्त करेगा.

60. The Borrower shall bear and pay all costs charges and expenses (between Advocate and Client) including stamp duty registration and other charges payable in respect of this Agreement and also in respect of other security documents to be executed between the parties hereto as stipulated in this Agreement and if any penalty or charges are paid or become payable by the Bank, the Borrower shall pay to the Bank the amount thereof with interest thereon at the rate aforesaid forthwith on demand by the Bank.

इस अनुबन्ध के साक्ष्य स्वरूप इसके पक्षकारों ने उपरोक्त तिथि और वर्ष में यह अनुबन्ध निष्पादित किया है

IN WITNESS WHEREOF the parties hereto have executed these presents the day and year first hereinabove written.

मेसर्स	मेसर्स
के लिए और उनकी ओर से स्वत्वधारी के रूप में हस्ताक्षर किए मुहर लगाई और सुपुर्द किया	के लिए और उनकी ओर से
	स्वत्वधारी
Signed Sealed and Delivered by Shri/Smt./Kum.	For and on behalf of Messrs
For and on behalf of Messrs	
as proprietor/	
proprietress thereof	Proprietor/Proprietress

या

For DILPREET TUBES PVT. LTD. — MANAGING DIRECTOR

For DILPREET TUBES PVT. LTD.

मेसर्स

के लिए और उनकी ओर से भागीदारों के रूप में
श्री/श्रीमती/कुमारी
श्री/श्रीमती/कुमारी
श्री/श्रीमती/कुमारी
श्री/श्रीमती/कुमारी
श्री/श्रीमती/कुमारी
ने हस्ताक्षर किए, मुहर लगाई और सुपुर्द किया

Signed Sealed and Delivered by
Shri/Smt./Kum.
Shri/Smt./Kum.
Shri/Smt./Kum.
Shri/Smt./Kum.
Shri/Smt./Kum.

For and on behalf of
Messrs

as partners thereof

मेसर्स
के लिए और उनकी ओर से अपने संयुक्त
परिवार के कर्ता के रूप में
श्री

ने हस्ताक्षर किए, मुहर लगाई और सुपुर्द किया

Signed Sealed and Delivered by
Shri

For and on behalf of
Messrs
as Karta of his joint family

उपरोक्त व्यक्तियों की सामान्य मुहर*
दिनांक मास वर्ष
को पारित उपरोक्त सोसाइटी की प्रबंधन समिति के
संकल्प के अनुरूप इसमें लगाई गई थी और उक्त
समिति के सदस्यों और सचिव

मेसर्स

के लिए और उनकी ओर से

1.
2.
3.
4.
भागीदार

OR

For and on behalf of
Messrs

1.
2.
3
4.

Partners

या

मेसर्स
के लिए और उनकी ओर से

कर्ता

OR

For and on behalf of
Messrs

Karta

(1)
और
(2)
ने इन विले
पर

THE COM
NAMED

was hereu
affixed in
Committe
passed or
day of
and these

(1)
and
(2)

Member
Secretar

उपर्युक्त
दिनांक
को पारि
के संक
की उप

बैंक वे
विभाग
पद पर
कार्यर
ने उप
अधिव
हस्ता

COM
was
of th
pass

SIG

For DILPREET TUBES PVT. LTD.
Executive Director